खण्ड-223, अंक-3
सोमवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1883
(24 अप्रैल, 1961 ई0)

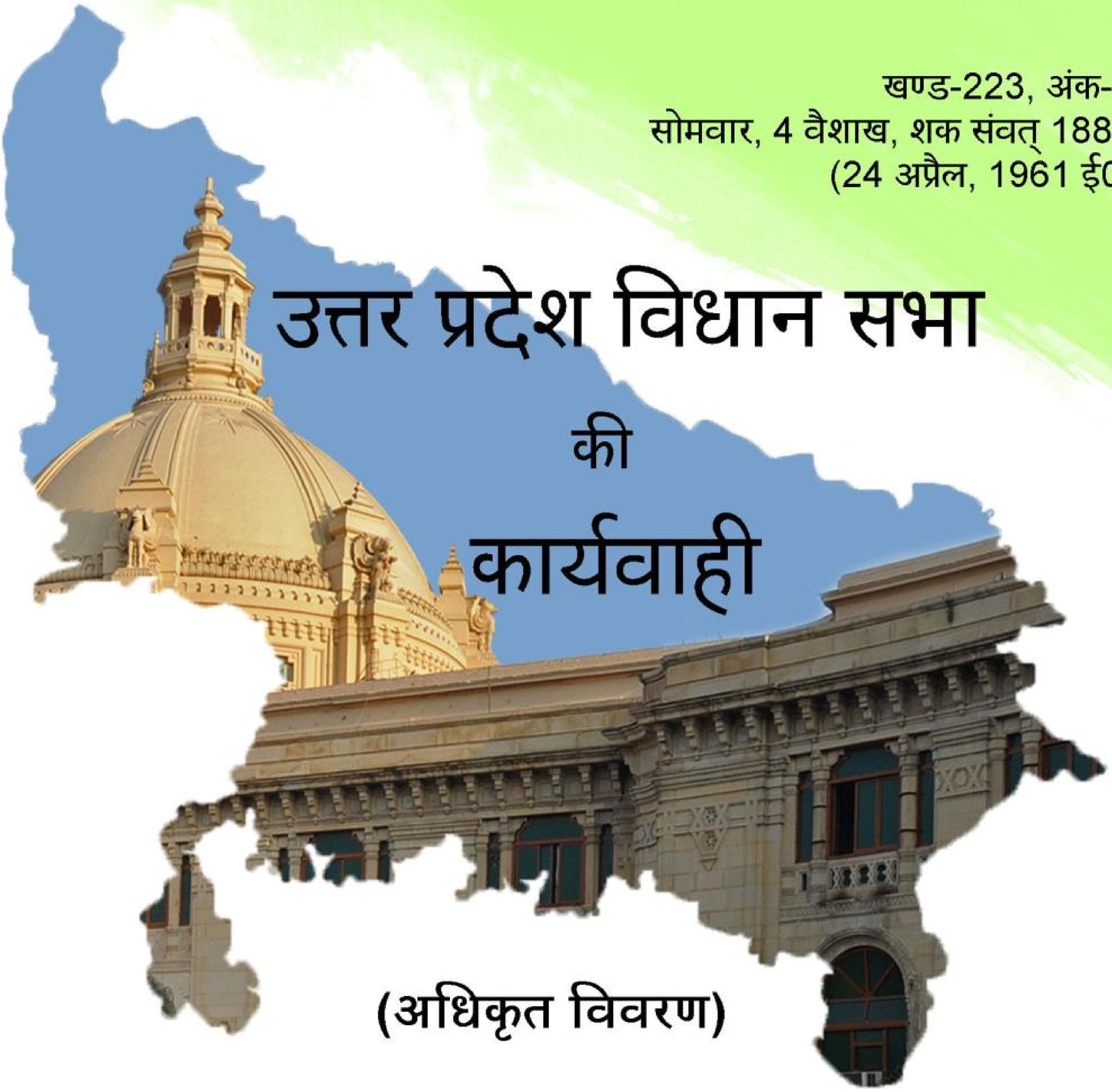

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३०२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री

चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीन दलालु 'करुण', श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री

मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनसिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती

विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—त्रन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बांदा नगरपालिका भंग करने की मांग

**१—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ मार्च, १९६१ को बांदा में, बांदा नगरपालिका के १२ सदस्यों ने नगरपालिका की सदस्यता से त्याग-पत्र देते हुये नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाते हुये नगरपालिका के भंग करने की मांग की है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां, दिनांक २६ मार्च, १९६१ को बांदा में बांदा नगरपालिका के १२ सदस्यों ने नगरपालिका की सदस्यता से त्याग-पत्र देने का निर्णय लेते हुये नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाया है और यह मांग की है कि अध्यक्ष नगरपालिका को उनके पद से हटा दिया जाय अथवा नगरपालिका को भंग या अवक्रान्त कर दिया जाय ।

**२—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन सदस्यों ने उनसे भेंट की थी, उन्होंने अध्यक्ष के विरुद्ध, जो गंभीर आरोप लगाये, वे संक्षेप में क्या हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, आरोपों की सूची मेरे पास है उसमें कुल आरोपों की संख्या ३९ है । आरोप हर किस्म के हैं । यह भी हैं कि अध्यक्ष महोदय धांधलेबाजी करते हैं, रिश्तेदारों को लगाते हैं, काम बिना कमेटी के पूछे हुये करते हैं । आपकी आज्ञा हो तो उनको पढ़ कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—काफी है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस मामले में सरकार कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मामले दो हैं । एक तो उनके त्याग-पत्र का है, मैंने उनसे निवेदन कर दिया था कि मेरा इस त्याग-पत्र से कोई संबंध नहीं है। त्याग-पत्र का जो तरीका है उसके अनुसार आप काम करें । दूसरा अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत का मामला है । तो अध्यक्ष के खिलाफ जांच होगी और जांच होने के बाद जो कार्यवाही मुनासिब होगी, वह की जायगी ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ३९ आरोपों की तालिका उनके पास है क्या उनमें ऐसे भी आरोप हैं कि निजी रूप में चेयरमैन साहब भ्रष्ट हैं और घूस लेते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—पूरे तरीके से मैंने इन सब को पढ़ा नहीं है। लेकिन जब वे मुझ से मिले तो उन्होंने एक आरोप यह भी बताया था, ऐसा मुझे याद पड़ता है, कि वे भ्रष्ट हैं ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—उनके विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं क्या उनमें यह भी आरोप है कि वे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की कोई कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि चुने हुये स्थानिक स्वराज्य के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में बहुत ब्योरे से प्रश्न पूछना, अगर किसी ने उनके चरित्र के बारे में कोई शिकायत कर दी है, अनुचित होगा । इन्क्वायरी होने के बाद अगर पूछा जाय तो दूसरी बात होगी, क्योंकि इस तरह प्रश्न पूछने से उनके चरित्र के बारे में छप जायगा जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वे चुने हुये हैं । इस प्रकार से उनकी बदनामी होगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये अध्यक्ष महोदय किस दल विशेष के हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, इस समय तो मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर हैं या नहीं ?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब २६ मार्च, १९६१ को उनको यह विदित था कि वहां की नगरपालिका के २५ सदस्यों में से १२ सदस्यों ने इस तरह की शिकायतें सरकार को की हैं तो २६ मार्च से लेकर आज २४ अप्रैल तक सरकार की ओर से कोई कार्यवाही हुई ?

श्री कैलाशप्रकाश—जब मुझे पत्र मिला तो प्रादेशिक स्तर पर उसकी यहां जांच हुई और जो गम्भीर आरोप उन पर लगाये गये हैं वे जांच के लिये भेजे जा रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—साधारणतया जो आरोप होते हैं वे जिलाधीश के यहां भेज दिये जाते हैं और वह उपयुक्त अधिकारी से जांच कराता है ।

श्री रामायणराय—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने पक्ष को स्पष्ट करने का प्रयास किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—उनसे मेरी बहुत बातचीत हुई थी, किन्तु उनके विरुद्ध लोगों की कौन-कौन शिकायतें हैं, वह तो मैंने उनको बतलाया नहीं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जब १२ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब यह है कि नगरपालिका के बहुमत सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में उस नगरपालिका में काम करने के लिये बाकी कितने मेम्बर रह गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैंने प्रश्न को ठीक से समझा नहीं, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—वे जानना चाहते हैं कि उस नगरपालिका के कुल सदस्यों की संख्या क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—२५ होगी, मुझे ठीक नहीं मालूम ।

श्री देवनारायण भारतीय—१२ सदस्यों ने २६ मार्च को ३९ शिकायतें भेजीं, उससे पहले वहां के जिलाधीश ने भी उसी अध्यक्ष के विरुद्ध सरकार के पास कोई शिकायत भेजी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । मेरे खयाल से तो जिलाधीश ने उनके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी थी ।

अन्तरिम जिला परिषदों में नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय प्रमुखों का चुनाव

**३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषदों के सदस्यों का चुनाव नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा वह कब कराने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—अन्तरिम जिला परिषदों में नव-निर्वाचित ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधियों का चुनाव सम्भवतः मई, १९६१ के तीसरे सप्ताह के अन्त से प्रारम्भ होगा । तिथियां अभी निश्चित नहीं हैं ।

**४—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों द्वारा क्षेत्रीय प्रमुखों (ब्लाकों के अध्यक्षों) का चुनाव वह कब कराने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—खंड विकास समितियों के पुनर्संगठन के विषय में आवश्यक राजाज्ञा शीघ्र प्रसारित होने वाली है जिसके अनुसार अन्तरिम जिला परिषद् में विकास खंड के समस्त निर्वाचित ग्राम प्रधानों का बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि ही खंड विकास समिति का प्रमुख माना जावेगा ।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि वे खंड समितियों को पुनर्गठित करने का विचार कर रहे हैं, और वे किस ढंग की होंगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, वैसे तो यह प्रश्न अभी नियोजन विभाग से सम्बन्धित है क्योंकि जो खंड समिति बनी हैं वे नियोजन विभाग के शासकीय आदेश के द्वारा बनी हैं । जो जानकारी मुझे मौखिक रूप से हुई है वह यह थी कि जो खंड समिति बनी हैं उन को भंग किया गया है, और अब उन का प्रयास है कि विधेयक के अनुसार जिस तरह से खंड समितियां बननी हैं उस तरीके से वह बनें और इस तरह के आदेश भी जारी हो गये थे कि ब्लाक के प्रधान व स्थानीय एम० एल० ए० व एम० एल० सी० जो हों, वह भी खंड समिति के सदस्य हों ।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या मंत्री जी को मालूम है कि यह प्रथा तो पहले से ही है कि जितने ब्लाक के सभापति होते हैं वे इस समिति के मेम्बर होते हैं और उस क्षेत्र के एम० पी०, एम० एल० ए०, एम० एल० सी० वगैरह भी उस में होते हैं और उन्हीं के द्वारा चुनाव होता है, तो इस में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय सदस्य ने खंड समिति में जिन वर्गों के सदस्यों के होने की बात कही उनके अतिरिक्त और भी बहुत से सदस्य होते थे ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधानों के बहुमत वाले क्षेत्र अन्तरिम जिला परिषद् में आ सकेंगे, इसका क्या अभिप्राय है ? आप ने जो कहा कि गांव सभाओं को बहुमत प्राप्त हो सकेगा, इसका क्या अर्थ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, एक तो अन्तरिम जिला परिषद् में सदस्य जाते हैं, जो ब्लाकों के प्रधानों के प्रतिनिधि होते हैं, उस के लिये तो केवल ब्लाक के प्रधान ही वोट करते हैं । ब्लाक कमेटी में इन प्रधानों के अतिरिक्त और भी सदस्य होते थे । अब नियोजन विभाग की ओर से इन कमेटियों को भंग किया जा रहा है और उन के स्थान पर नई ब्लाक कमेटियां बनाई जा रही हैं । यह बात भी अभी विचाराधीन है कि इन प्रधानों के प्रतिनिधि अन्तरिम जिला परिषदों में केवल उस समय तक के लिये रहें जबतक कि ब्लाक कमेटियां अधिनियम के मातहत न बन जायं ।

श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक कमेटियों में नामजद जो सदस्य होते थे, वह भी चुनाव में भाग ले सकेंगे या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—ब्लाक कमेटियों की क्या रूपरेखा होगी यह चीज तो नियोजन विभाग से सम्बन्धित है और वही इस पर विचार करता है ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभाओं के चुनाव जनवरी-फरवरी में समाप्त हो चुके थे और उनके प्रतिनिधि, जो जिला परिषदों में चुने जाने वाले थे, उनके चुनाव मुल्तवी होने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—एक तो मैं बता चुका कि कुछ वैधानिक कठिनाइयां उपस्थित हो गई थीं । मैंने उन कठिनाइयों का जिक्र बिल उपस्थित करते समय माननीय सदस्यों के समक्ष किया था । पहले विचार था कि यह चुनाव मार्च में हो जायं लेकिन वह नहीं हुए । बहुत

सी जगह ग्राम चुनाव में नये प्रधान चुने गये लेकिन पंचायतों ने काम करना शुरू नहीं किया। अधिनियम में कुछ इस तरह की पाबन्दी है कि जबतक पंचायतें न बन जायं, चार्ज नहीं दिया जा सकता। तो नये प्रधान तो चुने गये लेकिन पंचायतें निर्मित न हो सकीं क्योंकि दो तिहाई सदस्यों का चुनाव न हो सका। इसलिये बावजूद चुने जाने के उन्हें राय देने का हक नहीं होता था। अब अन्तरिम जिला परिषद् का जो विधेयक आया था उसमें इस वैधानिक आपत्ति को ठीक किया गया और इसी कारण चुनाव को स्थगित करना पड़ा।

श्री भगवतीसिंह विशारद--मंत्री जी ने बताया कि जो प्रधान अन्तरिम जिला परिषद् के लिये रिप्रेजेन्टेशन के लिये चुना जायगा वही खंड विकास समिति का सभापति होगा, इसलिए जिन जिलों में १० या उससे ज्यादा विकास खंड हैं वहां पर तो एक चुना जायगा लेकिन जहां १० से कम हैं वहां २ चुने जायेंगे, तो ऐसी स्थिति में खंड विकास समिति का कौन प्रधान होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, मैंने कहा कि यह बात एक सुझाव के रूप में नियोजन विभाग के विचाराधीन है। वह इस तरीके से विचार कर रहे हैं। यह बात सही है कि जहां १० से कम ब्लाक्स हैं वहां २ चुने जायेंगे और उसमें वह इस बात पर विचार कर सकते हैं--मैं विचार कह रहा हूं--कि जिसको ज्यादा वोट मिलें वह तो प्रमुख हो जाय और जिसको कम मिलें वह किसी कमेटी में हो जाय।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिया गया तारांकित प्रश्न]

पट्टी विशौद की कथित पेय जल योजनायें

*१--**श्री प्रतापसिंह**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पट्टी विशौद, जिला अल्मोड़ा में कितनी पेय जल योजनायें १९६० में स्वीकृत की गयीं और उनमें से कितनी योजनायें अभी तक कार्यरूप में परिणत की गयी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--सन् १९६० में कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६० में कोई योजना बनी ही नहीं थी या स्वीकृत नहीं की गई और अगर स्वीकृत नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, जो मेरे पास रिपोर्ट है उससे तो यही प्रतीत होता है कि सन् १९६० में न स्वीकृत की गई और न कोई मांग हुई।

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि १९६० में ग्राम मोरी में एक पेय जल योजना स्वीकृत की गई थी और गांववालों ने फारेस्ट पंचायत से हिस्सा दिया और विभाग ने नक्शा भी बनाया लेकिन फिर उसमें कुछ नहीं हुआ?

श्री कैलाशप्रकाश--माननीय सदस्य लिखकर दें तो मैं जरूर छानबीन कराने की कोशिश करूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पट्टी विशौद में मोरी, पट्यूड़ी, न्यूड़ी, मोतियापाथर और दूसरे गांवों में योजनायें स्वीकृत हैं लेकिन गांव वाले एक-चौथाई श्रमदान नहीं दे सके इसलिये कार्यान्वित नहीं हो सकीं ?

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने कह दिया कि लिखकर देंगे तो इंक्वायरी करा लेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) दो के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले में सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटियों का संगठन

*१—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में किन-किन जगहों पर सर्विस कोआपरेटिव का संगठन हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष में किन-किन स्थानों पर सर्विस कोआपरेटिव स्थापित करने की योजना है ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—३१ मार्च, १९६० तक ४०० सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटियों का संगठन हुआ। जगहों के नाम मेज पर रक्खी †सूची १ में दिये हुए हैं।

वित्तीय वर्ष ६०–६१ में १५२ सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज के संगठन का लक्ष्य था, जो पूरा हो गया। जगहें मेज पर रक्खी †सूची २ में दिखलाई हुई हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि यह जो सर्विस कोआपरेटिव्ज खोलते हैं, वह किस आधार पर खोलते हैं ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—सर्विस कोआपरेटिव्ज, जिन क्षेत्रों में खोली जाती हैं, वह किस आधार पर खोली जाती हैं ? बहुत-सी जगहों की दरख्वास्तें पड़ी हैं वहां नहीं खुलीं, इसलिये स्पष्ट कराना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप यादव—वैसे तो सरकार का लक्ष्य यह है कि जहां-जहां ब्लाक हो वहां यह प्रयत्न किया जाय कि हर जगह खुल सके। मुझे तो आश्चर्य मालूम पड़ता है कि जहां के लोग स्वयं अपनी इच्छा से इन सहकारी समितियों को खोलना चाहते हों, वहां न खुल पाई हों। यह तो काश्तकार की सुविधा के लिये हैं कि उत्पादन में जिन चीजों की आवश्यकता हो वह प्राप्त हो जायं, जो उत्पादन किया हो उसकी बिक्री का प्रबंध हो जाय और प्लान के अनुसार प्रगति हो सके। अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे लिखकर दे दें, मैं उसमें सहायता दिलवा दूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि पिछले साल इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था और उन्हें लिख कर भी दे दिया था और मंत्री जी के कहने के अनुसार उस क्षेत्र में ब्लाक भी है, लेकिन आज तक नौतनवां एन० ई० एस० ब्लाक में सर्विस कोआपरेटिव नहीं शुरू हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह दिया कि आप लिखकर दे दें तो इन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री रामायणराय—सर्विस कोआपरेटिव कहां खोली जाय और कहां न खोली जाय इस बात का निश्चय कौन लोग किया करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने अभी कहा था कि ब्लाक स्तर पर बी० डी० ओ० का कर्तव्य है कि वह ज्यादा से ज्यादा सर्विस कोआपरेटिव्ज खुलवायें और उसमें जिस गांव से सहयोग मिल सकता है, या मिलता है, जहां पर उपलब्ध शेयर लेने के लिये काश्तकार होते हैं, वहां उसे खोलना चाहिये। सरकार का लक्ष्य भी है कि ज्यादा से ज्यादा कोआपरेटिव सोसाइटीज खुलवायी जायं और उसी ओर प्रयत्न किया जाता है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की कोई ऐसी आज्ञा है, कि जहां लार्ज साइज सोसाइटीज हों वहां सर्विस कोआपरेटिव्ज न खोली जायं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस चाहिये। वैसे प्राइमरी ऐग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं, उनको तो कनवर्ट करते हैं सर्विस कोआपरेटिव सोसाइटीज में।

---

†सूचियां छापी नहीं गई।

सहकारी बीज भंडार, सहन के सुपरवाइजर, श्री रामनिवास गुप्ता को दण्ड

*२—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में तहसील करहल के सहकारी बीज भंडार, सहन में मई, १९५८ में ६,७०० रु० के गेहूं का मूल्य व्यापारी से प्राप्त न होने के कारण जो, नुकसान बीज भंडार, सहन का हुआ है, वह गल्ला क्या सुपरवाइजर ने जिला सहकारी अधिकारी के पत्र दिनांक ६ मई, १९५८ के मुताबिक दिया था, इस सिलसिले में दोषी किसे ठहराया गया है और दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री रामनिवास गुप्ता, सुपरवाइजर को, जो उस समय सहन बीज भंडार के इन्चार्ज थे, दोषी ठहराया गया है।

उक्त सुपरवाइजर को नीचे लिखी सजा दी गई है:—

(१) मुअत्तली के समय का वेतन न दिया जाय।

(२) वेतन घटाकर उनके स्केल के निम्नतम वेतन पर कर दिया जाय।

(३) उनके अधीन सहकारी संस्थाओं को होने वाली हानि उनके वेतन से किस्तों में काट कर पूरी की जाय।

(४) तीन वर्ष तक उनको किसी बीज भंडार का चार्ज न दिया जाय और उनके कार्य पर कड़ी निगरानी रक्खी जाय।

(५) उनको चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार का अनियमित कार्य करने का दोषी पाये जाने पर नौकरी से निकाल दिया जायगा।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि जिस व्यापारी पर रुपया बाकी है उसका रुपया जिला सहकारी अधिकारी के पास कुछ जमा है जमानत के रूप में और दूसरी मदों में? यदि हां, तो वह रुपया ले लिया जाय और जो रुपया बाकी रह जाय, वह सुपरवाइजर से वसूल किया जाय, क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन की प्रबन्ध कारिणी समिति ने निर्णय लिया है और उनके सामने यह बात होनी चाहिये कि कुछ जमानत का रुपया है कि नहीं। लेकिन यह तो उन्होंने निश्चय किया है, सरकार का इसमें प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवनारायण भारतीय—मंत्री जी बतायेंगे कि जो ६७,००० रुपये का नुकसान हुआ, व्यापारी के पास मारा गया, वह नुकसान उस कोआपरेटिव सोसाइटी के हिस्सेदारों के जिम्मे पड़ा, या कोआपरेटिव सुपरवाइजर के जिम्मे पड़ा या सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया?

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता हूं कि ६७,००० रुपये है कि ६,७०० रुपये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—६,७०० रुपये हैं।

श्री देवनारायण भारतीय—तो मेरे प्रश्न में ६७,००० रुपये की जगह ६,७०० रुपये मान लिया जाय।

श्री रामस्वरूप यादव—कोआपरेटिव सुपरवाइजर ने उस व्यापारी को बिना अधिकार के, बिना मूल्य लिये हुए गल्ला दे दिया था। तो कोआपरेटिव यूनियन की प्रबन्ध-कारिणी ने उसको जिम्मेदार ठहराया और उसी से रुपया वसूल किया जा रहा है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, प्रश्न में शब्द 'बीज भंडार' है और फिर यह है कि गेहूं का मूल्य व्यापारी से प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं जानना चाहता

हूं कि बीज भंडार से व्यापारी का क्या ताल्लुक है क्योंकि बीज भंडार से किसानों को बीज दिया जाता है न कि व्यापारी को माल बेचा जाता है? तो बीज भंडार से गेहूं व्यापारी के हाथ बेचा गया यह कैसे हुआ?

श्री रामस्वरूप यादव---१९५६-५७ का रबी बीज वितरण के बाद ७३१ मन गेहूं और ७ मन चना सहकारी बीज भंडार में शेष रह गया था। उसको बेचने का प्रबन्ध किया गया। पहले टेंडर मांगे गये। लेकिन टेंडर ठीक नहीं आये। उसके बाद एक मूल्य निर्धारित कर दिया गया और उस दाम पर तैयार हो जाने के बाद उस व्यापारी को लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन आदेश दे दिया था कि पहले रुपया ले लिया जाय और बाद में डिलीवरी दी जाय। लेकिन यह गलती हुई कि रुपया बिना लिये हुए डिलीवरी दे दी गई।

लखनऊ जिला बोर्ड के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता न मिलना

*३---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि १९५५ में जिला बोर्डों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते में दो रुपये की बढ़ोत्तरी का सरकारी आदेश हुआ था? यदि हां, तो लखनऊ जिला बोर्ड के कर्मचारियों को उक्त बढ़ा हुआ वेतन भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश---१९५५ में ऐसा कोई आदेश नहीं गया था। उस वर्ष, जो आदेश प्रसारित हुए थे, वे केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू थे।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री रामशरण यादव---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इनको किसी और प्रकार की सहायता देने का आदेश सरकार ने दिया था? यदि हां, तो क्या?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, इस सम्बन्ध में १९५५ की बढ़ोत्तरी सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में हुई थी। अभी १९६१ की जनवरी में एक पत्र ऐसा गया है कि वह जो ५५ में २ रुपये की बढ़ोत्तरी सरकारी कर्मचारियों में हुई थी, यदि स्थानीय नगरपालिकायें उस बढ़ोत्तरी को अपने कर्मचारियों को देना चाहें तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि नगरपालिका के अध्यापक अर्द्धसरकारी कर्मचारी हैं और सरकार सिद्धांततः इस बात को मानती है कि उनके दो रुपये बढ़ा दिये जायं तो माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि नगरपालिकाओं की हालत अच्छी नहीं है उनको कुछ आर्थिक सहायता देंगे जिससे दो रुपये इन कर्मचारियों को मिल सकें?

श्री कैलाशप्रकाश---यह प्रश्न तो नगरपालिका के जो कर्मचारी हैं, उनके सम्बंध में है।

अन्तरिम जिला परिषद् के कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होना

*४---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका इस प्रकार का कोई आदेश है कि अन्तरिम जिला परिषद् के कर्मचारियों को ५ साल से ज्यादा किसी एक स्थान पर नहीं रखना चाहिये?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं।

*५--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)--अगर हां, तो यह आदेश किस तरह के कर्मचारियों पर लागू होता है ?

श्री कैलाशप्रकाश--प्रश्न नहीं उठता।

तालबेहट की कर्जा सोसाइटियों के सदस्यों पर बकाया

*६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट, जिला झांसी की किन-किन कर्जा सोसाइटियों के सदस्यों पर जनवरी, १९६१ तक कितना-कितना रुपया बकाया है और कब से ?

*७--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बकायेदार सोसाइटियों में से किन-किन सोसाइटियों के सदस्यों पर बकाया अदा न करने के कारण कितना-कितना जुर्माना किया गया है और किस तारीख में ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त सूचना डेढ़ महीने तक एकत्रित न होने का क्या कारण है और यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--सरकारी दफ्तर की तो सूचना है नहीं। सोसाइटियों से सूचना मंगानी पड़ती है और सोसाइटियां फैली हुई होती हैं, इसलिये समय तो लगता ही ।

बदायूं जिले में सहकारी समितियों की सम्पत्ति

*८--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में वित्तीय वर्ष १९५९-६० में कितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां जिले में थीं और उनकी कुल सम्पत्ति क्या थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला बदायूं में वर्ष १९५९-६० में १,२८० सहकारी समितियां थीं जिनकी कुल सम्पत्ति १,७१,९६,२२९ रुपये थी।

श्री टीकाराम--क्या सरकार बतलायेगी कि सोसाइटियों को कुछ नफा हुआ इतनी लागत पर ?

श्री रामस्वरूप यादव--कुछ सोसाइटियों को नफा भी होता है।

श्री टीकाराम--क्या नफा हुआ और वह हिस्सेदारों को बांटा गया ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो उनको पता नहीं होगा। लिखित प्रश्न में ही यह बात आप पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बतायेगी कि जब से कोआपरेटिव सोसाइटियां जिला बदायूं में बनीं तब से सन् ६१ तक किसी कोआपरेटिव सोसाइटी के मुनाफे को हिस्सेदारों को बांटा गया या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे कि जिन लोगों ने सोसाइटी से त्याग-पत्र दिया। जितना रुपया उन्होंने जमा किया था वह उनको वापस मिलना चाहिये था, लेकिन वह उनको आज तक वापस नहीं दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वक्त मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। शिकायत की जायगी तो देख लूंगा।

सहकारी बीज भंडार, किसुरआ से हरी खाद के बीज का वितरण न होना

*९—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं में १९५९-६० में सहकारी सीड स्टोर, किसुरआ पर कितना बीज गेहूं, चना, मटर का और हरी खाद का बांटा गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—(१) गेहूं २,४४९ मन ९ सेर,

(२) चना २१३ मन ३६ सेर ८ छटांक।

उक्त सीड स्टोर से कथित वर्ष में मटर और हरी खाद का बीज बिल्कुल नहीं बांटा गया था।

श्री टीकाराम—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरी खाद का बीज क्यों नहीं बांटा गया?

श्री रामस्वरूप यादव—डिमांड नहीं थी।

श्री टीकाराम—जबकि सल्फेट अमोनिया और फास्फेट बहुतेरी ली जाती है तो हरी खाद के बीज की डिमांड क्यों नहीं थी?

श्री अध्यक्ष—किसी ने मांगा ही नहीं तो क्या करें।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से ब्लाकों के द्वारा बराबर यह उद्योग किया जाता है कि जितना भी हरी खाद को प्रोत्साहन किसानों में दिया जा सके वह दिया जाय, तो इस बात को सामने रखते हुये बदायूं जिले में इस ब्लाक से हरी खाद का बीज क्यों नहीं बांटा गया?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो सही है कि सरकार चाहती है कि हरी खाद लोग बोयें लेकिन उसके लिये रेस्पांस तो काश्तकारों की तरफ से होना चाहिये। ऐसा मालूम पड़ता है कि उधर के काश्तकार इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं।

बांदा नगरपालिका को केन नदी से पानी लेने के लिये ऋण

*१०—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या स्वायत शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगरपालिका को केन नदी से पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये कितना रुपया सरकार ने दिया है और उसकी प्रगति कहां तक हुई है और क्या-क्या काम बाकी है? अगर काम नहीं हुआ, तो इसका क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश—बांदा नगरपालिका को केन नदी से पीने के पानी की योजना के अन्तर्गत ९,६२,००० रुपये का ऋण दिया गया है। अब तक पानी वितरण करने के लिये नल बिछा दिये गये हैं तथा जल-कल के कार्यालय का निर्माण हो गया है। योजना की प्रगति में विशेष अड़चन इस कारण रही कि भूमि अर्जित करने में पर्याप्त समय लगा तथा अनुभवी ठेकेदार उपलब्ध नहीं हुये। अब यह काम स्वायत शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा स्वयं किया जा रहा है।

*११—श्री जगपतिसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को मालूम है कि वहां सौ-सौ हाथ गहरे में पानी है और उन कुओं के भी सूख जाने से गर्मी के दिनों में जनता को महान कष्ट होता है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां।

श्री जगपतिसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बांदा एक जिला होने की वजह से हजारों व्यक्ति रोज कचहरी आते हैं जिनको जल की कमी के कारण बहुत कष्ट होता है, तो जो बांदा स्टेशन पर एक वृहत जल भंडार केन नदी के पानी का बना हुआ है वहां २४ घंटे नल खुला रहे इसके लिये रेलवे के अधिकारियों से लिखा-पढ़ी करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करूंगा कि वह ऐसी चीज लिखें, हम रेलवे वालों से भी कोशिश करेंगे। लेकिन जो काम वहां पानी का चल रहा है वह भी तेजी के साथ चलाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस योजना के लिये सरकार ने ९ लाख रुपये दिये हैं वह कुल कितने रुपये की योजना थी जो कि नगरपालिका ने सरकार को भेजी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—वहां की जल सम्बन्धी योजना ९ लाख ६२ हजार रुपये की है।

इलाहाबाद स्टेडियम

*१२—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार का विचार इलाहाबाद में स्टेडियम बनाने का है ? यदि हां, तो वह कहां बनेगा और कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। स्टेडियम मोतीलाल नेहरू पार्क में बन रहा है। इसका निर्माण-कार्य १९६०-६१ में आरम्भ हो चुका है। यह अनुमान है कि निर्माण-कार्य २ सालों में पूरा हो जायगा।

*१३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने वित्तीय वर्ष १९५९-६० में किन-किन संस्थाओं को खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिये सहायता दी और किस-किस प्रकार की ?

श्री रामस्वरूप यादव—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३८ पर।)

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह स्टेडियम कितना धन लगाकर बन रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय अनुमान लगभग तीन लाख रुपये का है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि १६,३४२ रुपया किस एसोसियेशन को दिया गया है, उसका क्या नाम है और सब से ज्यादा धनराशि इसको देने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यू० पी० लान टेनिस एसोसियेशन को रु० १६,३४२·२५ नया पैसा दिया गया है। इसके लिये नियम बने हुये हैं और एक फार्म होता है जो भर कर उन संस्थाओं को भेजना पड़ता है जो ग्रान्ट चाहती हैं। उसमें यह भी है कि—"whether the Institution can raise funds equivalent to 50% of the grant applied for." यानी अपनी तरफ से ५० परसेंट धन लगा सकती हों। इसलिए जो शर्त पूरा करती हैं और जिन्हें जैसी आवश्यकता होती है उन्हें वैसी ग्रांट दी जाती है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस एसोसियेशन की माली हालत क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

जिला सहकारी संघ, उन्नाव का श्री लीलाधर अष्ठाना पर बकाया

*१४—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव टाउन बैंक लिमिटेड, उन्नाव में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत डाइरेक्टरों में से किस-किस के जिम्मे जिला सहकारी संघ का रुपया बकाया है और वह बकाया कितना-कितना है और कब-कब से है?

श्री रामस्वरूप यादव—केवल श्री लीलाधर अष्ठाना के जिम्मे उधार ईंट बिक्री के सम्बन्ध में जिला सहकारी संघ, उन्नाव का ७९६ रु० ९१ नये पैसे बकाया है।

जो इस प्रकार है—

साल				रु०	न० पै०
१९५४–५५	..	..	..	४६४	०
१९५६–५७	..	..	..	१७१	७९
१९५७–५८	..	..	..	१६१	१२

*१५—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव टाउन बैंक लिमिटेड, उन्नाव में सरकार द्वारा मनोनीत कौन-कौन से डाइरेक्टर हैं, वे कब नियुक्त किये गये और उसकी सूचना जिले में कब भेजी गई?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त बैंक में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत डायरेक्टर ये हैं—

(१) श्री लीलाधर अष्ठाना, एम० पी०,

(२) श्रीमती गंगा देवी, एम० पी०,

(३) श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी, एम० एल० सी०,

यह डायरेक्टर सरकार द्वारा ७ मार्च, १९६१ को मनोनीत किये गये थे तथा इसकी सूचना जिले को उसी दिन भेज दी गई थी।

*१६—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव टाउन बैंक लिमिटेड, उन्नाव में श्री बाल गंगाधर त्रिपाठी तथा असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, उन्नाव को कब राज्य सरकार ने मनोनीत किया था तथा वे कब और क्यों हटाये गये?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री बालगंगाधर त्रिपाठी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उन्नाव को सरकार ने ५ दिसम्बर, १९६० को उक्त बैंक में डायरेक्टरों के पद पर मनोनीत किया था।

७ मार्च, १९६१ को सरकार द्वारा दूसरे डायरेक्टर मनोनीत किये जाने पर पुराने डायरेक्टर बैंक के बाई-लाज के अधीन डायरेक्टर के पद से हट गये।

श्री सजीवनलाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जो सैकड़ों रुपया ६ वर्ष का बकाया श्री लीलाधर अष्ठाना, एम० पी० के ऊपर है उसकी वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, वह तो सहकारी संघ का रुपया है, उसको वसूल करना चाहिये। हम भी लिख देंगे कि वह जल्दी वसूल करें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि यह श्री लीलाधर अष्ठाना वही हैं जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर एम० पी० चुने गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

श्री प्रतापसिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि आज तक रुपया वसूल न करने का क्या कारण है और वसूल करने में क्या दिक्कत है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह तो जिला सहकारी संघ का कर्त्तव्य है जो ऋण देती है उसे वसूल करे।

श्री सजीवनलाल---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि डायरेक्टर के मनोनीत करने की क्या अवधि होती है और श्री बालगंगाधर त्रिपाठी ने क्या अवधि पूरी कर ली थी?

श्री रामस्वरूप यादव---डायरेक्टर के पद की अवधि यह होती है कि जब तक दूसरी नियुक्ति न हो जाय तब तक, या जनरल मीटिंग तक।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाबू लीलाधर अष्ठाना को डाइरेक्टर मनोनीत करने के समय सरकार के पास इस बात की सूचना थी कि उन पर संघ का रुपया बाकी है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे, मनोनीत तीन व्यक्ति किये गये और हटाये दो गये, यह किस प्रकार किया गया, क्या उनमें से फिर किसी को मनोनीत कर दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो साधारण बात है। नामजद तीन को किया गया और दो पद मुक्त हो गये तो एक ही वही रह गये जो पहले थे। यह तो सीधी बात है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह सरकार द्वारा मनोनीत किये गये थे उस समय जिला स्तर के अधिकारियों के सुझाव पर मनोनीत किये गये थे या माननीय मन्त्री जी को मूड आया और जो नाम याद आया मनोनीत कर दिया?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को अपना विवेक प्रयोग करके नामजद करने का अधिकार है। वह उसमें जिला अधिकारियों की भी सलाह ले सकती है।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि उन पर १९५४ से बकाया था और मन्त्री जी ने यह कहा कि उनको मनोनीत करते समय यह सूचना नहीं थी कि उन पर बकाया है। परन्तु अब मनोनीत करने के पश्चात् जब सरकार को ज्ञात हो गया है कि उन पर बकाया है, तो सरकार विचार करेगी कि उनको डाइरेक्टर के पद से हटा दे?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। सरकार यह जरूर चाहेगी कि वह रुपया दे दें।

*१७-२०---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[२७ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में पंचायत चुनाव सम्बन्धी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*२१---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में पंचायत चुनाव के सिलसिले में किन सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध चुनाव में अनियमित कार्य करने की शिकायतें आई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

नोट---तारांकित प्रश्न २१-२२ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछे।

श्री कैलाशप्रकाश—फर्रुखाबाद जिले में पंचायत चुनाव के सिलसिले में जिन सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध चुनाव में अनियमितता करने की शिकायतें आईं उनका ब्योरा निम्न प्रकार है—

क्रम-संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पद नाम
१	श्री रामदास ..	.. ओवरसियर, पी० डब्लू० डी०
२	श्री आर० एस० सिंह ..	.. ए० डी० सी० ओ०
३	श्री भगवन्त स्वरूप ..	.. ए० डी० सी० ओ०
४	श्री अटल बिहारी मिश्रा	.. कृषि निरीक्षक
५	श्री एफ० बी० जान ..	.. कृषि निरीक्षक
६	श्री रघुनन्दन सुलेरे ..	.. पंचायत निरीक्षक
७	श्री बालादीन त्रिपाठी ..	.. पंचायत लिपिक
८	श्री जुगुल किशोर ..	.. एस० डी० आई०
९	श्री वेद प्रकाश ..	.. एस० डी० आई०
१०	श्री एस० के० सिंह ..	.. जिला आर्गनाइजर इंस्पेक्टर
११	श्री ऊधन सिंह प्रसाद ..	.. इंस्ट्रक्टर
१२	श्री आर० के० दूबे ..	.. कोआपरेटिव निरीक्षक
१३	श्री स्वयं प्रकाश सक्सेना	.. ओवरसियर, पी० डब्लू० डी०
१४	श्री आर० के० मिश्रा ..	.. डी० ओ० स्माल सेविंग
१५	श्री भूदेव मिश्रा ..	.. पंचायत निरीक्षक
१६	श्री चन्द्र शेखर राय ..	.. सहायक विकास अधिकारी
१७	श्री दलीप सिंह ..	.. फारेस्ट गार्ड
१८	श्री सन्तोष कुमार ..	.. सहायक विकास अधिकारी
१९	श्री देवेन्द्र कुमार ..	.. पंचायत निरीक्षक
२०	श्री महावीर सिंह ..	.. सहायक विकास अधिकारी
२१	श्री एस० के० तिवारी ..	.. नायब तहसीलदार कलेक्शन
२२	श्री जगदीश नारायण ..	.. सुपरवाइजर ट्यूबवेल
२३	श्री एस० सी० मिश्रा ..	.. नायब तहसीलदार, कलेक्शन
२४	श्री जगदीश प्रसाद ..	.. सहायक विकास अधिकारी
२५	श्री जगदीश नारायन श्रीवास्तव	.. पंचायत निरीक्षक
२६	श्री देवेंद्र कुमार ..	.. सहकारिता निरीक्षक
२७	श्री बलराज सिंह ..	.. प्रशिक्षण अधिकारी
२८	श्री बाबूराम जाटव ..	.. नायब तहसीलदार
२९	श्री मदन मोहन गोयल ..	.. ट्यूब वेल ओवरसियर
३०	श्री श्रीराम पाठक ..	.. एस० डी० आई०
३१	श्री आर० एस० त्रिपाठी	.. कृषि निरीक्षक
३२	श्री डी० एन० मिश्रा ..	.. उद्योग निरीक्षक
३३	श्री कौशल किशोर ..	.. इन्जीनियर सार्वजनिक निर्माण

उपर्युक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में से २३ शिकायतें निराधार पाई गईं तथा ९ शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। शेष ९ शिकायतों पर उचित कार्यवाही की गई।

*२२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में कितनी ग्राम सभाओं के प्रधानों का चुनाव निर्विरोध हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—फर्रुखाबाद जिले में २७६ ग्राम सभाओं में प्रधानों का चुनाव निर्विरोध समाप्त हुआ ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ९ आदमियों के खिलाफ शिकायतें पाई गईं उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—कार्यवाही का पूरा ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के चुनाव के दौरान में जो जांच हुई उसकी जांच करने वाले कौन अधिकारी थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—शिकायत की जांच तो जिले के अधिकारी करते हैं और साधारणतः जिलाधीश ही उनको नियुक्त करते हैं जो जांच करते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—माननीय मन्त्री जी ने विष्ट जी के उत्तर में जो यह कहा कि पूरा ब्योरा उनके पास नहीं है, तो जो थोड़ा ब्योरा उनके पास हो वही बताने की कृपा करें ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि २३ व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें की थीं उनकी कुल संख्या ४१ थी, इनमें ९ तो निराधार पाई गईं वह खारिज हो गईं । ९ ऐसी हैं जिनकी जांच हो रही है । ९ ऐसी हैं जिनकी जांच होकर वे ठीक पाई गयीं और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई किन्तु उस कार्यवाही का ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर द्वारा की गयी या किसी कम्पलेन्ट आफिसर द्वारा ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, किसने किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की, इसका पूरा ब्योरा नहीं है, किन्तु अगर माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति के बारे में दिलचस्पी रखते हों तो उसका भी पता लगवाया जा सकता है कि किसने जांच की ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ९ शिकायतों पर कार्यवाही हुई उसके बाद कितने व्यक्ति निकाले गये और कितने सस्पेंड किये गये ?

श्री अध्यक्ष—जब मंत्री जी के पास उसकी सूचना नहीं है तो वे क्या बतायेंगे ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार ऐसा कोई कदम उठाने जा रही है जिसमें भविष्य में यदि इस प्रकार की शिकायतें हों और जांच होने पर सही पायी जायं तो उनसे संबंधित व्यक्तियों को सजा दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, जब पंचायत का अनुदान सदन के समक्ष था तब इस संबंध में विस्तृत रूप में मैं सदन के सदस्यों के भी विचार सुन चुका हूं और अपने भी विचार दे चुका हूं । शिकायतें हुईं, लेकिन ऐसी नहीं हुईं जितनी का नक्शा दिया जाता है । हां, शिकायतें आयी हैं और जो आयी हैं उनकी जांच हुई, बाकी की जांच हो रही है। कुछ कर्मचारियों को निलंबित भी किया है। निलंबित करने के पश्चात् जांच हो रही है और उसके कुछ आंकड़े माननीय सदन में दे चुका हूं ।

सहकारी क्रय-विक्रय समितियों द्वारा कृषिजन्य वस्तुओं का व्यापार

*२३—**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५९-६० व १९६०-६१ में इस प्रदेश में कितनी-कितनी सहकारी क्रय-विक्रय समितियां स्थापित की गयी हैं और इस समय ये समितियां किन-किन कृषि जन्य वस्तुओं का व्यापार कर रही हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—सन् १९५९-६० में १८ नई सहकारी क्रय-विक्रय समितियां स्थापित की गयीं। इनके अतिरिक्त २४ गन्ना संघों ने गन्ने के अतिरिक्त अन्य कृषि जन्य वस्तुओं का व्यापार शुरू किया। १९६०-६१ में ३० सहकारी क्रय-विक्रय समितियां अन्तिम दो, तीन महीनों में स्थापित की गईं।

१९५९-६० में स्थापित की गयी समितियां हर प्रकार की कृषि जन्य वस्तुओं का जो गल्ले की मंडियों में बिकने आती हैं, व्यापार करती हैं। १९६०-६१ में स्थापित की गयी समितियों में केवल एक ने दूध का व्यापार शुरू किया है और शेष अपना कार्य इस साल की रबी से प्रारम्भ करेंगी।

नन्दगांव की नलकूप, वाटरवर्क्स योजना

*२४—**श्री रामहेतसिंह** (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्दगांव, जिला मथुरा में जो नलकूप तथा वाटरवर्क्स की स्कीम चल रही थी उस पर कब तक कार्य शुरू हो जायगा तथा इतना समय लगने का क्या कारण था ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी सूचना एकत्रित की जा रही है।

अमरोहा नगरपालिका को सड़कों के लिये अनुदान

*२५—**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अमरोहा नगरपालिका को १९५७-५८ से १९६०-६१ तक प्रति वर्ष अलग-अलग सड़कें बनाने के लिये कितना-कितना ऋण और अनुदान दिया गया?

श्री कैलाशप्रकाश—अमरोहा नगरपालिका को १९५७-५८ से १९६०-६१ तक ऋण कोई नहीं दिया गया। निम्न अनुदान दिया गया :—

वर्ष	धन जो दिया गया
	रु०
१९५७-५८	..
१९५८-५९	२०,५००
१९५९-६०	४२,३००
१९६०-६१	५२,६००

*२६—**श्री रामकुमार वैद्य**—क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन रुपयों का उपयोग हो सका अथवा नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—केवल १९५८-५९ के अनुदान में से नगरपालिका ने १६,१२१ रु० ६६ नये पैसे व्यय किया है तथा शेष अनुदान अभी नहीं व्यय हुआ है।

श्री रामकुमार वैद्य—यह देखते हुए कि अमरोहा नगरपालिका की सड़कों की हालत बहुत खराब है क्या माननीय मंत्री कृपया इसकी जांच करवायेंगे कि ये अनुदान अब तक क्यों नहीं व्यय किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश---हमको सूचना यह प्राप्त हुई है कि वह शीघ्र ही इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। यदि माननीय सदस्य को कोई और सूचना हो कि वह इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं, तो वह लिख कर दे दें बड़ी कृपा होगी, उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जब १९५८-५९ का अनुदान काम में नहीं आया तो १९५९ और १९६० के दो अनुदान क्यों दे दिये गये, इसकी जांच पहले क्यों नहीं करा ली गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश---साधारणतः यह होता है कि जिस वित्तीय वर्ष का अनुदान होता है वह उस वित्तीय वर्ष के अन्त में दिया जाता है और उसको प्रयोग में लाने के लिये कम से कम एक साल की अवधि तो उनको दी ही जाती है। जो १९५८-५९ में अनुदान दिया गया वह १९५९-६० के मार्च तक समाप्त हो जाना चाहिये था और फिर उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और जो सूचना है वह १९६०-६१ में आती है। क्योंकि नगरपालिकाओं को कठिनाई होती है और वह सब साधनों को जुटा नहीं सकतीं जो सड़क बनाने के लिये आवश्यक होते हैं और वह कठिनाई उनकी वास्तविक होती है इसलिये वह अवधि बढ़ाने के लिये कहती हैं और वह अवधि बढ़ा दी जाती है। १९५८-५९ में उनको जो रुपया दिया गया था उन्होंने उसकी अवधि १९६१ तक बढ़ाने के लिये लिखा था जो उनको दे दी गई थी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने बार-बार यह निवेदन किया था सरकार से कि नगरपालिका या स्वायत्त शासन संस्थाओं को दूसरे वर्ष तब तक अनुदान न दिया जाय जब तक कि पहला अनुदान उस काम में न लग जाय। अगर हां, तो सरकार ने इस पर क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री कैलाशप्रकाश---पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की वह रिपोर्ट तो मैं अभी देख नहीं पाया हूं, बाद में देखूगा किन्तु एक ओर बात यह सही है कि कोई नगरपालिका अपने धन का, जो उसको दिया जाता है, उपयोग नहीं कर सकती। दूसरी ओर यह भी बात है कि अगर सड़क इत्यादि बनाने में जो सामग्री चाहिये या जो इंजिन आदि चाहिये उनके मिलने में यदि कठिनाई हो जाय तो वहां नगरपालिका की कार्यकुशलता पर धब्बा नहीं लगता है। तो ऐसी नगरपालिकाओं को साधारणतः अनुदान मिलना चाहिये। उनको उससे वंचित रखना मुनासिब नहीं होगा।

*२७-२८---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिये गये।]

[२४ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३---श्री मदन पांडेय---[१ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद में श्रमिकों के मकानों के लिये भूमि अर्जन

*४---श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद में श्रमिकों के लिये जो मकान बनाने की योजना कई वर्षों से चल रही है उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश---गाजियाबाद में श्रमिकों के लिये मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन (acquisition) की कार्यवाही की जा रही है।

*५---श्री तेजासिंह---क्या यह सत्य है कि जो भूमि इसके लिये एक्वायर करने की घोषणा की गई थी उसमें कुछ धनवान व्यक्तियों की जमीन छोड़ दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि जब वह गाजियाबाद गये थे तो कुछ लोगों ने उनसे प्रार्थना की थी कि जिस जगह पर अब क्वार्टर बनाने के लिये जमीन एक्वायर की जा रही है उसके नजदीक एक तो लड़कियों का डिग्री कालेज बनने जा रहा है और वह जगह मास्टर प्लान में इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर नहीं है। उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि उस जगह पर क्वार्टर न बनाकर उस जगह बनाये जायं जहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनने वाली है। तो माननीय मंत्री जी ने इस पर क्या विचार किया है?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह बात प्रश्न के अन्दर तो नहीं थी लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी की बात है। यह बात सही है कि यह जो भूमि अर्जित की जा रही है उसके संबंध में वहां के बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था, जब मैं गाजियाबाद गया था और लखनऊ जब उनका शिष्टमंडल आया था तो उन्होंने इस पर आपत्ति की थी कि यह भूमि श्रमिक क्वार्टर्स बनाने के लिये न ली जाय। इसके अतिरिक्त यह भी एतराज आया कि वहां निकट में एक बालिका विद्यालय, जो डिग्री कालेज होने जा रहा है, उसके नजदीक श्रमिकों के क्वार्टर न बनायें जायं। इसलिये उस भूमि को लेने के लिये अधिकार प्राप्त करने की बात थी अभी उसको स्थगित किया है और इस बात के ऊपर विचार हो रहा है।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी इसका जल्दी से फैसला करेंगे कि आया वहां पर क्वार्टर बनने हैं या नहीं ताकि जिनकी जमीन है वह उसको और तरह से इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार की तो यह हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी प्रश्न उसके सामने आये उस पर जल्दी निर्णय ले लेकिन निर्णय लेने के लिये जो सूचना उपलब्ध करनी होती है उसमें जो समय आवश्यक होता है वह तो लगता ही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गाजियाबाद में जो श्रमिकों के क्वार्टर बनाने की योजना है वह कितने मकान बनाने की योजना है और कितने रुपये की योजना है ?

श्री कैलाशप्रकाश—२५२ एक कमरे वाले मकान।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस जमीन पर यह श्रमिकों के क्वार्टर बनने वाले हैं उसमें क्या लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट की दफा १६ की कार्यवाही अभी तक हो पायी है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिस जमीन की चर्चा है उसमें तो लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट में कार्यवाही हुई है और वह गजट भी हुई है।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[१ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद नगरपालिका पर कर्ज

*७—श्रीमती सुनीता चौहान (जिला राय बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड पर सरकार का कितना कर्ज है ?

श्री कैलाशप्रकाश—म्युनिसिपल बोर्ड, फैजाबाद पर इस समय सरकार का कुल १९,२४,०१८.९१ रुपये कर्ज है।

यू० पी० स्टेट वेअर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों का भत्ता

*८—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० स्टेट वेअर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को १९५९-६० में हाउस एलाउन्स व महंगाई देना सरकार ने तय किया था ? यदि हां, तो वह अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार ने यू० पी० स्टेट वेअर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को १९५९-६० में हाउस एलाउन्स देना स्वीकार नहीं किया था। सरकार ने उक्त कर्मचारियों को १९५९-६० में मंहगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी थी जो उन्हें मिल चुकी है।

श्री मलिखानसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन कर्मचारियों को हाउस एलाउन्स दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी निर्णय नहीं किया है। उनकी सर्विस कंडीशन्स के रेगुलेशन्स बन रहे हैं और यह विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह रेगुलेशन्स कब तक बन जायंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह बतलाना संभव नहीं है।

मैनपुरी जिले में ग्राम सभाओं के चुनाव से संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*९—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में गत ग्राम सभाओं के चुनाव में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा चुनाव में बेजा हस्तक्षेप करने व अनियमित कार्य करने की शिकायतें जिले के अधिकारियों और स्वायत्त शासन मंत्री के पास आई हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां। रजिस्टर भाग २ में गड़बड़ी, मतदान विवरणी में परिवर्तन, मतदान के समय मतदाताओं को मत देने में हस्तक्षेप, उम्मीदवारों की सूची गलत बनाना, मतदान स्थल में परिवर्तन, अनियमित तथा अवैधानिक रूप से नामांकन पत्र स्वीकार करना तथा अभ्यर्थी के रिश्तेदार को प्रिसाइडिंग अधिकारी नियुक्त करना आदि के विषय में शिकायतें की गई हैं, जिन पर आवश्यक जांच जारी है।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह कुल शिकायतें कितनी हैं और उनमें कुछ का फैसला हो गया है या सब की सब वैसी ही रखी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, ८ शिकायतें मतदान की सूची की हैं, एक शिकायत अवैधानिक परिवर्तन की है, ३ शिकायतें प्रिसाइडिंग अफसर के मतदान के समय मत देने से रोकने की हैं और दो शिकायतें...

श्री अध्यक्ष—वह सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि किसी शिकायत की जांच का फैसला भी हुआ ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, कार्यवाही हुई है। उसमें कुछ शिकायतें तो निराधार पायी गयीं, कुछ में लोगों को निलम्बित किया गया है और कुछ की जांच चल रही है।

*१०—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि—[१ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*११-१२—श्री झारखण्डेराय—[तेरहवें मंगलवार के लिये प्रश्न १९-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१३-१४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१६—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[तेरहवें बुधवार के लिये प्रश्न १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बस्ती नगरपालिका को क्वार्टर बनवाने के लिये अनुदान न मिलना

*१७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बस्ती म्युनिसिपल बोर्ड को १९५९-६० व १९६०-६१ में मेहतरों के क्वार्टर बनाने हेतु कितने रुपये का अनुदान व अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को मकान बनाने के हेतु कितना रुपया देने के लिये कर्ज दिया था? क्या नगरपालिका ने उक्त रुपये को इस्तेमाल नहीं किया और सरकार को वापस कर दिया?

श्री कैलाशप्रकाश—१९५९-६० तथा १९६०-६१ में बस्ती नगरपालिका को मेहतरों के क्वार्टर बनाने तथा अपने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को भवन-निर्माण हेतु ऋण देने के लिये कोई ऋण अथवा अनुदान सरकार ने नहीं दिया अतः नगरपालिका द्वारा उसके इस्तेमाल न किये जाने तथा सरकार को लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१८—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—[१ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

रसूलपुर टिकनियामऊ में प्रधान का चुनाव

*१९—श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के विकास खंड गुसाईंगंज के ग्राम रसूलपुर टिकनियामऊ में प्रधान के चुनाव को घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, लखनऊ जिले के विकास खंड गुसाईंगंज के ग्राम रसूलपुर टिकनियामऊ में प्रधान के चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

*२०—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—[१ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत जो विषय मेरे सामने आये थे, मैं उनको तात्कालिक महत्व का नहीं समझता हूं। उनके सम्बन्ध में प्रश्न पूछ करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-आर-ए-एम-२०५/टी-एम/३०-बी—१०२-एच-५९, दिनांक २५ फरवरी, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—एक सूचना जानना चाहता था कि आज सोमवार है तो माननीय उपनेता सदन बैठे हैं, वह आगे का प्रोग्राम बतायेंगे कि असेम्बली कब तक बैठेगी? कोई निश्चय हुआ है ताकि हम अपना अगला कार्य-क्रम बना सकें?

---

†छापे नहीं गये।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा था कि २७, २८ को बतायेंगे, मुख्य मंत्री पहले कह चुके हैं।

२० फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न १–२ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक २० फरवरी, १९६१ को श्री मुक्तिनाथ राय द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १–२ के संबंध में श्री मुक्तिनाथ राय ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि—

(१) मंत्री जी बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कुल कितने राजकीय वेअर हाउसेज खोले जाने की संभावना है ?

(२) मान्यवर, पहले प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि संख्या शून्य है। लेकिन अब मंत्री जी ने कहा कि १२ खुल चुके हैं और १० खोले जा रहे हैं। तो १२ कहां-कहां खुल चुके हैं ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि—

(१) अब तक बारह खुल चुके हैं और १० और खुलने की संभावना है।

(२) वाकया यह है कि आपने पूछा है कि बनाये गये हैं तो बन तो एक भी नहीं रहा है। बारह खोले गये हैं। नाम यह हैं, आगरा, अलीगढ़, कोसी कलां, मथुरा, बरौत, मेरठ, ओरई, औरैया, बहराइच, गोंडा, इलाहाबाद और कानपुर।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है :—

(१) अब तक ३७ खुल चुके हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६३ और खुलने की सम्भावना है।

(२) वाकया यह है कि आपने पूछा है कि बनाये गये हैं तो बन तो एक भी नहीं रहा है ३७ खोले गये हैं, नाम यह हैं:

(१) आगरा
(२) अलीगढ़
(३) कोसी कलां (मथुरा)
(४) बरौत (मेरठ)
(५) मुजफ्फरनगर
(६) खुरजा (बुलन्दशहर)
(७) औरैया (इटावा)
(८) ओरई (जालौन)
(९) बहराइच
(१०) इलाहाबाद
(११) बरेली
(१२) कानपुर
(१३) अतर्रा (बांदा)
(१४) धामपुर (बिजनौर)
(१५) बिन्दकी (फतेहपुर)
(१६) भरथना (इटावा)
(१७) फैजाबाद
(१८) बलरामपुर (गोंडा)
(१९) गोरखपुर
(२०) हापुड़ (मेरठ)
(२१) हाथरस (अलीगढ़)
(२२) कांसगंज (एटा)
(२३) लखनऊ
(२४) मैनपुरी
(२५) मौरानीपुर (झांसी)
(२६) मेरठ
(२७) शाहजहांपुर
(२८) सीतापुर
(२९) उझानी (बदायूं)
(३०) डिबाई (बुलन्दशहर)
(३१) इटावा
(३२) गाजियाबाद (मेरठ)
(३३) कौंच (जालौन)
(३४) मथुरा
(३५) पीलीभीत
(३६) सिरसागंज
(३७) वाराणसी

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३९ पर)

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष—(श्री अलगूराय शास्त्री से) आपके पैर में तकलीफ है, इसलिये आप बैठकर ही उपस्थित कर दें ।

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १०,६३,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५—वनों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १०, ६३, २०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५—वन

श्री अलगूराय शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,७८,५२,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, वन हमारे देश और हमारे प्रदेश की बहुमूल्य सम्पदा है । इसके महत्व पर जो कुछ किया जा सकता है या उसके संबंध में जो तर्क दिये जा सकते हैं उन सब की समता और तुलना उन शब्दों से नहीं की जा सकती जो कविहृदय रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी "तपोवन" नामक पुस्तक में लिखा है । मैं उसके कुछ उद्धरण आपकी आज्ञा से देना चाहता हूं । रवीन्द्र बाबू कहते हैं :

"परन्तु भारतवर्ष में यह एक आश्चर्यजनक बात देखी गई कि यहां की सभ्यता का मूल प्रस्रवण (सोता) नगर में नहीं, वन में है । भारत वर्ष का प्रथमतम आश्चर्यकारी विकास जहां दिखाई देता है, वहां मनुष्य के साथ मनुष्य बहुत ही नजदीक सटकर बिल्कुल गुट बांधकर नहीं बैठे, वहां वृक्ष-लता और नदी सरोवरों को मनुष्य के साथ मिलकर रहने का काफी अवकाश मिला था । वहां मनुष्य भी था और निर्जनता भी थी—धक्कम धक्का नहीं था । फिर भी, उस निर्जनता या सुनसान ने भारतवर्ष के चित्त को जड़ सा नहीं बना दिया, बल्कि उसकी चेतना को उज्ज्वल कर दिया था । ऐसी घटना संसार में और भी कहीं हुई है, ऐसा तो नहीं मालूम होता ।

हम लोगों ने यही देखा है कि जो मनुष्य परिस्थिति-वश जंगल में घिर जाते हैं, वे क्रमशः जंगली हो जाते हैं । या तो वे व्याघ्र की तरह हिंसक हो जाते हैं या फिर हरिण के समान भोले बने रहते हैं ।

परन्तु प्राचीन भारतवर्ष में, हम देखते हैं, अरण्य की निर्जनता ने मनुष्य की बुद्धि को पराभूत नहीं किया बल्कि उसे ऐसी एक शक्ति प्रदान की थी कि उस वनवास से निकली हुई सभ्यता की धारा ने समस्त भारतवर्ष को अभिषिक्त कर दिया और आज तक उसका प्रवाह बन्द नहीं हुआ ।

भारतवर्ष में जो बड़े-बड़े दो प्राचीन युग बीत चुके हैं—वैदिक युग और बौद्ध युग—इन दोनों युगों को वन ही ने धात्री के रूप में धारण किया है । केवल वैदिक ऋषियों ने ही नहीं,

[श्री अलगूराम शास्त्री]

भगवान बुद्ध और महावीर ने भी कितने ही आम्रवनों और कितने ही वेणुवनों में अपने उपदेशों की वर्षा की है—राज प्रासाद में वे अमाये ही नहीं—वनों ने ही उन्हें अपने हृदय से लगाया था ।

क्रमशः भारतवर्ष में राज्य साम्राज्य और नगर नगरियों की स्थापना हुई । देश विदेशों के साथ उसके वाणिज्य का आदान-प्रदान चला—अन्नलोलुप कृषि क्षेत्र ने धीरे-धीरे छाया—निमृत अरण्यों को दूर से दूर हटा दिया परन्तु उस प्रतापशाली ऐश्वर्यपूर्ण यौन दृप्त भारतवर्ष ने वन का ऋण स्वीकार करने में कभी भी लज्जा का अनुभव नहीं किया । तपस्या को ही उसने अन्य समस्त प्रयासों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया है और वनवासी प्राचीन तपस्वियों को ही अपना आदि पुरुष मानकर भारतवर्ष के राजा, महाराजाओं ने भी गौरव अनुभव किया है ।

"विचित्रबालुकाजलां हंससारसनादिताम्
रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम् ।"

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह क्या पूरा भाषण पढ़ा जायगा रवि बाबू का, इस अनुदान के संबंध में ?

श्री अलगूराय शास्त्री—मैं उनकी पूरी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं । श्रीमन्, केवल उतना ही अंश उद्धृत कर रहा हूं जितना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—आप जारी रखें । आप उत्तर न दें ।

एक सदस्य—इसकी इस समय आवश्यकता क्या है ?

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब यह है कि सदस्यगण पहले वनों का महत्व तो समझ लें । (हंसी)

श्री अलगूराय शास्त्री—जिन तरु गुल्म अथवा पुष्प शालिनी लताओं को सीता ने पहले कभी नहीं देखा था, उनके बारे में वे राम से पूछने लगीं । उनके अनुरोध से लक्ष्मण उन्हें पुष्पमंजरी से भरे हुये अनेक प्रकार के पौधे और लतायें ला लाकर देने लगे । वहां विचित्र बालुका-जल-युक्त और हंस सारसों से मुखरित नदी देखकर जानकी मन ही मन आनन्द का अनुभव करने लगीं ।

पहले पहल वन में जाकर राम ने चित्रकूट पर्वत पर जहां आश्रय लिया था वहां वे—

"सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटं नदी च तां 'माल्यवती' सुतीर्थान् ।
ननन्द हृष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहो च दुःख पुरविप्रवासात् ।"

उस सुरम्य चित्रकूट, उस सुतीर्था माल्यवती नदी, उस मृग पक्षियों से सेवित वन-भूमि को प्राप्त हो कर राम पुरविप्रवास के दुख को त्यागकर संतुष्ट चित्त से आनन्द करने लगे ।

"दीर्घकालोषितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवनप्रियः ।"

गिरि-वन के प्रेमी रामचन्द्र दीर्घकाल तक उस पर्वत पर वास करते हुये एक दिन सीता को चित्रकूट का शिखर दिखाकर कहने लगे—

"न राज्यभ्रंशनं भद्रे न सुहृद्भिर्विनाभवः ।
मनो मे बाधते दृष्ट्वो रमणीयमपि गिरिम् ।"

"इस रमणीय पर्वत को देखकर राज्य-च्युति भी मुझे दुःख नहीं देती, सुहृदों से दूर रहना भी मेरे लिये पीड़ा का कारण नहीं होता ।"

वहां से राम जब दंडकारण्य पहुंचे तो वहां उन्हें आकाश से सूर्य-मंडल के समान तेज तापस-आश्रम का मंडल दिखायी दिया । यह आश्रम "शरण्यं सर्वभूतानाम" सब प्राणियों के लिये शरण था । वह ब्राह्मी लक्ष्मी द्वारा समादृत था । वहां की कुटीरें सुमाजित थीं, चारों तरफ कितने ही मृग और कितने ही पक्षी विद्यमान थे । राम का वनवास इसी तरह व्यतीत हुआ था । कभी रमणीय वन में और कभी पवित्र तपोवन में । राम के प्रति सीता का और सीता के प्रति राम का प्रेम परस्पर एक दूसरे से प्रतिफलित होकर चारों तरफ के मृग पक्षियों को आच्छन्न कर देता था ।

भारतवर्ष का हिमालय पवित्र है । भारतवर्ष का विंध्याचल पवित्र है । भारतवर्ष की नदियां जो लोकालयों को अपनी अक्षय धारा से स्तन्य दान करती आ रही हैं वे सबकी सब पुण्य सलिला हैं । हरिद्वार पवित्र है, ऋषिकेश पवित्र है, गंगा में यमुना का मिलन पवित्र है, समुद्र में गंगा का अवसान पवित्र है ।"

श्रीमन्, जो अनुदान हम इस सदन से मांग रहे हैं वह ऐसे ही पुनीत वनों की रक्षा, उनके विकास तथा उनमें विचरने वाले पशुधन की रक्षा के लिये है । जिनके महत्व पर एक हल्का प्रकाश विश्वकवि रवीन्द्र नाथ के शब्दों में झलकता देख पड़ता है ।

यही नहीं, हमारे विभाग की कार्यविधि को संचालित रखने के लिये १९६१–६२ में इस अनुदान से वनों की रक्षा और विकास में ही सहायता नहीं मिलेगी, अपितु इससे प्रदेश की सरकार को वनों से एक बड़ी धनराशि भी प्राप्त होगी ।

प्राचीनतम अतीत काल से वनों का मनुष्य जीवन के साथ गहन संबंध रहा है । देश के आर्थिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे लिये ईंधन के वे अक्षय स्रोत रहे हैं । गृह निर्माण के लिये उपयोगी लकड़ी, युद्ध सामग्री बनाने के लिये, घर सजाने और सुखपूर्वक बैठने, लेटने के लिये सामान बनाने के निमित्त कार्य में आनेवाली लकड़ी तो वन हमें देते ही हैं, वनों में उगने वाली घास से हमारे पशु पलते हैं । बांस, लाख, गोंद, कत्था, लीसा, वारनिश की सामग्रियां तथा अगणित औद्योगिक वस्तुयें और पौधे हमें वनों से ही उपलब्ध होते हैं ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि जिस प्रकार से वन मंत्री महोदय अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं क्या उसी तरह से इस सदन के प्रत्येक सदस्य को भी आप लिखा हुआ भाषण पढ़ने की अनुमति देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है । मंत्रियों को यह अधिकार है कि जब वे इस तरह का स्टेटमेंट दें तो लिखित ले आ सकते हैं क्योंकि वह उन्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ देना पड़ता है । जो वक्तव्य वे देते हैं उसके ऊपर से उनको आप पकड़ भी लेते हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है या जो कुछ कहा है, उसको उन्हें पूरा करना है । लेकिन किसी सदस्य के ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है, अगर होती तो उनको भी इजाजत मिलती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था आपने दी है उसका भाष्य भली प्रकार से हो जाय क्योंकि मैं यह नहीं समझता कि आपने कोई ऐसी व्यवस्था दी है कि मंत्रियों को सामान्य सदस्यों से कोई अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि पार्लियामेंटरी पद्धति में मंत्रियों को सदस्यों के मुकाबले में कोई विशेष अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति में ही यह व्यवस्था है कि जो मंत्री कोई वक्तव्य देना चाहे वह लिखा हुआ वक्तव्य दे सकता है । उसको याद कर के तो वह आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, तौलकर कहना होता है । किन्तु सदस्य भाषण देते हैं, कोई वक्तव्य नहीं देते । वह अपने विचारों को किसी विषय पर प्रकट करते हैं ।

[श्री अध्यक्ष]

इन दोनों में थोड़ा अन्तर है ही । मंत्री निश्चय से कहते हैं कि इतना रुपया दिया जाय लेकिन साधारण सदस्य उसके अधिकारी नहीं हैं । वे यह भी नहीं कह सकते कि इस अनुदान में एक रुपया और बढ़ा दिया जाय । तो अन्तर तो है ही । उनकी एक जिम्मेवारी होती है । इसलिये यह निश्चित बात है कि जब तक यह व्यवस्था रहेगी, वह अन्तर भी रहेगा और इसीलिये वे लिखित वक्तव्य पढ़ सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे आज्ञा दें ताकि मैं इस संबंध में कोई उद्धरण पेश कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में पेश करें ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं निवेदन कर सकता हूं ? श्रीमन्, आज मुझे यहां चार साल हो गये और चार साल से भाषण सुनता आया हूं, लेकिन भाषण आज ही हो रहा है । यह हमारी पुरानी सभ्यता के माफिक है । इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । इसी प्रकार के भाषण दिये जायं तभी पुरानी चीज आ सकती है ।

श्री अलगूराय शास्त्री—मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि वनों के उन असंख्यात लाभों का विस्तार से वर्णन करना मेरे लिये इस समय अनावश्यक ही सा है जो समय समय पर मैं बताता रहा हूं । वन की कृपा से ही हमारी भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है । पर्वतों के उतार पर वृक्षमालाएं ही पर्वतों को धराशायी होने से बचाती हैं । भूमि की ऊपरी तह पर जो उर्वरता होती है, उसकी रक्षा वन के वृक्षों से ही होती है । कटाव को रोकना, भूमिक्षार के बढ़ाव को दबाकर रखना, जलवायु के ऊपर अच्छा प्रभाव रखना, यह सब वनों के मौलिक गुण हैं । नदियों के प्रवाह को नियंत्रण में रखना बाढ़ से बचाव, यह वनों की ही सुन्दर देन है । इसके अतिरिक्त वन ही हमें लकड़ियां देते हैं जिनसे हम अपने घर बनाते हैं और घरों को सुसज्जित करते हैं । यही नहीं, वन हमारे विचार, मन बहलाव के बड़े साधन हैं जहां जाकर राम भी इष्टजनों के वियोग को भूल गये थे ।

वनों में ही हमारे सम्पन्न पशुधन का आवास होता है । यह हमारे सुख के सम्पूर्ण साधन असाधारण महत्व के हैं ।

विश्व भर के वैज्ञानिक एकमत हैं कि समस्त भूमि का एक बड़ा भाग वृक्षों के नीचे होना चाहिये । इसी में देश का भौगोलिक एवं आर्थिक कल्याण है । हमारी राष्ट्रीय वन नीति यह निर्धारित करती है कि देश की एक तिहाई भूमि पर वन होने चाहिये । देश का हित इस बात पर निर्भर है कि देश की भूमि रक्षित हो, हमारे पौदों, पेड़ों से भूमि उर्वरा और वसुधारा कहे जाने योग्य हो । हमारे प्रदेश में दुर्भाग्य से केवल १.५ प्रतिशत भूमि ही वृक्षों के नीचे है जहां इसी देश में बंगाल में १६.७९ तथा मध्य प्रदेश में ४८.०३ प्रतिशत वन भाग है । विश्व के अन्य देशों में जो औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त समुन्नत हैं यह अनुपात अधिक है जैसे यूरप में ४१·३५, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में ३८.९०, यू० एस० ए० में ३३·३० और यू० एस० एस० आर० में ४५·०० ।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जितने ही विकसित देश हैं, उनकी वन संपदा उतनी ही अधिक है । हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे वन कुल भूमि के एक तिहाई क्षेत्र में होने चाहिये परन्तु संसार में विकसित देशों में ४०·४५ प्रतिशत तक भूमि का भाग वनों के नीचे है ।

वनों की मात्रा हमारे प्रदेश में जितनी कम होती गयी है, उससे चिन्ता उत्पन्न हो रही है । प्रति व्यक्ति जहां १९५०–५१ में वन हमारे यहां ०·१४३३ एकड़ थे वहां पिछले १० वर्षों में वह घट कर ०·१२१६ रह गये हैं । इस ह्रास का कारण मुख्यतः हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या है जो विगत जनगणना से ज्ञात हुई है ।

संसार के अन्य देशों में प्रति व्यक्ति वन की मात्रा को देखें तो अपने यहां की कमी और भी खटकती है ।

यूरोप—७.४१, रूस–१३.५९, उत्तरी अमेरिका–९.३९, मध्य अमेरिका–३.२६, दक्षिण अमेरिका—१८.०४ ।

हमारे यहां जिस निष्ठुरता से पिछले दिनों वनों का संहार हुआ है उसके पीछे कुछ भ्रम कार्य कर रहे थे । समझा जाता था कि वनों का अस्तित्व कृषि के लिये घातक है, वन पृथ्वी के ऊपर अनावश्यक भार है, ये बाधायें और अड़चन होकर खड़े हैं । इन भ्रमों का निवारण होना आवश्यक है । वनों के विनाश से हमारे ईंधन तथा उपयोगी काष्ठ सम्पत्ति का विनाश हुआ । भूमिक्षार बढ़ा, भूमि की उर्वरता नष्ट हुई, बाढ़ों की तीव्रता बढ़ी, सूखा पड़ना आरम्भ हुआ, नदियों का कटाव बढ़ा । ईंधन के घटने से गोबर जलाया जाने लगा । फलतः खाद की कमी हुई ।

यह सहज ही में समझ में आ जाने वाली बात है कि हमें अपने वनों की रक्षा ही करनी पर्याप्त नहीं है अपितु इन वनों की मात्रा और संख्या और बढ़ानी है । इस दिशा में प्रयत्न प्रारम्भ है । १९६० में भारतीय वन विधि में संशोधन करके व्यक्तिगत वनों की रक्षा का प्रबन्ध किया गया । जिससे वनों का मनमाना कटाव रोका जा सके, उनका सुप्रबन्ध किया जाय ।

कृषि वन की एक योजना जो हमने रखी है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना का एक नवीन अंग बन गयी है । इसके अनुसार हमारे ग्राम निवासी अपने ईंधन तथा पशु चारे के संबंध में आत्मनिर्भर हो सकेंगे । उन्हें उपयोगी काष्ठ साधन सुलभ होगा । इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें सफलता का आधार होगा स्थानिक जनवर्ग से सहयोग लेकर काम करना । इसके द्वारा अधिक ईंधन उत्पन्न होगा । उसी अनुपात में कम जला कर खाद के रूप में काम आयेगा । चारे की सुलभता से पशुधन बढ़ेगा । खाद बढ़ेगी, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी ।

२४०.००० एकड़ भूमि में ६ लाख रुपये के व्यय से ग्रामों में वन लगाते हैं । यह कम्युनिटी सहायता और सहयोग से होगा । कारण कि जिस भूमि पर यह वन लगेंगे वह प्लानिंग के अधीन विकास खंडों के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में आते हैं जिनपर वन विभाग का कोई अधिकार नहीं है ।

यद्यपि गत १० वर्षों में लकड़ी तथा जलाने की लकड़ी के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, ३० लाख घन फुट लकड़ी, ४० लाख घनफुट जलाने की लकड़ी, तो भी इनकी न्यूनता सदा की भांति बनी हुई है । हमारा प्रति व्यक्ति लकड़ी का व्यय १.०० घनफुट ही है । अब .२ घनफुट इमारती लकड़ी और .८ घनफुट जलौनी की तुलना कीजिये अन्य देशों से:—

घनफुट			
१८.७०	..	..	इंगलैन्ड
६३.५०	..	..	अमेरिका
१६.००	..	..	फ्रांस और
१३.४०	..	..	जापान ।

इस कमी की पूर्ति के लिये वन विभाग अधिक वन लगाने तथा वनों के विकास की अन्य कार्यवाहियों में तत्परता से लगा हुआ है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में १३८.८२ लाख रुपये व्यय किये गये । ३,९०० वर्ग मील का व्यक्तिगत वन क्षेत्र वन विभाग ने अपने प्रबन्ध में ले लिया । १७,२[illegible]० कड़

[श्री अलगूराय शास्त्री]

भूमि में नये वन उगाये गये। ४०० मील सड़कों के दोनों ओर पेड़ों की हरियाली खड़ी की गई।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में २७१ लाख की धनराशि से १५ योजनाओं के अन्तर्गत नये वन लगाने, भूमि संरक्षण तथा विकासात्मक कार्यों में विभाग ने तत्परता दिखाई। १९६०-६१ के वर्ष में ही ८४ लाख व्यय हुआ। इस योजना की अवधि में ५९,६५१ एकड़ में औद्योगिक महत्व की चीजों का रोपण और वपन हुआ। १३.८९१ एकड़ में साल वृक्ष का पुनर्वास किया गया। कुमायूं के १७३,००० एकड़ भूमि में प्रथम श्रेणी के वनों का विकास किया गया। यातायात के साधन सुलभ करने में ७७० मील सड़कें बनीं, ८७४ मील टेलीफोन के तार लगाये गये। व्यक्तिगत वनों के प्रबन्ध में १७,५१० एकड़ भूमि में वन लगाये गये। वन पशुओं के संरक्षण का एक और कार्य द्वितीय योजना काल में प्रारम्भ हुआ। दस हजार एकड़ भूमि जो गंगा और यमुना घाटी की भूमि है, वन लगाकर कटने से बचाई गई है। यह भूमि संरक्षण योजना के अधीन हुआ है।

इसी योजना के अधीन मिर्जापुर शहर को कटने से बचाने के लिये आगामी वर्षों में कुछ कार्य करना है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास की योजना के अन्तर्गत भी १९५९-६० से अब तक बहुत कार्य हुआ है। १,७०० एकड़ में औद्योगिक महत्व के पेड़ लगाये गये हैं। ३६ एकड़ भूमि में पौधे लगाने का काम हुआ है। औषधियों, जड़ी-बूटियों का रोपण भी किया गया है। ५३ मील सड़कें तथा २२ पुलियां बनाई गई हैं।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में ६०२ लाख रुपया वनीय कार्यों पर व्यय होगा जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। इसके अतिरिक्त ७५ लाख रुपया भूमि संरक्षण की योजनाओं पर व्यय होगा।

वन योजनाओं के प्रमुख अंग हैं:—

(१) औद्योगिक महत्व के वृक्षादि का लगाना।

(२) असम्पन्न वनों को सघन सम्पन्न बनाना।

(३) हीन अवस्था के वनों को समुन्नत करना।

(४) लोसे का उत्पादन बढ़ाना।

(५) यातायात के साधनों को उन्नत करना।

तथा

(६) कृषि वन को बढ़ाना।

ऊपर बताई गई योजनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी हैं जो वन सम्पदा को बढ़ाने में सहायक हैं। ये हैं:—

(१) खोज तथा कार्य योजना,

(२) प्रकृति संरक्षण,

(३) लकड़ी के संरक्षणात्मक प्रयोग,

(४) कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण,

(५) वन सम्बन्धी प्रकाशन एवं प्रचार,

(६) साधन समीक्षण एवं निर्माण-कार्य।

ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो जायगा कि वन विभाग कैसे उपयोगी कार्यों में संलग्न है जिसके द्वारा प्रदेश के वन धन को समृद्ध बनाया जा रहा है। प्रदेश की अनेक औद्योगिक प्रगति वन उपज पर निर्भर है। उनकी आवश्यकता के लिये कच्चे माल प्रस्तुत करने में वन

विभाग सतर्क रहता है। महत्वपूर्ण उद्योग जैसे तारपीन का तेल तथा दूसरे सामान बनाने के लिये लीसा आवश्यक है। नर्म लकड़ी जिससे खेलकूद के सामान, प्लाईउड, कागज, दियासलाई आदि बनती हैं, आवश्यक वस्तुयें हैं। वन विभाग इन सामग्रियों को जुटाता है।

श्रीमन्, वन की उपज की बिक्री सामान्यतः खुले नीलाम द्वारा होती है। हां, ऊपर बताये गये औद्योगिक कच्चे माल की बिक्री में कुछ अपवाद भी हुआ है। आपसी बातचीत के द्वारा समझौते से भी इनकी बिक्री होती है। परन्तु यह ध्यान रखा जाता है कि प्रचलित बाजार भाव से कम किसी दशा में भी इन व्यापारों में लगे हुये लोगों से समझौता करते समय न लिया जाय।

श्रीमन्, इतना निवेदन और करना है कि हमारे वन हमारे प्रदेशीय सरकार के लिये आय का एक बड़ा द्वार है। वन की आय उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। १९५६–५७ में ५.३१ करोड़ जो आय थी वह १९६०–६१ में बढ़कर ६.५५ करोड़ हो गई है। इसका अर्थ यह है कि पांच वर्ष में १.२४ करोड़ की वृद्धि हुई। हमें अपने प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिये धन चाहिये। वनों की मात्रा, उनकी सघनता बढ़ाकर हम औद्योगिक कच्चा माल भी प्राप्त करेंगे और रुपया भी—आम के आम और गुठली के दाम।

श्रीमन्, १५४ करोड़ के बजट में वन पर ३ करोड़ का ही व्यय है अर्थात् २ प्रतिशत और १४५ करोड़ की आय में वन विभाग की आय ६.२५ करोड़ है यानी ४ प्रतिशत। यह गतिशील नीति और कार्य-प्रणाली, मेरा विश्वास है, श्रीमन्, सदन में सराही जायगी और जो अनुदान प्रस्तुत है, वह बिना किसी हिचक के स्वीकृत होगा।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,७८,५२,७०० रुपये की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्योरा जिसपर चर्चा करने का अभिप्राय है और वन उपज तथा उनके वितरण में सरकारी गलत नीति की आलोचना करना।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी द्वारा जिस समय यह अनुदान प्रस्तुत किया गया उस समय उन्होंने वन की महत्ता दिखाकर और आंकड़ों के आधार पर सदन में यह साबित करना चाहा कि वन विभाग बड़ी सतर्कता से इस तरह का काम करने जा रहा है जो भारतीय परम्परा के ऋषियों, मुनियों के समय में होता था और जिस समय वह तप किया करते थे, उस समय जैसे हमारे वन थे और जो हमको स्फूर्ति देते थे उसी तरह का ढांचा हम बनाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसके द्वारा जो प्राप्त राजस्व है, उससे प्रदेश का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।

जहां तक और दूसरे देशों के आंकड़ों के आधार पर उन्होंने सदन में यह सिद्ध करना चाहा कि हमारे देश में वन का जो अनुपात है वह अन्य देशों से बहुत कम है, उसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में या देश में जो जनसंख्या है उसके आधार पर अन्य देशों से तुलना करें तो उनको यह मालूम हो जायगा कि हमारी समस्या अलग है और हमें अपने देश और प्रदेश की समस्या को देखते हुये ही वनों को बढ़ाना होगा।

जहां तक उन्होंने एक नक्शा खींचा भारतीय संस्कृति का, मैं बताना चाहता हूं जहां हमारे अध्यात्मवादी ऋषि मुनि अध्यात्मवाद के अनुसार अपने देश में आत्मबल पैदा करते थे वहां आज के फारेस्ट आफिसर या अन्य कर्मचारी जंगल में टेलीफोन के लिये और जानवरों की रक्षा के लिये करोड़ों रुपया व्यय करने के लिये सरकार से मांग करते हैं। जहां ऋषि मुनि जंगल में रह कर स्वाध्याय किया करते थे वहां आज जो रुपया खर्च होता है वह बड़े-

[श्री मलिखानसिंह]

बड़े बंगलों पर लाखों की तादाद में खर्च किया जाता है। जहां तक सड़कों का सवाल है सड़कों पर भी इस तरह से रुपया बहाया जाता है और पेड़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अगर मैं इस वन विभाग को घपला विभाग कहूं तो कोई गलत न होगा। उन्होंने अपने आंकड़ों के आधार पर इस सदन को हमेशा गलतफहमी में डाला। १९५८-५९ की रिपोर्ट में कहा है कि हमें वन से २,५२,९३९ रुपया प्राप्त हुआ है। जब कि एक प्रश्न के उत्तर में, लीसा के सम्बन्ध में, जो टरपेंटाइन कम्पनी को दिया गया है, और जो १५ फरवरी को दिया गया, यह स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने उस कम्पनी को ३,७९,०९९ मन लीसा दिया। इसी रिपोर्ट में जो पहले आंकड़े हैं और जो १५ फरवरी का प्रश्नोत्तर है उसमें कितना अन्तर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस विभाग के कर्मचारी मन्त्रिमन्डल को कितनी गलतफहमी में डाल कर सदन में गलत उत्तर दिलाते हैं।

लीसा के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में वन के द्वारा लीसा से सबसे अधिक आय हो सकती है। इस विभाग ने हमेशा टरपेंटाइन कम्पनी से गठबन्धन करके साल में हजारों मन लीसा बाजार भाव से कम दाम पर दिया है। बाजार भाव ३० रुपये से कभी कम नहीं रहा, लेकिन इस कम्पनी को १३ रुपये मन के हिसाब से दिया गया। इसी रिपोर्ट में यह भी दिया है कि ६ लाख मन लीसा इस कम्पनी को और देंगे। अगर बाजार भाव से इस लीसा के दाम लगाये जायं तो काफी फायदा सरकार को मिल सकता है। इस कम्पनी में सरकार की लागत ९१,५०,००० रुपये की है, खाली शेयर के नाम पर वन विभाग इस कम्पनी को बराबर लीसा देता रहा है १३ रुपये मन के हिसाब से जबकि बाजार भाव ३० रु० है। अब यह विचार किया है कि ६ लाख मन लीसा इस कम्पनी को देंगे तो इस समय बाजार का भाव ३४ से ४० रुपये तक है।

मैं जानना चाहता हूं कि १ करोड़ रु० से अधिक का घाटा जो हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? यहां दलील यह दी जा सकती है कि यदि हम लीसा को बाजार में फेंक दें तो शायद लीसा लेने वाले नहीं मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आज भी बरेली में या उसके आस-पास छोटी-छोटी लीसा की फैक्ट्रियां इतनी हैं कि जो लीसा बाजार भाव पर ले सकती हैं। अगर सरकार नीलाम कराये तो उसको अच्छे दाम मिल सकते हैं।

खैर के पेड़ के बारे में भी सरकार से कहा जाता है। ४०,००० खैर के पेड़ हैं जिसमें से १६,००० तो एक अंग्रेजी कम्पनी को दिये जाते हैं, ५,००० कृष्णा कत्था फैक्टरी को दिये जाते हैं और २,००० नजीबाबाद की एक फैक्टरी को दिये जाते हैं। सरकार की दलील थी कि खैर के पेड़ बाजार में ले जायेंगे तो इतना सरप्लस हो जायगा कि लोग लेंगे नहीं और पेड़ सड़ जायंगे। लेकिन पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में जब यह प्रश्न आया और यह कहा गया कि कत्थे के पेड़ों को आप बाजार में ले जाइये तो उसी आधार पर जब खैर के पेड़ बाजार में ले गये तो ३० लाख रुपया का फायदा सरकार को हुआ। जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने जोर दिया तब बाजार में ले जाये गये।

मैं जानता हूं मन्त्री जी यही कहेंगे कि लीसा की यदि हमने छूट करदी तो शायद उसको कोई लेने वाला नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि इसके अलावा कोई जवाब उनके पास हो नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, एक ओर से किसानों के चुने हुये प्रतिनिधियों को यहां पर बतलाया जाता है इस पूंजीपति सरकार द्वारा कि हम पैसा कहां से लायें और किसानों से यह सरकार दो करोड़ रुपया आबपाशी से वसूल करेगी और जो छूट उसे मिलती थी उसे खत्म कर दिया गया। अगर सिर्फ लीसे पर कन्ट्रोल करके कोआपरेटिव्स को और प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय तो अकेले लीसे से २ करोड़ से ऊपर का लाभ सरकार को हो सकता है जिससे उस किसान की मुसीबत दूर हो जाय, जिसमें वह दो महीने से पड़ा हुआ है। लेकिन माननीय मन्त्री कहते हैं कि यह हो नहीं सकता। होगा कैसे? होगा तो वहां जहां से चुनाव फंड मिलेगा।

किसान से तो मिलना कुछ है नहीं और पूंजीपति अगर नाराज हो गये तो चुनाव फंड में रुपया नहीं मिलेगा।

इसी तरह से स्टार पेपर मिल की बात में निवेदन करना चाहता हूं। यह स्टार पेपर मिल शाहजहांपुर में है। पेपर मिल से तय किया था कि हम १ लाख मन लकड़ी देंगे। लेकिन मिल को दो लाख मन लकड़ी दे दी। उस लकड़ी को दिया किस भाव पर यह देखना है। वह लकड़ी उस मिल को दी गई ७ पैसे फी मन के हिसाब से जबकि उसके दाम पहाड़ में १ रुपये ४ आने मन या १ रुपया मन के हैं। विभाग ने कहा कि यह लकड़ी बिलकुल बेकार है और बेकार लकड़ी होने के कारण हम उसे मिल को दे रहे हैं जिससे अपने प्रदेश की काटेज इन्डस्ट्री, इस पेपर मिल को प्रोत्साहन मिलेगा और दूसरे प्रदेशों से जो हमारे यहां कागज आता है उसकी पूर्ति अपना प्रदेश करेगा। लेकिन पेपर मिल वाले क्या काम कर रहे हैं? एक निमन्त्रण पत्र मिला २ अप्रैल, १९६१ को कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी उसका उद्घाटन करेंगे। अब मैं उससे यह समझूं कि दो साल से जो लकड़ी मिल वालों के पास रही वह लोगों को दो रुपये मन पर बेच दी गई या उस लकड़ी से कागज बनाया गया? हम तो यही समझेंगे कि इस विभाग ने उस मिल मालिक से सांठ-गांठ करके ७ पैसे मन, जो ढुलाई भी नहीं होती, उस ढुलाई से भी कम दाम पर मिल मालिक को लकड़ी दे दी जिससे लाखों रुपया सरकार का मारा गया। अगर बाजार में उस लकड़ी को बेचकर रुपया सरकार में जमा होता तो न जाने उससे कितना काम किया जा सकता था।

एक यह पुस्तिका भेजी गयी है सभी सदस्यों के पास और इसमें एस्टिमेट दिये गये हैं कि इतने पेड़ लगा देंगे। उसके बाद होता क्या है। उनका वह एस्टिमेट स्वयं गलत हो जाता है। जहां उन्होंने यह तै किया कि हम ४.२० लाख रुपयों में १,६४,५०० वृक्ष लगायेंगे वहां उन्होंने लगाये २० हजार फलदार वृक्ष ४९,९६८ रुपयों में। इसी तरह से आखिर में १,६९,९९८ फलदार वृक्ष लगाये गये ३,४८,२५० रुपये की लागत से। तो कहां इनका एस्टीमेट होता है और कहां काम होता है। इसी हिसाब से इन्होंने यह तय किया था कि १४ लाख रुपये में २६९ इमारतें बनायेंगे। बाद में ६ कुयें और जुड़ गये। लेकिन सन् ५९ में १३३ इमारतें और ३ कुयें बनाये गये जिसमें ७,३६,३९५ रुपये का व्यय हुआ। तो प्लान कुछ होता है और व्यय कुछ होता है। मंत्री जी यह जानते हैं कि मंत्रिपरिषद् में तो पास हो ही जायगा या शायद राजनीतिक चालों के कारण वे यह नहीं देख पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विभाग की जरा प्रगति भी बताऊं। मंत्री जी ने ५ साल का तो उदाहरण दे दिया लेकिन यदि हम सन् ५९-६० को लें तो इन्होंने २,४६,२५,००० रुपये खर्च किये जब कि आमदनी हुई ३,०९,७१,००० रुपये की। उसी के हिसाब से फिर जब दूसरे में इन्होंने किया तो २,७९,६९,००० रुपये खर्च करने पर ३,३९,५१,००० रुपये की आमदनी हुई। अब आगे प्लान में क्या है उसको उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, सदन से छिपाने की कोशिश की। १९६०-६१ में इन्होंने ३,१२,६३,००० रुपये का खर्च दिखाया है और आमदनी दिखायी है ३,४१,६९,००० रुपये की। मंत्री जी के भाषण से यह मालूम पड़ता था कि हम दिन प्रति दिन बहुत प्रगति कर रहे हैं लेकिन असलियत यह है।

अब, श्रीमन्, ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े अनुसन्धान कर रहे हैं। १९२१ से आज तक यह विभाग अनुसन्धान कर रहा है और उसका नतीजा क्या निकला? यही कि यदि पेड़ों को जानवरों से कटने से बचाया जाय तो हम वन संपत्ति को बढ़ा सकते हैं और वन ज्यादा बढ़ेंगे। इस साल के अनुसंधान की यह रिपोर्ट है। इस बात को तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि जानवरों से रक्षा के लिये हमें पेड़ के आस-पास कुछ न कुछ लगाना चाहिये। वह बात इन्होंने इतने दिनों के अनुसन्धान के बाद मालूम कर पायी। तो इस तरह से अनुसन्धान के नाम पर ये

[श्री मलिखानसिंह]

जनता का रुपया खर्च करते हैं और अपने कुछ लोगों का पोषण करते हैं। यदि इनको अनुसंधान करना था तो कोई नयी रिसर्च करते जिसके आधार पर अच्छे पेड़ लगते, उनकी सुरक्षा होती, जंगल बढ़ते और अपने प्रदेश का हित होता।

इसके बाद मंत्री जी के विभाग में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। अब जरा देखिये उनकी हालत क्या है। जहां तक फारेस्ट गार्ड का सवाल है २५ रु० से ४० रु० तक उसका ग्रेड है प्लस ५ रुपया और। इसके बाद फारेस्टर का ६० रु० से ११० रु० का ग्रेड है, डिप्टी रेन्जर का ७५ रु० से १२० रुपये तक और रेन्जर का १२० रु० से ३०० रुपये तक का ग्रेड है। पे कमीशन ने १९४७ में यह तय किया था कि २००-४५० का ग्रेड रेंजर का रखा जाय और इस तरह से हर एक कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस पे कमीशन की रिपोर्ट पर क्या ध्यान दिया ? अल्प वेतन भोगी जो जंगलों में पड़े रहते हैं, उन्हें शेर का सामना करना पड़ता है और जंगली सुअरों से भी बचना पड़ता है, उनके लिये मंत्री जी ने क्या इंतजाम किया है ? क्या उनको जंगली बनाकर रखना चाहते हैं ? इस तरह से २५ रुपये में एक आदमी जानपर खेलकर दिन रात जंगलों में रहता है जहां कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, जहां शिकारी जानवर रहते हैं, वहां वह रहता है। उसके रहन-सहन के लिये मंत्री जी ने कोई इंतजाम किया है जिससे वह अपना जीवन यापन ठीक तरह से कर सके ? क्या मंत्री जी ने कोई प्रबन्ध किया है ? अगर शेर उनको मार दे तो उनके लड़कों के लिये पेंशन या पढ़ने लिखने की कोई व्यवस्था की है ?

इस तरह की किसी बात से मंत्री जी ने माननीय सदस्यों को अवगत कराने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कुछ नहीं बताया सिवाय इसके कि उन्होंने यह कहा है कि हम जंगलों के आधार पर रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और ऋषि मुनियों के तपोवन का स्थान ठीक कर रहे हैं। इससे मुझे एक बात की याद आ गई कि एक सूर्य कुटी आगरे में है, मुझे पता नहीं मंत्री जी वहां गये हैं या नहीं। उसकी क्या हालत है ? वहां पर प्राचीनकाल की इमारतें बनी हुई हैं जिसमें विश्वनाथ जी की मूर्ति बनी हुई है। वहां यमुना नदी है इस कारण से वहां कोई रेस्ट हाउस नहीं बना है जिससे वहां पर जाने वालों को कुछ सुविधा मिल सके। इस तरह से नैनीताल में एक चीना पीक है, वहां पर चारों तरफ से टूरिस्ट जाते हैं और जो नैनीताल जायगा वह वहां जरूर जायगा। वहां फारेस्ट विभाग नीलाम करके ठेकेदार से १,४०० रुपये वसूल करती है लेकिन वहां दो आने गिलास पीने का पानी मिलता है। हमारी सरकार ने यह प्रबन्ध किया है जिसके लिये वे कहते थे कि हम जंगल में मंगल करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, कहा यह जाता है कि हम जनता की भलाई के लिये कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि हमने फारेस्ट विभाग इसलिये खोला है कि इसमें घास पैदा होगी जिससे जानवर रहेंगे और दूध मिलेगा। मंत्री जी मुरादाबाद गये होंगे, वहां के ग्वाले जिनको गूजर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर प्रतिबन्ध न लगाइये। हमारा उद्योग-धंधा जानवर चराना है और जानवरों के बेचने से हमारी आमदनी बढ़ेगी। मुझे पता नहीं कि मंत्री जी ने उनकी बात मानी या नहीं। लेकिन वहां के गूजर परेशान हैं। अगर जंगल के हिस्से में उनके जानवर चले जायं तो वे पकड़ लेते हैं। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, जंगल विभाग जहां कोई लाइन खींच देता है वहां पड़ोसी गांवों के रहने वाले परेशान हो जाते हैं। उनके जानवर वहां चरने नहीं जा सकते हैं। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि जिससे दूध और घास का उपयोग हो सके। यदि जंगल के किनारे जो गांव हैं, वहां के लोग अपने जानवरों का पालन-पोषण जंगल में चरा कर कर लें तो इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं होता। जब कि पेड़ छोटे-छोटे हों तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये।

मैंने सुना है, सही हो या गलत, एक आदमी एक पेड़ की छाल छील रहा था। माननीय मंत्री जी दौरा कर रहे थे। मंत्री जी ने कहा कि इसको बन्द कर दो क्योंकि इसने राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग किया है। यह मुझे बताया गया।

श्री अलगूराय शास्त्री—गलत है ।

श्री मलिखानसिंह—मुझे यह बताया गया है, यदि गलत होगा तो मैं वापस ले लूंगा । जब ऊपर के लोग ऐसा करेंगे तो इससे कर्मचारियों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के द्वारा जितना रुपया खर्च हो रहा है वह अधिकतर इनकी लकजरी पर, रेस्ट हाउसेज पर, सड़कों के ऊपर और अपने स्वार्थ के ऊपर व्यय किया जा रहा है। इसलिये इनको एक पैसा नहीं देना चाहिये हालांकि मैंने उसमें एक रुपया रख दिया है। यह कह कर मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय वन मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ऐसे विभाग को संभाला है जिसका न केवल संबंध चन्द लोगों से है बल्कि प्रत्येक किसान और प्रत्येक जीव मात्र से है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय जंगल विभाग के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों के मानव हृदयों में इन्सान के प्रति कुछ रहम की भावना की भी वृद्धि करने की कृपा करेंगे ।

मैं केवल उदाहरण के तौर पर विभाग की आमदनी और खर्च के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। विभाग का १९५०–५१ का खर्चा था ९९ लाख ९५ हजार। वह १९६१–६२ में हो गया ३ करोड़ १२ लाख ६५ हजार। इस प्रकार आमदनी दुगने से कम हुई लेकिन खर्चा तिगुने से अधिक बढ़ गया। इस पुस्तिका में दिया हुआ है कि तेंदू की पत्तियों से बुन्देलखन्ड, बांदा, सोन, दुद्धी तथा वाराणसी डिवीजन में ५ लाख ९६ हजार रुपये की आमदनी १९६०–६१ में हुई, जब कि १९५७–५८ में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि केवल बांदा डिवीजन में ४ लाख २६ हजार की आमदनी तेंदू की पत्ती से हुई थी। १९५८–५९ में यह आमदनी घटकर १ लाख ५३ हजार रुपये हो गयी। आप यह कह सकते हैं कि पत्ता खराब हो गया होगा, मौसम खराब हो गया होगा, भाव गिर गया होगा। ऐसी बात नहीं है। उसी से लगा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका है । वहां की आमदनी दुगनी, तिगुनी और चौगुनी बढ़ती गयी है, यही हाल लकड़ी का है। वन रक्षा के नाम पर वन कर्मचारी हरे पौधों और पेड़ों को कटवाते चले जा रहे हैं । उसकी तरफ हमारे विभाग का कोई ध्यान नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वनों की आवश्यकता प्रत्येक देश को है चाहे हमारे अन्न उत्पादन के लिये हो, चाहे वर्षा के लिये हो, किसी के लिये भी हो वनों की अहमियत से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ उन वनों की रक्षा के नाम पर वहां पर इन्सानों की सुरक्षा भी रहनी चाहिये और इन्सानों के साथ इन्सानियत का बर्ताव होना चाहिये ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तालबेहट रेन्ज में सैकड़ों और हजारों पेड़ कट गये। गाड़ियों पर और ठेलों पर बहुत-सा सामान बाहर निकल गया । वन कर्मचारियों ने पांच रुपया फी गाड़ी और पांच से पचीस रुपया फी ठेले पर बहुत-सा माल वहां से बाहर निकाल दिया। इस चोरी की शिकायत की गई, लेकिन क्या हुआ इसका पता नहीं है। इस रिश्वत की शिकायत मैं यहां पर इस सदन में पहले एक बार कर चुका हूं। उसके संबंध में मालूम नहीं हो सका कि क्या कार्यवाही हुई ।

इसके आगे की बात अब मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे खिलाफ ८ मई, १९५९ को एक रिपोर्ट थाना तालबेहट में लिखाई गई । यह रेन्ज अफसर ने मेरे खिलाफ ३५३ दफा के मातहत झूठी रिपोर्ट लिखाई। मैं उसकी नकल भी अपने साथ लाया हूं। वह रिपोर्ट इस प्रकार है कि पुलिस ने लिखा है कि मजनून तसदीक से इत्तला बढ़ी चढ़ी मालूम होती है जिसकी जांच होना जरूरी है। बाद जांच जैसी सूरत होगी कार्यवाही जाब्ता अमल में लाई जायगी ।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री वीरसेन, पीठासीन हुए ।)

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

इसके बाद मान्यवर, जांच हुई और मेरे खिलाफ गवाहों के कलमबन्द बयान भी दफा १६४ के मातहत हुए जो मजिस्ट्रेट के सामने लिये गये। ८ मई, १९५९ की यह बात है। इसके बाद मैंने २० मई, सन् १९५९ को माननीय मुख्य मंत्री के पास लिखा कि इस घटना की जांच होनी चाहिये क्योंकि यह हमारी मान-मर्यादा का प्रश्न है और एम०एल०ए० के मान और अधिकार का प्रश्न है, लेकिन क्या उस पर कार्यवाही हुई इसका पता नहीं। इसके बाद मैंने जिला मजिस्ट्रेट से भी यह मांग की कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जावे। अगर इसमें मेरी गलती है तो उसके लिये मैंने उनसे कहा कि मुकदमा चलना चाहिये लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने भी कहा कि पहले जांच होगी और उसके बाद जैसी सूरत होगी कार्यवाही की जायगी। उसकी जांच हुई और बाद को जिला मजिस्ट्रेट ने बतलाया कि वह गलत रिपोर्ट थी और उसमें मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैंने सरकार को लिखा कि हमारी प्रार्थना पर ध्यान दिया जाय और हमारे ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है। यदि इस तरह से नहीं किया जायगा तो फिर इन्साफ हमको कैसे मिलेगा। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर मुख्य मंत्री जी को लिखा तब जाकर उस मामले को सी० आई० डी० को दिया गया है और इस मामले में सी० आई० डी० की जांच हुई है। २८ सितम्बर, ६० को लखनऊ से सी० आई० डी० के सुपरिन्टेन्डेन्ट झांसी पहुंचे थे और मुझसे पूछताछ की थी। तभी मालूम हुआ कि सी० आई० डी० की जांच हुई है। सी० आई० डी० ने क्या रिपोर्ट दी है यह मालूम नहीं हो सका है। वह रिपोर्ट तो माननीय मुख्य मंत्री के पास होगी। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह व्यवहार यहां के विधायकों के साथ आपके वन विभाग के अधिकारियों का है तो वहां की गरीब जनता के साथ और बेजबान हरिजन गरीबों के साथ क्या व्यवहार होगा यह आप अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा कई बार इस सदन में हो चुकी है। अब मैं आपके सामने आगे की एक घटना की चर्चा करना चाहता हूं।

गत वर्ष जब २ अप्रैल को माननीय महमूद अली खां, तत्कालीन सभासचिव जांच के लिये गये थे तो उन्होंने अपनी एक जांच रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के लिये मैंने २९ जुलाई, १९६० को वन मंत्री महोदय से मांग की थी तो वन मंत्री महोदय ने उस समय कहा था कि उस जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं होगा। २९ जुलाई को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के जरिये से इस सवाल को उठाया था। पूरक प्रश्नों में यह पूछा गया था कि क्या कार्यवाही की गई तो बतलाया गया कि कुछ कार्यवाही की गई है और बाकी आइन्दा कार्यवाही की जायगी। पूरक प्रश्न के उत्तर में वन मंत्री ने हमको यह बतलाया था कि इसमें जंगल विभाग के अधिकारी ही दोषी नहीं हैं बल्कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों का भी दोष है, कुछ लोगों के ऊपर कुछ अदालती कार्यवाही हो रही है। वह मामला अदालत में गया है और अलग-अलग क्या जिम्मेदारी है, इन सब वाकयात के मालूम होने पर कुछ किया जायगा। क्या किया गया है यह अभी मालूम नहीं है। जिस मुकदमें की चर्चा किया गया है उस मुकदमें का फैसला भी ३१ अगस्त, ६० को हो चुका है। फारेस्ट सैटिलमेन्ट अफसर की कोर्ट में वह मुकदमा था और उसमें १२ आदमी जेल में बन्द हुए थे, फिर वह जमानत पर थे। वह आग लगाई गई नवम्बर में और ३१ अगस्त, ६० में फैसला हुआ और वे निर्दोष बरी कर दिये गये। यह अदालत का फैसला है जिसकी कापी मैंने वनमंत्री के पास भेजी है। पहले उत्तर में कहा था कि जबरदस्ती झोपड़ी बनाई थी, इसलिये आग लगा दी गई। लेकिन उसके बाद २८ दिसम्बर को सारे पेपरों में बौखलाहट हुई और आलोचनायें हुईं तो कहा गया कि झाड़ झंखाड़ जोड़ कर झोपड़ियां बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था। तो घास फूस बल्ली जो जंगल की ही थी उसमें आग लगाई गई थी। मैं इस सिलसिले में उसका हवाला देना चाहता हूं कि जो सरकारी फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के फारेस्ट गार्ड और सरकार के लेखपाल का बयान है। (लाल बत्ती होने पर) मैं, अधिष्ठाता महोदय, प्रार्थना करूंगा कि मुझे दो तीन मिनट का समय और बढ़ाने की कृपा करें। मामला बहुत आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है। आप बोलिये।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि लेखपाल ने और फारेस्ट गार्ड ने अपने बयान में कहा है कि अगस्त में जब वह मौके पर गये थे, उस समय देखा और मैजिस्ट्रेट ने लिखा है कि लेखपाल ने कहा है यह कि जब मैं वहां पर गया था तो वहां एक से अधिक झोपड़ियां थीं और फारेस्ट गार्ड का कहना है कि एक झोपड़ी थी और इसके बाद २८ दिसम्बर के अपने बयान में वन मंत्री जी का कहना है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। यह अदालत का हवाला मैंने दिया जिसके लिये वन मंत्री महोदय ने २९ जुलाई को कहा था कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने उनको निर्दोष पाया और बरी कर दिया। इस फैसले की प्रतिलिपि मैं वन मंत्री महोदय की सेवा में १५ फरवरी को भेज चुका हूं। इसके पन्ने ५ पर झोपड़ियों वाला हवाला दिया हुआ है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आगे भी कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। अभी हाल ही में, अखबार पढ़ने वाले सदस्यों को मालूम होगा कि मार्च के महीने में वहां थाना जाखलोन में एक आदमी की माता की समाधि तोड़ कर फारेस्ट की चौकी बनायी जा रही है। एक ठेकेदार ने उसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और उसका फल यह हुआ कि उसका ३५ हजार रुपये का ठेका रोक दिया गया, फारेस्ट की सड़क पर उसका ट्रक चलाना रोक दिया गया। जब कुछ नहीं हो सका तो २८ तारीख को यहां आया और उसने माननीय वन मंत्री जी को प्रार्थना-पत्र दिया पर कोई सुनवाई न होने के कारण उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिटपिटीशन किया। उस पिटीशन को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस धवन ने लिखा है कि अगर इस रिट में लिखी गयी शिकायतें सत्य हैं तो मालूम होता है कि वह वन अधिकारी वहां नादिरशाही मचाये हुए हैं और अपने नादिरशाही फरमान जारी कर रहा है। यह है वन विभाग का दोष। तो मैं वन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष में जिस प्रकार की ज्यादतियां वहां पर हुई हैं उनके लिये एक हाई लेविल कमेटी नियुक्त होनी चाहिये और इस सब की जांच की जाय।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है उन बेजबान हरिजनों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उन्हें जो जेल में ठूंसा गया है, वे काफी परेशान किये गये हैं और एक एक पेशी पर ५० मील चलकर उनको जाना पड़ा है और उसके बाद अदालत ने उनको निर्दोष पाया और छोड़ दिया, इसके लिये कुछ न्याय किया जाना चाहिये। अदालत ने यह भी लिखा है कि वह जमीन फारेस्ट की ही है यह भी निश्चित नहीं है। वह १४८ एकड़ जमीन है जिसमें १४० एकड़ फारेस्ट की है और ८ एकड़ गांव सभा की है। वह फारेस्ट अफसर किसी पोलिटिकल सफरर का लड़का हो सकता है, लेकिन वे हरिजन भी अपने बाप के लड़के हैं। वे नदी में बहते हुए नहीं आये, वे खैरात में नहीं आ गये। मैं चाहता हूं कि इसमें इंसाफ किया जाय। हम यहां इंसाफ के लिये बैठे हैं। अन्यथा यदि वन विभाग के सारे अधिकारी जानवरों की वृत्ति से काम करेंगे तो सारे प्रदेश में वन ही वन रह जायंगे। इंसान के साथ कैसा बर्ताव होगा उसे आप स्वयं ही समझ सकते हैं और वह इस प्रदेश को छोड़ कर यहां से रफूचक्कर हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, वन हमारी संपत्ति है और हमारे ऋषियों ने तपोवन में रहकर हमारी संस्कृति में चार चांद लगाये हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। लेकिन आज प्रश्न यह है कि अंग्रेज जब हमारे यहां से गये उस समय यह वन विभाग एक कार्मशियल विभाग था या अब बन गया है। हमें जो सन् १९६० की इस विभाग से संबंधित पुस्तिका मिली है उसके पृष्ठ ९ पर कुछ मदों के अन्तर्गत व्यय और आय के आंकड़े दिये गये हैं। इसमें आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व के पौधों को लगाने के संबंध में १ करोड़ रुपया का व्यय दिखाया गया है और १०५ लाख रुपये की आय दिखाई गई है। दूसरे कम मूल्य के भारी संख्या वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

वृक्षों के वनों को अधिक मूल्यवान वनों में परिवर्तित करना---इसमें १२० लाख का खर्च है और १२० लाख रुपये की ही आय दिखाई गई है । इस तरह से जो कुल टोटल आय और व्यय का है वह इस प्रकार है---आय ४०४.६७५ लाख और व्यय ५३७ लाख । यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़े हैं । यह कितनी विचित्र बात है कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन यह अनुमान लगा लिया गया है कि वह नौकरी भी करेगा, इतना रुपया अपने बाप को देगा, इतना खर्च करेगा आदि । इसके लिये मैं विभाग के अधिकारियों की तारीफ करूंगा कि उन्होंने यह सब पहले से ही लिख कर दे दिया । इन बातों को देख कर यही नतीजा निकलता है कि यह एक कामर्शियल डिपार्टमेन्ट है ।

इसी पुस्तिका में अंग्रेजों से पहले क्या आमदनी थी उसको दिया है और वह २०,५०,००० रुपये हैं । उसके बाद में पिछले तीन सालों के आंकड़े और आपके सामने रखना चाहता हूं, १९५८-५९ में ३,०९,७१,००० रुपये, १९५९-६० में ३,३९,५१,००० रुपये और १९६०-६१ में ३,४१,९६,००० रुपये । इसको देखने से आपको पता चलेगा कि करोड़ों रुपये की आमदनी इस सरकार की बढ़ती चली जा रही है । यहां मैं दूसरे प्रान्तों के आंकड़े भी आपको सेवा में पेश करना चाहता हूं । वहां पर बचत हमारे यहां से कम है । श्रीमन्, १९६०-६१ में आसाम में कुल रेवेन्यू १३८.२३ लाख रुपये, मद्रास में १३५.८४ लाख रुपये, वेस्ट बंगाल में १४४.०८ रुपये है । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आमदनी वनों से बढ़ती जा रही है और वह जैसा कि मैंने कहा १९६०-६१ में ३ करोड़ ४१ लाख ९६ हजार है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह कामर्शियल विभाग नहीं है ? आज जब हम कहते हैं कि आप सस्ती कीमत पर लोगों को लीसा दीजिये, तो सरकार कहती है कि हमारी आमदनी कम हो जायगी ।

श्रीमन्, हमारे यहां जंगल १३.५ फीसदी हैं यानी १५३२३ स्क्वायर मील जंगल हैं हमारे यहां । इसमें ४७ फीसदी जंगल पहाड़ों में हैं और ३ फीसदी प्लेन्स में हैं । यह परसेन्टेज ६० और २० फीसदी होना चाहिये था । आज यू० एस० ए० और यू० एस० एस० आर० में टोटल लैंड का १/३ हिस्सा जंगलों से घिरा है । इसका मतलब यह है कि वहां पर ३३ फीसदी भूमि में जंगल हैं । हमको देखना चाहिये कि अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहां कितने जंगल थे और आज कितने जंगल हैं । अंग्रेजी शासन काल में हमारे यहां जंगल ज्यादा थे, लेकिन आमदनी कम थी, आज जंगल कम हैं और आमदनी ज्यादा है । मैं आपको जो टोटल एरिया है जंगलों का उसके भी कुछ सालों के आंकड़े देना चाहता हूं । १९५५-५६ में १३,०१३ स्क्वायर मील जंगल थे । १९५६-५७ में १३,०५४,१९५७-५८ में १२,९८८,१९५८-५९ में १२,९२० और १९५९-६० में १२,३८६ । तो इस प्रकार से यह संख्या १३ लाख से घट कर १२ लाख पर आ गई है । जिस समय जंगल ज्यादा थे तो आमदनी कम थी और अब कम हो गये हैं तो आमदनी ज्यादा होती जा रही है । इस तरह से हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और यही प्रगति रही तो आने वाली योजनाओं को भी हम ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं कर पायेंगे ।

अपने पर्वतीय प्रदेश के अन्दर उन लोगों की आवाज उठी थी जिन पर एक तानाशाही तरीके से पहले के विभागाध्यक्ष की नीति थी कि उनके हक हकूक छीन लिये गये थे । उसको मद्देनजर रखते हुये सरकार ने अपनी तथ्य शोधक समिति बनाई जिसका ध्येय था कि कैसे भूमिहीनों को बसाया जा सके, लोगों को हक हकूक कैसे दिये जा सकें और जलाने की लकड़ी कैसे और कहां से उनको मिल सके । लेकिन एक साल से ज्यादा हो गया वह आपकी तथ्य शोधक समिति कहां गई ? मैं भी उसके ३२ सदस्यों में से हूं । यह सरकार की पालिसी है कि अगर कहीं देर करनी हो तो एक कमेटी बैठा दीजिये । भट्ट जी भी उस कमेटी के सदस्य थे, लेकिन वह बड़े दूरदर्शी हैं । जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं होने वाला है तो उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया । अकलमन्द लोग ऐसा ही करते हैं । तो हमें उस तथ्य शोधक फारेस्ट कमेटी का पता ही नहीं । उस डिपार्टमेंट में बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, उनको अपने पैमाने से सबकी जांच नहीं करनी चाहिये, बल्कि उस पैमाने

से जांच करनी चाहिये कि यह कमेटी क्यों बैठाई गई थी। ६० हजार रुपया भी खर्च हो गया। उस समय तो बड़ी गवाहियां ली थीं। यही लोग कहते हैं कि जब हम अपने इलाके में जाते हैं तो सब कुछ हमें फेस करना पड़ता है। तो सेक्रेटरियेट लेविल पर मैं सबको अपना मित्र समझता हूं। आज हमें जनता के प्वाइंट आफ व्यू को सामने रखना है, डिगनिटी आफ आफिस को नहीं। मैं आशा करता हूं कि नये विभागाध्यक्ष विशेष रूप से ध्यान देंगे।

आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। वन बन्दोबस्त हो रहा है, उसमें जमीन गांव से ली जा रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ १०–१०, ५–५, ८–८ साल पहले की खाम जमीन में फारेस्ट डिक्लेयर कर दिये गये। ज्योली कोट, नैनीताल में मकानों में भी खूंटी लग गई और एक आलीशान आफिसर रख दिये गये जो सुनते ही नहीं। मैं समझता हूं कि हमारा दृष्टिकोण डेमोक्रेटिक होना चाहिये। जो जनता की जायज जरूरत हैं उनको पूरा करने के बाद अगर ज्यादा आमदनी होगी तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर जनता के सारे हकों को ताक में रख दें और आमदनी बढ़ायें तो मंत्री जी भले ही खुश हो लें, लेकिन जनता और प्रदेश खुश नहीं हो सकते। इसलिये जो वन बन्दोबस्त हो रहा है इसमें जांच होनी चाहिये। चाहे विभागीय जांच की जाय, कि रेवेन्यू विभाग के द्वारा जितनी जमीनें अलाट हुई थीं वह ज्यादातर फारेस्ट डिक्लेयर कर दी गई।

पर्वतीय प्रदेश में जमीन की क्या समस्या है, इस पर पन्त जी ने एक किताब लिखी थी "प्राब्लम्स आफ कुमायूं फारेस्ट", उसमें यह सब बताया गया था कि भूमिहीनों को कैसे बसाया जायगा। फारेस्ट कमेटी के वह सदस्य थे, उस समय उसकी बड़ी अहमियत थी, आज कुछ नहीं है। पहले के विभागाध्यक्ष कहा करते थे कि किसी विशेष हकूक की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे खुशी हुई कि सदन की जो मांग थी और २२ लाख जनता की मांग थी कि एक आई० एफ० एस० की जगह एक पी० एफ० एस० को भेजा जाय, वह पूर्ण हुई। आज के जो विभागाध्यक्ष हैं वह जनता को जानते हैं और अगर वैसा ही रवैया बरतेंगे तो उनके साथ भी वही व्यवहार हो सकता है जो पहले विभागाध्यक्ष के साथ हुआ था। इतने आदमी कांग्रेस राज्य के वन में रहते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

दूसरे, मान्यवर, किसी रेन्ज का अगर कोई एरिया तबदील किया जाता है तो उसके लिये पहले सरकार की राय ली जाती है। लेकिन, मान्यवर, खटीमा-टनकपुर रेंज का जो एरिया था उसको पीलीभीत रेंज में बदल दिया गया बिना सरकार से इजाजत लिये हुए। मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व विभागाध्यक्ष का क्या कोई अलग राज्य था?

मान्यवर, वहां पर ४० हजार भूमिहीनों की समस्या है। रामनगर में कटहे और खत्ते रहते हैं, उनकी समस्या है। (लालबत्ती होने पर) श्रीमन्, पांच मिनट और दे दिये जायं?

श्री अधिष्ठाता—आप दस मिनट बोल चुके हैं, अभी दो मिनट आपके और हैं।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, फारेस्टर अगर जंगल में रहता है, उसके बच्चे रहते हैं और अगर उसको दूध नहीं मिल पाता तो मैं खुलेआम कहता हूं कि उनको दूध देना हमारा कर्त्तव्य है, लेकिन अगर कोई अफसर यह कहे कि वह अफसर हैं लिहाजा उसका खयाल किया जाय तो यह बात उचित नहीं है।

मान्यवर, पर्वतीय प्रदेश में गृह उद्योग खोलने के लिये लीसा नहीं मिलता है। और दूसरी ओर टर्पेन्टाइन फैक्टरी को जो लीसा दिया जा रहा है उसमें जनता का ६० लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। वहां पर लीसा की पैदावार दिन प्रति दिन बढ़ रही है। टर्पेन्टाइन फैक्टरी को पांच लाख मन लीसा १५ रुपये मन के भाव दिया जा रहा है जबकि २५–३० रुपया मन का आम भाव है। इसमें साठ लाख रुपये की रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है।

[श्री प्रतापसिंह]

मान्यवर, अगर मैं जंगलात के कर्मचारी फारेस्टर व चपरासी इत्यादि के बारे में कुछ न कहूं तो यह बहुत बड़ी ज्यादती होगी । पतरौल, चपरासी और रेंजर, इन लोगों के बच्चों की पढ़ाई का प्रबन्ध जंगलात विभाग की तरफ से होना चाहिये ।

मान्यवर, पिछली कैबिनेट के साथ बैठने वाले एक सदस्य थे जिन्होंने देहरादून में जाकर इस विभाग के एरिया में शिकार खेला, बिना किसी इजाजत के । जो फारेस्टर पकड़ने गया उसकी मैं कद्र करता हूं । उसने इंक्वायरी की और कहा कि कितने चीतल और कितने मुर्गे मारे । उसको बताया गया कि दो चीतल और दो मुर्गे, लेकिन मारे गये चार चीतल और चार मुर्गे । मान्यवर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने कहा कि मैं अभी मुख्य मंत्री को टेलीफोन कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं रहना चाहता । तो मान्यवर, उस फारेस्टर ने कहा कि आप तो मिनिस्टर हो जायेंगे लेकिन मैं ऐसे आदमी के अन्डर में काम नहीं करना चाहता, मैं खुद इस्तीफा देता हूं । मान्यवर, फारेस्ट डिपार्टमेन्ट का रवैया आज तक अनडेमोक्रेटिक रहा है, विभाग ने जनता में कभी जाने की आवश्यकता नहीं समझी । लेकिन अब विभाग में जो चेंज हुआ है उसको जनता ने वेलकम किया है और मैं आशा करता हूं कि उस चेंज को मेन्टेन किया जायगा ।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की आज्ञा प्रदान की । माननीय महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का स्वागत करते हुये और माननीय मंत्री महोदय ने जो जंगल की महत्ता बतलाई उसका भी स्वागत करते हुये, इस बात को मानता हूं कि जंगल हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है । यह निर्विवाद है कि जंगल हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है और उसकी रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का कर्त्तव्य है और जो विभाग उसकी रक्षा के लिये कायम किया गया है उसका तो यह प्रथम कर्त्तव्य है ही । लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपके सम्मुख यह प्रार्थना करूंगा कि जहां इस विभाग ने जंगल की तरक्की के बहुत से कार्यक्रमों को अपना रखा है और उसकी तरक्की भी काफी हुई है, वहां साथ ही जंगलों की जितनी रक्षा होनी चाहिये उतनी विभाग द्वारा सन्तोषजनक रूप से नहीं हुई है । जंगल से हमें राष्ट्र की बहुत सी कमजोरियों को दूर करना है । जैसे भुखमरी का सवाल है, जिसके बारे में सदन में कई बार कहा जा चुका है और भूमिहीनों की समस्या है जिसके लिये मैं कई बार आदरणीय सदन में प्रश्न उठा चुका हूं कि यह तमाम बातें कहां से पूरी होंगी ।

यह निर्विवाद है कि यदि जंगलों से तजवीज कर कुछ भूमि इसमें दे दी जाय तो यह सारी शिकायतें दूर हो सकती हैं । इसके लिये आज से पेश्तर कई बार प्रार्थना-पत्र दिये गये थे और अब भी दिये जा रहे हैं और जैसा अभी माननीय प्रतापसिंह जी ने दरशाया कि कुमायूं के भूमिहीनों की समस्या बहुत जटिल है और उसमें बड़ी-बड़ी घपलेबाजियां हो रही हैं बल्कि यहां तक कि इसके जरिये से वन विभाग के कार्यक्रमों से जनता में काफी असंतोष पैदा हो रहा है ।

यह तो मैं नहीं कहता कि वन विभाग के सभी कर्मचारी ऐसे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ में खास प्रबन्ध है । उनसे जब रिपोर्ट मांगी जाती है कि जमीन भूमिहीनों को दी जाय, तो वे उसके लिये कतई ध्यान नहीं देते हैं और न सही रिपोर्ट देते हैं । जब मुझसे कहा गया, क्योंकि मैं भी सेवक हूं और मैं बहुत वर्षों से वहां कुमायूं में हरिजनों की सेवा कर रहा हूं और उस देश के निवासियों की सेवा कर रहा हूं, कि यह भूमि की समस्या कैसे हल हो सकती है तो मैंने लिख कर दे दिया कि ५० हजार एकड़ भूमि तक मिल सकती है । किस प्रकार ? हम जंगलों का नुकसान नहीं करना चाहते, लेकिन बगैर नुकसान किये हुये भी ५० हजार एकड़ की मांग पूरी हो सकती है बशर्ते कि वन विभाग के कर्मचारी नेकनीयती, राष्ट्रीय दृष्टि से इसका इंतजाम कर दें । सहृदयता से अगर जमीन देना चाहें तो दे सकते हैं ।

मैंने ऐसे आंकड़े दे रखे हैं । मेरे पास समय नहीं है और जो समय है उसमें खास खास बातें कहनी हैं, लेकिन यह ५० हजार एकड़ भूमि रामनगर डिवीजन, कालागढ़ डिवीजन, हलद्वानी

डिवीजन और कुमायूं सर्किल में, जिसमें न सरकार का नुकसान हो न जंगल विभाग का, इसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन इसके लिये वन विभाग के लोग तैयार नहीं हैं।

भूमिहीन अधिकतर हरिजन लोग हैं। हालत यह है कि जब बहुत हल्ला गुल्ला हुआ और सत्याग्रह हुआ तो ३ हजार एकड़ भूमि मालधन चौड़ में देने के लिये तय हुआ, लेकिन उसमें से २ हजार एकड़ ही दी है और बाकी एक हजार एकड़ नहीं मिली, लेकिन दरख्वास्त जब ली गयी थी तो ३ हजार एकड़ की ली गयी थी। दरख्वास्त दिये हुये लोग २–३ वर्ष से पड़े हुए हैं। हमारे यहां के और जो एम० एल० ए० हैं उन को भी यह सब हाल मालूम है। इसके अलावा और भी हम लोगों ने आंकड़े दिये हैं। खास-खास स्थानों के जैसे गेड़ा खाली, बाग-जाला, चांदनी आदि स्थानों के नाम दिये हैं। वे मेरे पास यहां भी लिखे हुए हैं लेकिन यहां पढ़ने का समय नहीं है। उनको मैं वन मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को और वन विभाग में भी दे चुका हूं। उन को देखा गया और कहा गया कि हम मौका देखेंगे। हम लोग अब उस मौके के इन्तजार में हैं। इसकी वजह से वहां बहुत झगड़े हो रहे हैं। बड़ा असंतोष वहां लोगों में है। इसलिये आप उस असंतोष को दूर करने की कोशिश करें। कर्मचारी तो, सरकार जो कहगी वही करेंगे इसलिये सरकार को इस मसले को तय करवाना चाहिये।

गरीबों का उत्थान हो, हरिजनों का उत्थान हो, खाली इन शब्दों के कहने से उत्थान नहीं होगा। उत्थान तो तब होगा जब कि उन लोगों को उत्थान के साधन दिये जायंगे। राष्ट्रीय सरकार को बने १४ साल हो गये, यह मसला तब से ही नहीं, उससे भी पहले से चला आता है। अंग्रेजों के जमाने में भी था। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में इतनी देर नहीं लगती थी, कम से कम कुछ सुनवाई तो हो ही जाती थी। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार, जिसका नारा गरीबों को उठाने का है, वह भी इस मसले को १४ साल में तय नहीं कर पायी है। और मामलों की मैं नहीं कहता कि देश की तरक्की नहीं हुई, लेकिन तरक्की और विकास किसका हुआ? तरक्की और विकास उन्हीं लोगों का हुआ है जिनकी पहले तरक्की थी और जो पहले ही विकसित थे लेकिन जिनको विकास की जरूरत थी उनका विकास नहीं हुआ है। जहां रोशनी थी वहां रोशनी हुई है और जहां अंधेरा था वहां रोशनी नहीं हुई। भुखमरों को अन्न नहीं दिया गया है, उन्हीं को दिया गया है जिनको अन्न खाते-खाते पेचिश हो रही थी। भुखमरों को साधन नहीं दिये गये। जो रात-दिन भूमि कमाते हैं उनको भूमि दी जाय। जो हरिजन बड़े-बड़े लोगों की भूमि कमाते हैं उनकी हालत बहुत खराब है। वह आराम में नहीं हैं। सरकार का उचित प्रबन्ध न होने से ऐसा है। यह प्रबन्ध कर दिया जाय तो एक माह में ही हालत सुधर सकती है। हमारे यहां के जितने एम० एल० एज० तिवारी जी आदि हैं उनको यह सब हाल मालूम है।

हमारे महात्मा जी ने भी भारत के लिये ही कहा था, अमेरिका के लिये नहीं कहा था, जो सुधरे हुए हैं उनके लिये क्या कहा जाय? जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के लिये कहा जा सकता है, तो मेरा भी यही उद्देश्य है और उन्हीं के लिये मैं कहता हूं और कहते-कहते परेशान हो गया हूं। बहुत समय हो गया लेकिन आज तक यह मसला तय नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार उस राष्ट्रीय नीति को अख्तियार करे जिससे सब का भला हो और यदि हमारे मंत्री महोदय तथा सरकारी वन विभाग के कर्मचारी चाहें तो यह मसला तय हो सकता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा वन मंत्री का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं जो इस पुस्तिका में लिखा हुआ है कि जमींदारों ने तमाम जंगलों को उजाड़ दिया और मजरुआ जमीन बना कर किसानों के नाम पट्टा कर दिया। यह सरकार प्रदेश की जनता को क्यों धोखे में डाल रही है, अपने ऊपर दोष क्यों नहीं लगाती? देश आजाद हुआ और अंग्रेजों ने वन विभाग को उनके जिम्मे कर दिया था, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार और उनके वन विभाग वाले अधिकारी क्या कर रहे हैं, सरकार अपने को क्यों नहीं कहती कि यह हमारा दोष है। जमींदारी के खात्मे में अधिक

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

दिन लगा कर उसने जमींदारों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने जंगलों को बेच कर उनसे पैसा पैदा कर लें। आज जो यह वन विभाग के सम्बन्ध में सरकार पैसे मांग रही है और जो यह फ़जूलखर्ची करती है, यदि प्रदेश की जनता सचेत होती तो इस तरह से पैसे का दुरुपयोग करने पर वह एक मिनट के लिये भी कांग्रेस सरकार को उस गद्दी पर टिकने नहीं देती और उसे खींच कर बाहर कर देती।

इस पुस्तिका में लिखा हुआ है—जंगल, ऊसर नदी के कटाव, धरती का कटना, आंधी और बीमारी आदि से भी स्वास्थ्य की रक्षा होती है। परन्तु आज तक १३ वर्ष बीत चुके हैं, मैं तो यह देखता आया हूं कि दिन पर दिन ऊपर बढ़ते गये हैं, सैलाब आते गये हैं धरती भी कटती रही है, आंधियां भी बड़े वेग से आती रही हैं परन्तु लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता ही गया है और बीमारियां भी अनेक तरह की फैलती रही हैं। उसका कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि वन नीति तो आज है उससे वनों की कोई तरक्की नहीं हुई है बल्कि अंग्रेजी जमाने से भी उसकी अवनति हुई है। पैसा तो अधिक खर्च किया गया है लेकिन वह पैसा बड़े-बड़े भवनों के बनाने में, सड़कों के बनाने में तथा बड़े-बड़े अफसरों के ठहरने और उनकी सुरक्षा के लिये खर्च किया गया है। सरकार को आमदनी भी सरकारी वन से नहीं हुई है बल्कि यदि हिसाब लगाया जाय तो ठेकेदारों के वन से, जो उनके निजी वन थे, उनसे आमदनी हुई है। फिर अधिकारियों और बड़े-बड़े अफसरों को एक लाभ और हुआ है।

जो यह सरकार कहती है और जैसा कि इस पुस्तिका में लिखा हुआ है कि जंगल की शोभा चिड़िया से तथा जंगली जानवरों से होती है, यह सत्य है परन्तु वन के बड़े-बड़े अधिकारियों, बड़े-बड़े पूंजीपतियों और सेठ साहूकारों के लिये ही आज जंगलों की सुरक्षा की जा रही है। आज ये जंगल उनके लिये शिकारगाह और मनोरंजन के साधन हो रहे हैं। मैं आप को बताऊं कि आज जितने भी अधिक से अधिक अफसर हैं, आप उनको देख सकते हैं कि वे हमेशा शिकार खेलते हैं और वे गोश्त खाते हैं। आखिर वे गोश्त कहां से लाते हैं? वे इन जंगलों की चिड़ियों को मार कर ही खाते हैं। अगर आप आज गणना करावें कि आज जितने जंगल हैं उनमें कितने जंगली जानवर हैं और कौन-कौन चिड़ियां उन जंगलों में बसेरा ले रही हैं तो असलियत मालूम हो जायगी। मैं आप को बाराबंकी की स्थिति बतलाऊं कि बाराबंकी से फैजाबाद को जो सड़क गयी है उसके किनारे जंगल लगाया गया है, मेरा तो नित्यप्रति उस तरफ से आना-जाना होता है, मैं जानता हूं कि जिले के जितने भी सरकारी अफसर हैं वह वहां मोटरों से जाते हैं और जा कर शिकार खेलते हैं और वहां के चिड़ियों और जानवरों को मार-मार कर लाते हैं और खाते हैं और दूसरे साथी अफसरों और कलेक्टर को वह जानवर लाकर सौगात के रूप में बांटते हैं। यह सब इन जंगलों में हो रहा है।

दूसरे, गोबर के विषय में कहा जाता है कि उसको खाद के काम में लाया जायगा और उससे चारा और अन्न का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्य समस्या हल होगी और जानवरों को चारा मिलेगा जिससे दूध दही की नदियां बहेंगी। जो जंगल सरकार ने जबरदस्ती कब्जे में किये हैं वहां पर जो किसान सैकड़ों वर्ष से जमीन जोतते और बोते थे वहां आज जंगल विभाग जबरदस्ती कब्जा किये है। सूरजपुर-फैजाबाद-बाराबंकी रोड पर जंगल विभाग ने किसानों को भूमिहीन करके उनकी जमीनों को ले लिया। अहीर, वनमानुष जातियां और अनुसूचित जातियां और हरिजन लोग, जो वहां बकरियां, भैंस और गाय पालकर जीवन चलाते थे, उनके जानवरों के चरने के लिये अब कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वह जानवर मजरुआ जमीन में तो जा नहीं सकते। जो बाग थे उनको भी काट-काट कर खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है। यह लखनऊ में लकड़ी कहां से आ रही है? यह वहीं से आ रही है।

आज कोई एक बेट के लिये वहां लकड़ी नहीं पा सकता, अंगुल भर लकड़ी भी नहीं रह गयी है। जब लकड़ी की इतनी कमी है तो फिर यह रोटी पकाने का काम किस चीज से लिया जायगा

और किस तरह से गोबर खाद के लिये बच सकता है ? लकड़ी की कमी के कारण गोबर से ही ईंधन का काम लिया जाता है। लोगों के बाढ़ में तमाम मकान गिर गये, लेकिन किसी को मकान बनाने की लकड़ी का परमिट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बड़े-बड़े बाग उजड़ रहे हैं और तहसीलदार और कानूनगो को रिश्वत देकर परमिट कट रहे हैं और शहर को लकड़ी चली जा रही है। जो वनमानुष हैं वह पतरिया से अपना काम चलाते थे, लेकिन वह भी उनको नहीं मिलती। यह वन विभाग की हालत है और यह व्यवहार है जनता के साथ।

घास के संबंध में मैं बताऊं। सैलाब के मौके पर जानवरों को चारे की बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन वहां घास बरबाद होती है और वहां वन के अधिकारी घास बेचकर अपना पैसा पैदा करते हैं। अगर सरकार इस जंगल की घास को कटवा कर जमा रखे और आपत्ति के समय में किसानों को दे तो जानवरों की रक्षा हो सकती है। सैलाब के समय या आग लगने पर जानवरों को मुफ्त घास दी जाय या ऐसे अवसरों पर कुछ हिस्सा वन का जानवरों को चराने के लिये अलग कर दिया जाय। लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह का कोई इंतजाम आपत्ति के समय में नहीं होता। मसौली के ताल्लुकेदारों ने बागों के लिये ४० हजार रुपया सरकार से लिया, वहां कोई पेड़ नहीं लगाये गये और कह दिया गया कि पेड़ पाले बाढ़ से सूख गये। अगर वाकई में सरकार अपने वनों की रक्षा करना चाहती है तो जो उस के बड़े-बड़े अधिकारी हैं और जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं और निजी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, उनसे अधिकार लेकर इन वनों को अपने-अपने ग्राम समाजों के मातहत रखा जाय। और उन जंगलों की वह रखवाली कर सकें और निरीक्षण कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी सुविधा रहेगी।

जंगलों में जो जंगली जानवरों का मुकाबला करते हैं उनके रहने के लिये कोई ठिकाना नहीं है। जानवरों का हमला हो तो कोई दवा-दारू का इंतजाम नहीं है। आज बड़े-बड़े भवनों और सड़कों पर रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन वहां के जो रहने वाले हैं जो कि जंगली जानवरों का मुकाबला करते हैं उन पर रुपया नहीं खर्च किया जाता है। आज होता यह है कि सड़क के किनारे बढ़ई लगे हुये हैं और जंगल की लकड़ी से तख्त और कुर्सियां बन बनकर अफसर लोगों के घर में जा रही हैं।

श्री अधिष्ठाता––आपका समय समाप्त।

श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)––अधिष्ठाता महोदय, जो वन अनुदान सदन में पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, हमारे देश में एक समय था जब वन अधिक और आबादी कम थी और जंगलों की व्यवस्था पर कोई विचार नहीं किया जाता था। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है, ऋषि मुनि लोग जंगलों में विचरण किया करते थे, आश्रमों में रहते थे, उस समय जंगलों की कोई खास व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। फिर एक वक्त आया जब कि आबादी बढ़ी और वन धीरे-धीरे खत्म होने लगे, तब यह समस्या सामने आई। हमारे देश में सन् १८५७ का जब गदर हुआ और ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन खत्म होकर पूर्णतया ब्रिटिश सरकार का शासन लागू हुआ, इसी समय एक अंग्रेज वाइसराय ने सन् १८६४ में ब्रिटिश पार्लियामेंट को वनों के प्रबन्ध के संबंध में लिखा जिसके अनुसार एक व्यवस्था कायम की गई और यहां पर वनों के संबंध में कुछ नियम बनाये गये। उसी दौरान में देहरादून में एक वन विभाग की अनुसंधानशाला भी खोली गई और इस प्रकार सारे देश में वन विभाग की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। इसी वक्त इंडियन फारेस्ट ऐक्ट बना जो अभी तक लागू है।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक वन बढ़ाने का प्रश्न है, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, हमारे देश की खुशहाली और प्रदेश की खुशहाली तभी संभव हो सकती है जबकि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में वन हों, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे

[श्री रामचन्द्र उनियाल]

प्रदेश में उतने वन नहीं हो सके जितने कि होने चाहिये। जंगल काफी बढ़े, इस ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिये। लेकिन आज तक विभाग की जो नीति रही है और अधिकारियों के जो रवैये हैं, उनसे तो यह साबित होता है कि जहां तक वनों के बढ़ाने का सवाल है वह उस ओर नहीं जा रहे हैं। मुझे जो कुछ देखने का मौका मिला उससे तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अधिकतर आज जो रवैया बरता जा रहा है उससे वनों का विकास नहीं, विनाश किया जा रहा है।

अधिष्ठाता महोदय, उदाहरणार्थ मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर्याप्त मात्रा में अधिकतर स्थानों में जंगल है। करीब ४७ परसेंट वहां जंगल हैं लेकिन आज वहां पर जहां तक जंगल बढ़ाने का प्रश्न है, लोगों को परेशान किया जाता है। जहां पर गांव हैं और काश्तकार लोग रहते हैं उन्हीं के पास उनका प्लांटेशन शुरू होता है, जहां निजन वन हैं वहां प्लान्टेशन अच्छी प्रकार हो सकता है किन्तु वहां नहीं लगाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं इस तरह की जो नीति है वह लोगों को परेशानी करने वाली है, क्योंकि यह इससे साफ जाहिर होता है। यदि उन स्थानों पर वन लगाये जायं जहां लोगों के काश्त करने का कोई सवाल नहीं है तो उससे वन बढ़ सकते हैं और जनता भी परेशानी से बच सकती है और जनसहयोग भी प्राप्त हो सकता है। पर अधिकारियों की मेहमानदारी कौन करेगा? इसलिये अधिकारीवर्ग गांवों के पास प्लान्टेशन करते हैं जिससे लोग परेशान हों, मजबूर हों और फिर लोग उनको खुश कर सकें, जेब गर्म कर सकें। मैं जिस क्षेत्र में घूमा हूं वहां मैंने यही देखा है।

इसी तरह से जहां ग्राम वासियों की पानी की जगह है या गोचर भूमि है, वहीं पर तार-बाड़ और प्लांटेशन लगा रहे हैं जिससे लोग परेशान होते हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र साधन जंगल हैं जिससे कृषि और नौकरी के अलावा लोगों की कुछ रोजी चलती है। लेकिन मुझे खेद है कि बढ़ रहे भ्रष्टाचार को देखते हुये विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लीसा के छोटे-छोटे सहकारी संघ या जड़ी-बूटी, चूना, पत्थर और करातचिरात आदि इकट्ठा करने वाले संघ अगर ऐप्लाई करते हैं तो विभाग उनको इजाजत नहीं देता, बल्कि उन बड़े-बड़े ठेकेदारों को जो विभागीय अधिकारियों की मेहमानदारी करते हैं, ठेके दिये जाते हैं। इसके मेरे पास तथ्य हैं। क्या इसकी जांच होगी?

गूजर लोगों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि वे लोग जंगलों को विनष्ट कर रहे हैं। होना यह चाहिये था कि गूजरों को एक जगह बसाया जाता। लेकिन ऐसा न करके उनको जंगलों में अलग-अलग स्थानों के परमिट दिये जाते हैं जिसकी वजह से उनके मवेशी जंगलों को बरबाद कर रहे हैं। तो ऐसी योजना होनी चाहिये जिससे सब गूजर लोग एक जगह रह सकें। यह ठीक है कि वह हमेशा से इस तरह की ही जिन्दगी बसर करते हैं लेकिन इससे उनके बच्चों की शिक्षा नहीं होती और उनको इधर-उधर जंगलों में रहने की छूट होती है जिससे जंगल बरबाद होते हैं। मैं उत्तर काशी और टेहरी-गढ़वाल से आता हूं, मुझको बहुत से गूजर मिलते हैं जो कहते हैं कि अधिकारी लोग उनसे दूध और घी लेते हैं, कुछ तो रियायती कीमत पर और कुछ डाली के तौर पर होता है। बड़े-बड़े अधिकारियों तक घी-दूध पहुंचाया जाता है। इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में वन की समस्या के विषय में बहुत शोर-गुल हुआ लोगों की परेशानियों का, जिसका नतीजा यह हुआ कि दो साल पहले सरकार का ध्यान इस ओर गया और एक फारेस्ट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नियुक्त की गयी। लेकिन मुझे खेद है अभी तक उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह वैसी ही पड़ी हुई है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उस कमेटी को बैठाया इसलिये गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो समस्यायें हैं, उनको सुलझाने के लिये अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। उसने सुझाव भी दिये थे। उस कमेटी ने चारों तरफ जाकर देखा तथा लोगों की गवाहियां लीं और उनकी दिक्कतों को सुना, इस पर सरकार का काफी रुपया भी खर्च हुआ।

परन्तु यदि वह रिपोर्ट ऐसे ही पड़ी रहेगी तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रों की जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिये, उनको सुविधायें देने के लिये जो रिपोर्ट में सुझाव दिये गये हैं उन पर तुरन्त विचार किया जाय। साथ में मैं मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि इस वर्ष उन्होंने कुछ सुविधायें पर्वतीय क्षेत्रों को प्रदान की हैं। इसके अलावा मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्र में बागबानी के लिये बहुत से लोग जमीन की मांग करते हैं। मैंने देखा है कि जंगलों के बीच, जहां पर जंगल नहीं हैं वहां बागबानी की ओर विभाग स्वयं ध्यान दे रहा है। इससे न बागवानी में कोई खास प्रगति होती है और न विभाग इस ओर ध्यान दे पाता है, इसलिये मैं चाहता हूं कि जो लोग बागबानी करना चाहते हैं और जमीन की मांग करते हैं, उनको विभाग की तरफ से जमीन और पेड़ दिये जाने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह (जिला खीरी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, श्री मलिखान सिंह द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश में वन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वन जलवायु को संतुलित करता है। जनता को उससे ईंधन और उद्योगों को लकड़ी प्राप्त होती है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां वन की आमदनी से बहुत सा खर्चा चलता है सरकार का। हमारे देश में वनों की कमी नहीं है, लेकिन मैं यह देखता हूं कि जितना दुरुपयोग वन का हमारे यहां होता है उतना कहीं नहीं होता। लड़ाई के जमाने में भी वन बहुत कटे और जिस वक्त जमींदारी उन्मूलन हुआ और प्राइवेट फारेस्ट्स सरकार ने लिये उस समय भी बहुत काफी तादाद में वन कट गये। इसका जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगा, वह यह है कि जिस वक्त फारेस्ट्स के कांट्रेक्ट्स होते हैं उस समय ठेकेदार लोग वन अधिकारियों से मिल कर बहुत अच्छे-अच्छे वृक्षों पर मार्किंग करा लेते हैं। अगर यह चीज चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारे यहां जितने भी अच्छे-अच्छे वृक्ष होंगे वे कट जायेंगे और सिर्फ खराब वृक्ष रह जायेंगे।

इसके लिये सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं जैसे कि प्लान्टेशन हो रहे हैं, और वन महोत्सव किये जाते हैं जिसमें हजारों और लाखों रुपये खर्च होते हैं पर मुझे दुख है कि यह सारा रुपया बरबाद होता है। जो लोग प्लांटेशन्स करते हैं, फारेस्ट गार्ड और फारेस्टर्स, वही उसकी देखभाल भी करते हैं। ये लोग ज्यादातर सिफारिश से आते हैं और उनको यह तमीज नहीं होती कि वृक्ष कैसे लगाने चाहिये, पौधे कैसे होने चाहिये, कब उनको पानी देना चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ट्रेनिंग सेंटर्स फारेस्ट गार्ड और फारेस्टर्स के लिये खोले जायं और उनको उसमें शिक्षा दी जाय। प्लान्टेशन के बारे में मुझे और कहना है। प्लान्टेशन अगर देश और मलबरी आदि वृक्षों के किये जायं तो खेल आदि के सामान की लकड़ी हमको मिल सकती। कुछ तो हो रहा है इस तरफ, लेकिन इसे और बढ़ाना चाहिये।

अब मैं एक बात प्राइवेट फारेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं। प्राइवेट फारेस्ट जिस वक्त सरकार ने लिये उस वक्त उनका कोई डिमारकेशन नहीं किया गया, यहां तक कि जो वहां अधिकारी हैं, जो फारेस्ट सेटिलमेंट आफिसर्स रखे गये हैं एक साल से डिमारकेशन उन लोगों ने किया और जैसा कि हमारे प्रताप सिंह जी ने कहा लोगों के मकानों के अन्दर तक खूंटे लगा दिये गये और रेवेन्यू रेकार्ड में ८, १० और १२ साल से जिनके नाम खेत चले जा रहे हैं वे भी खेत वन अधिकारियों ने अपने कब्जे में कर लिये। अगर फसल खड़ी है तो उन फसलों को जानवरों से चरा दिया गया और उनको किसी किस्म का कोई भी मुआवजा आज तक नहीं मिला। इस संबंध में भी मेरा अनुरोध है कि फारेस्ट का जो डिमारकेशन है वह रेकार्ड्स को देख कर ठीक किया जाय और जिनके खेत इस तरह से गलत आ गये हैं उनको वापस किया जाय और जो सही तरह से आये हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिये। इसमें एक बात और भी कहनी है। वह यह कि अगर कोई काश्तकार कहीं जंगल से लकड़ी काट लेता है या कोई पत्ती

[श्री जगदीशनारायणदत्तसिंह]

तोड़ लेता है तो सरकार के अधिकारी उसको पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर जुरमाना करते हैं और ऐसा जुरमाना करते हैं कि जो वह कभी दे ही नहीं सकता, उनकी गाड़ियां पकड़ लेते हैं, उनको जला देते हैं और उनको बरबाद कर देते हैं। मुझे इस बात के लिये सरकार से अनुरोध करना है कि इसकी तरफ जल्द और उचित ध्यान देना चाहिये।

चरागाहों के लिये भी मुझे कहना है कि जिस समय जमींदारी उन्मूलन हुआ, प्राइवेट फारेस्ट्स लिये गये लेकिन आजतक काश्तकारों को अपने जानवर चराने के लिये कहीं भी कोई जगह नहीं दी गयी और अगर उनके जानवर जंगलों में घुस जाते हैं तो उनको पकड़ कर बन्द कर लिया जाता है और उन पर जुरमाना किया जाता है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब मुझे कुछ शिकार के सिलसिले में कहना है। मैं यह देखता हूं कि आजकल जितनी भी कालोनाइजेशन स्कीम्स या फार्म्स वगैरह सरकार की तरफ से दिये जाते हैं वे सब जंगल के ही पास या उनको ही साफ करके दिये जाते हैं। वहां पर कुछ लोगों ने तो अपना यह पेशा कर रखा है कि या तो उनके खेतों में जानवर आ जाते हैं या उसी बहाने वे जंगलों में घुस कर जानवरों को बुरी तरह मारते हैं और उस गोश्त को खुले बाजार में बेचते हैं। इसके लिये वाइल्ड लाइफ गार्ड भी रखे गये हैं। लेकिन मुझे दुःख है कि वे लोग भी इन्हीं के साथ शामिल होकर जो वहां के जन्तु हैं, और कुछ तो ऐसी स्पेसीज हैं कि जो बिलकुल ही खत्म होती जा रही हैं, उनको मारते हैं। तो इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये और कोई ऐसा कानून बनना चाहिये जिससे कि खुले बाजार में जो यह गोश्त बिकता है यह रोजगार बन्द हो।

इसके साथ मुझे एक चीज और कहनी है। मैं देखता हूं कि जो फारेस्ट्स के डिवीजन्स या ब्लाक्स हैं उनमें मेडिकल एड की बहुत परेशानी है। २०-२०, ३०-३०, ४०-४० मील तक कोई मेडिकल एड नहीं मिलती है। मेडिकल एड होनी बहुत आवश्यक है इसलिये कि वहां उनके भी अधिकारी, रेंजर्स, फारेस्टर्स, फारेस्ट गार्ड्स वगैरह रहते हैं।

इसके बाद मुझे कुछ लीसा के बारे में कहना है। बरेली फैक्टरी को करीब ढाई लाख मन लीसा दिया जाता है और उन्हें १२ लाख रुपये का फायदा होता है जबकि प्राइवेट लोगों को ५ हजार मन लीसा से ६० हजार रुपये का फायदा होता है और ज्यादा आदमियों को उसमें रोजगार मिलता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बजाय बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरीज को देने के अगर छोटे-छोटे उद्योगों को लीसा दिया जाय तो ज्यादा फ़ायदा होगा और ज्यादा आदमियों को काम मिलेगा।

इसके अलावा मैं यह देखता हूं कि पहाड़ी इलाकों में चीड़ की लकड़ी बहुत ही खास और बहुत ही मूल्यवान लकड़ी है। इसमें एक किस्म का रोग लगता जा रहा है। उसमें एक रिंग जैसा पड़ता जा रहा है। अगर यह रोग कुछ रोज चलता रहा तो हमारे चीड़ के जंगल जो बहुत मूल्य के हैं वे आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जायंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देहरादून का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिये और इस रोग को खत्म करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सरकार जो वनविभाग में काम कर रही है वह बहुत अंश तक प्रशंसनीय है। प्राचीन काल में गांवों की बगल में खेत होते थे, फिर चरागाह होते थे और इसके बाद जंगल हुआ करते थे। चरागाह में पशु चरा करते थे और जंगल से लकड़ी लाकर गांव वाले ईंधन में और मकान बनाने में उसको इस्तेमाल करते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर गांव में गांव समाज मैनुअल में यह व्यवस्था की गई है कि १० प्रतिशत जमीन सुरक्षित रखी जाय जिसमें चरागाह तथा जंगल लगाये जायं जहां पर पशु चर सकें। श्रीमन्, मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां चकबन्दी हो रही है .....

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, कोरम नहीं हो रहा है इसलिये मैं चाहता हूं कि हाउस को एडजर्न कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी इंतजार किया जाय। (कुछ ठहर कर) कोरम हो गया है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री देवराम—अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि जहां चकबंदी चल रही है वहां गांव समाज मैनुअल के अनुसार १० प्रतिशत जमीन चरागाह तथा जंगल के लिये सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसमें बदइंतजामी हो रही है। भूतपूर्व जमींदार तथा बड़े काश्तकार लेखपाल से मिल कर ऊसर जमीन अपने कब्जे में लिखा लेते थे। अब सैटिलमेंट हो रहा है इसलिये अब वे अधिकारियों से मिल कर गांव समाज की जमीन अपने नाम में लिखा लेते हैं और ऊसर जमीन गांव समाज के लिये छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन मैं सैदपुर तहसील की बात कहता हूं जहां से मैं आता हूं। सरकार चकबंदी अधिकारियों को हिदायत दे कि इस तरह की चीज न होने पाये। इस से ईंधन की और चरागाह की समस्या हल हो सकती है, क्योंकि एक समय आ सकता है जब ईंधन के लिये लकड़ी न मिल सके। इसके फायदे सब को मालूम हैं कि भूमि सुरक्षित रहती है और लकड़ी और चरागाह की समस्या हल होती है।

अब मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान कुछ पहाड़ी समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पहाड़ में जो खेतिहर मजदूर हैं पहले उन्हें कस्टमरी एवं हेरिडिटरी राइट्स थे। वे जंगल से घास ले जाते थे, अपने पशुओं को चराते थे और जब गर्मी आ जाती थी तो कभी भीतर भी चले जाते थे और वहां पर काऊ-शेड्स बना लेते थे। लेकिन आज जंगल के अधिकारी उन को उन अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

दूसरी समस्या यह है कि जाड़े के दिनों में वे नीचे उतर आते हैं। तराई के इलाके में कुछ आदमी ठेकेदारों के यहां काम करते थे। कुछ जंगलों से लकड़ियां बीन कर जीविकोपार्जन किया करते थे। लेकिन आज लकड़ी के लिये परमिट की व्यवस्था कर दी गयी है जिससे उनका जीविकोपार्जन भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिये सरकार को चाहिये कि जो उनको कस्टमरी और हेरिडिटरी राइट्स हैं, वह पहले की तरह से प्रदान करे।

एक साथी ने मुझे बताया कि अंग्रेज के जमाने में बरेली और ऐसे ही स्थानों पर अंग्रेजों के दरबार हुआ करते थे और वहां पर जंगल विभाग द्वारा पहाड़ के रहने वालों के अधिकारों की घोषणा हुआ करती थी। लेकिन हमारी जनप्रिय सरकार ने कभी भी उनके कस्टमरी या हेरीडिटरी राइट्स के बारे में कोई भी घोषणा अभी तक नहीं की है। इससे बहुत काफी घपलेबाजियां हो रही हैं और उनको बहुत परेशानी है।

मैं चकिया के जंगल की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा सम्बन्ध प्रदेशीय द्रविड़ संघ से भी रहा है। वहां के कुछ प्रतिनिधि जो हरिजन हैं, मेरे पास आये। वह बतलाते हैं कि वहां पर जो जंगली जमीनें हैं, जहां पर छोटी-छोटी झाड़ियां हैं उनको बड़े-बड़े काश्तकार वन अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिल कर अपने कब्जे में करते चले जा रहे हैं। वहां से खेतिहर मजदूरों को हटा दिया जाता है। जैसा कि किसी साथी ने कहा जंगल विभाग जहां चाहता है अपना खूंटा गाड़ देता है कि यहां तक जंगल हो गया। उसके बाद उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। वे अपने जमीन और चरागाह से वंचित हो जाते हैं। इसलिये मंत्रीजी चकिया के जंगल के आसपास रहने वाले खेतिहर मजदूरों तथा पशुओं की तरफ ध्यान दें और उनके परम्परागत अधिकारों पर भी ध्यान देने की कृपा करें।

[श्री देवराम]

पहाड़ के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। वहां के लिये एक फारेस्ट फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनी थी, जिसका जिक्र माननीय प्रतापसिंह ने किया। उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मैं समझता हूं कि इसमें खेतिहर मजदूरों के बसाने के लिए काफी अच्छी सिफारिशें दी होंगी। उसे सरकार शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करे, सदन के सामने रखे और उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करे जिससे खेतिहर मजदूरों को जंगलों में बसाया जा सके और उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। इससे दो लाभ होंगे। एक तो वहां खेतिहर मजदूर बस जायेंगे, दूसरे पहाड़ों में अन्नसंकट समाप्त हो जायगा। मुझे पता चला है कि टनकपुर से हरिद्वार तक बहुत से ऐसे छोटे-छोटे स्थान हैं, जहां पर झाड़ियां हैं, जिन्हें डेवलप करके खेतिहर मजदूरों को बसाया जा सकता है। इसी तरह से नैनीताल से रानीखेत की तरफ भी ऐसे जंगल हैं जहां पर फारेस्ट नहीं लगाये जा सकते हैं। वह भूमि खेती के उपयोग में लायी जा सकती है। वहां पर खेतिहर मजदूरों को बसाया जा सकता है। मुझे आशा है कि वन मन्त्री जी—जब से उन्होंने सामाजिक कार्य किया है तब से हरिजनोत्थान का भी बीड़ा उठाया है और अपना जीवन हरिजनोत्थान में अर्पित कर दिया है—इस विभाग द्वारा हरिजनों को उन अधिकारों को दिलाने की कोशिश करेंगे जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उनको बहुत दिनों तक स्मरण करते रहें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जंगलों में बड़े-बड़े ठेकेदारों को जो ठेके दिये जाते हैं, यह कायदा जहां तक हो सके बन्द किया जाय। छोटे-छोटे लोगों की कोआपरेटिव्ज बनायी जाय। उनकी कोआपरेटिव्ज को ठेके दिये जायं जिससे एक व्यक्ति फायदा न उठा कर एक बड़ा जनसमूह इससे फायदा उठा सके।

एक चीज मुझे और बतायी गयी, क्योंकि मैं तो पहाड़ी इलाके का रहने वाला नहीं हूं कि पहले जब पहाड़ों पर ठेकेदार इमारती लकड़ी का ठेका लेते थे तो उसमें से शहतीर निकालने के बाद जो लकड़ी का चीर या टुकड़ा बच रहता था उसको गांव वाले अपने प्रयोग में लाते थे, लेकिन अब उसका भी ठेका होने लगा है। उससे वे इस लकड़ी के प्रयोग से वंचित हो जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह अधिकार उनको पुनः दिया जाय जिससे उनकी लकड़ी की समस्या हल हो सके। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे माननीय मन्त्री जी ने बहुत से शास्त्रीय प्रमाण और कविताओं के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि जंगल हमारे लिये बड़े लाभदायक हैं। मैं समझता हूं कि जंगल जनता के लिये महान् घातक हैं। जंगल में जो जीव रहते हैं वे भी जनता के घातक हैं। वहां पर जो फल होते हैं उनको भी कोई आदमी खा नहीं सकता। जंगल में ऐसा कोई फल नहीं होता है जिसको आदमी खा सके और पत्ती भी ऐसी कोई नहीं होती है जिसको कोई जानवर खा सके या अपनी भूख को मिटा सके। चाणक्य ने यह कहा है कि जिसको कोई काम करना धरना न आता हो उसको जंगल विभाग का मन्त्री बना दिया जाय। जब से ये जंगल इस सरकार के हाथ में आये हैं तब से सब जीव जन्तु रो पड़े हैं।

जब से बढ़ी अहिंसावादी शासकों की भूख
देश जाति धर्म सभी यों ही मिटे जाते हैं।
जीव जंगलों में रहीं मीन न सरोवरों में
मड़ों विटपों में न विहंग दृष्टि आते हैं।।
भालू कपि श्वान शूकरों के अंग भंग हुये
गाय भैंसें हाथी घोड़े बोलते डराते हैं।
गांधी की जननी आज रोती पुत्र पुत्रियों को
मुर्गे बांग देते हाय अंडे कहां जाते हैं।।

हमारे वन मन्त्री जी, अलीजहीर साहब, जब दुधुवा पहुंचे तो उनकी दावत के लिये ६० मुर्गी आई थीं और ३५ बकरियां मारी गई थीं। पता नहीं वे अकेले इनको खा गये या उनके संगी साथी भी कुछ खाते थे। २२ हजार रुपया उनके आगमन में खर्च हुआ। इन बातों को जाने दीजिये। मैं मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं कि जनता का कोई कल्याण हो तो इस वन विभाग को बिलकुल नष्ट कर दीजिये। देश की वर्तमान आवश्यकताओं को देखकर आज जंगल की कोई जरूरत नहीं है और खासतौर से उन जगहों में जंगल की कोई जरूरत नहीं है जहां पर उपज होती है। आप जंगल लगाना चाहते हैं तो ऊसर में और बंजर में जंगल लगाइये। जो जमीन किसी काम में न आती हो उस जमीन में जंगल लगाने की जरूरत है। जंगल लगाने का कहीं भी उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी महीप ने जंगल लगाये हों। अगर कहीं पर स्वयं पैदा हो गया तो हो गया वैसे कहीं पर गज आज जंतक लगाये नहीं गये हैं।

अब जंगल सरकार लगाना चाहती है और उससे फायदा उठाना चाहती है। कितना घृणित विचार है। अपने फायदे के लिये सरकार जंगलों की रक्षा करती है। जंगलों में ज्यादा कीमती एक ही वृक्ष पैदा होता है और वह है साखू। उसके पत्तों को कोई जानवर खा नहीं सकता है। यहां तक कि उसकी लकड़ी में कीड़ा तक नहीं लगता। आप के अधिकारी कहते हैं कि साखू के पत्तों को जानवर खा जाते हैं। मैं कहता हूं कि साखू के पत्तों को कोई जानवर नहीं खाता है और अगर खाता हो तो मुझे गोली मार दीजिये और नहीं तो इन अधिकारियों को गोली मार दें। यह झूठ बोल कर धोखा देते हैं। साखू की पत्ती कोई भी जानवर खाता नहीं है। जंगल में गूलर या पीपल तो होता नहीं कि जिसके पत्तों को जानवर खा सकें। वहां पर तो होते हैं साखू, पैरा के वृक्ष और छांजन, विजयसार, असेहना और तेन्दू, हल्द, चीड़, जिसकी पत्ती जानवर खा ही नहीं सकता है। इस वजह से जंगल की रक्षा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जंगल लगाना बिलकुल बन्द कर दीजिये। सरकार ४०० रुपया फी एकड़ जंगल लगाने पर खर्च कर रही है। सरकार के अधिकारी कहते हैं कि १२५ रुपया सालाना लाही पैदा कर के आमदनी करते हैं। हम कहते हैं कि हम उस जमीन से ५०० रुपया और १००० रुपया एकड़ किसानी से पैदा कर सकते हैं। ऊख बोकर या दूसरी पैदावार कर के इतना रुपया उससे आमदनी करना मामूली बात है। आप लोग जाकर देखें कि दुधुवा में रंडा लगाये गये हैं। एक मशीन पड़ी है उससे गेहूं काटा जाता है और फिर उस को बोरा में भर कर रख देते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल जंगलों में साखू नहीं लगाया जा रहा है। सागौन लगाया जा रहा है जो ५० वर्ष में नहीं बल्कि १०० वर्ष के बाद लकड़ी के लायक होता है।

(इस समय २ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

श्रीमती जी, आज जो सरकार के दिमाग में खब्त है वह ठीक नहीं है। यहां कहा जाता है कि वृक्षों के बिना पानी नहीं बरसता। वृक्षों का काम केवल इतना ही है कि वे ऊपर से बरसे हुए पानी को जमीन में नीचे तक पहुचा दें। लेकिन मेरे जिले में तो वृक्षों की अधिकता के कारण ही बहिया आती है और उन क्षेत्रों में बहिया आती है जहां कि पहले कभी नहीं आयी थी। मैंने गोला में मंत्री जी से एक शिकायत की थी। एक कंजरवेटर साहब रात में शिकार खेलने गये, नाजायज तौर पर बच्चा मुंह में दाब कर ले जाते हुये दुःखित शेरनी को मारा, और उसका बच्चा जब नहीं मरा तो आप ने छूरी से उसे खुद मार दिया। उसकी जांच के लिये मामला डिप्टी कमिश्नर साहब को दिया गया। बोलो भारत माता की जय। इस तरह से यहां न्याय होगा।

अब कहते हैं कि हमारे यहां जंगलों की कमी है। जंगल के माने हैं वृक्षों की सघनता। आप गांव के बागों को क्यों भूल जाते हैं, हर गांव में जितनी जमीन है उसके १/३ भाग पर बाग जरूर हैं। और फिर ज्यादा जंगल लगाने की जरूरत क्या है? किसान अच्छे-अच्छे फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। यह क्या है कि आप के अधिकारियों ने जिस जमीन को देखा उसी पर खूंटा गाड़ दिया। वह जंगल लगाना है या डकैती है? यह तो गनीमत है कि किसान आप का और आप की सरकार का अदब करता है वरना आप के अधिकारियों को गोली मार कर कहीं

[श्री बंशीधर शुक्ल]

फेंक देते। हमारे यहां जंगल अधिकारी जिसका जानवर देख लेते हैं, पौंड में बंद करवा देते हैं और पौंड वाले से कह देते हैं कि जब तक हमारी चिट न जाय तब तक जानवर देना मत। नतीजा यह होता है कि अगर १० रुपया पौंड वाला लेता है तो तीस रुपया जंगल अधिकारी की नजर हो जाती है, तब कहीं जा कर उस गरीब को अपना जानवर वापस मिलता है। जानवर बिक जाता है। हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। आप भले अलग हों, अलग रहें, लेकिन हम तो आप को अपने में से ही एक समझते हैं और इसलिये आप के द्वारा इन गरीब किसानों का इन अधिकारियों से उद्धार चाहते हैं। जिनकी जमीन अधिकारियों ने जबरदस्ती ले ली है उन को जमीन वापस की जाय। अगर आप किसानों का फायदा चाहते हैं तो यह जंगल लगाने की जरूरत नहीं है। जंगल लगाने के नाम पर अधिकारीगण उनको खाये जा रहे हैं। आपने ही बतलाया है कि जंगलों से आपकी आमदनी १·६ नये पैसे प्रति एकड़ प्रति वर्ष है और किसान उस जमीन से १००० रुपया प्रति वर्ष कमा सकता है और दस रुपया फी एकड़ आप को लगान भी दे सकता है। इस लिये यह सब बंद कीजिये। आप सड़कों के किनारे दरख्त लगाते हैं। आप देखेंगे कि इसमें कितना खर्च बैठता है।

मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि सड़कों के किनारे एक तरफ दरख्त लगने चाहिये, दोनों तरफ नहीं। इसके अलावा पहले जो कोई दरख्त लगाता था उसे पेड़ काटने का अधिकार नहीं थे लेकिन फल लेने का अधिकार था। राजा साहब ओयल ने तमाम पेड़ लगाये हैं, किसानों ने बहुत से पेड़ लगाये हैं, इस तरह। तो फिर क्या वजह है कि अब सरकारी अधिकारी ही सड़क के किनारे पेड़ लगवायें? वह तो ठेकेदार को ठेका देते हैं पेड़ लगाने का और नौकरों पर काम छोड़ देते हैं। वे चाहे दिन भर में एक पेड़ लगावें, अथवा दो। आप सोचें कि कितना पैसा बर्बाद होता है गरीबों का। यह गरीबों का नुकसान होता है, हमारा आपका नहीं। यह पैसा किसी बड़े आदमी के घर से नहीं आ जाता। आपने कर्जा मांग-मांग कर देश का सत्यानाश किया है। मैं पहले ही कहता था कि इस फिजूलखर्ची को रोकिये, यह जो खर्च परम्परागत चला आ रहा है, इसको रोकना चाहिये। जंगल लगाना है तो किसानों से कहिये कि जंगल लगायें। ऊसर जमीन उन को दे दीजिये, वे जंगल लगा देंगे। मैंने ऊसर में जंगल लगाया है और लगा कर दिखा सकता हूं। साखू तो होता ही नहीं, शीशम लगाने से होता है। जमीन में घोड़े की लीद डाल दीजिये दरख्त के साथ, आप देखें कि ऊसर खत्म हो जायगा। लेकिन यह बात अधिकारियों की समझ में नहीं आयेगी। मेरे जिले में कई एक ऐसी जगहें हैं कि जहां जंगली जानवर रहते हैं जो किसानों की फसल को चर जाते हैं, लेकिन अगर उनको कोई पकड़ने जाता है तो मारा जाता है। और जंगल में जा कर मारे तो मुकदमा चलता है। यह हाल है कि एक साहब एक सड़क से आ रहे थे, जंगल के लोगों ने कहा कि उधर से न जाइये। उसने कहा कि इधर से सीधा रास्ता है। उल्ल नदी का पुल सरकार ने खोल दिया है तो क्यों न जायं? इस पर चिढ़ कर जंगल वालों ने पुल तोड़ दिया, फिर गन्ना सोसाइटी से तीन बार बनवाया गया। तीनों बार जंगल वालों ने तोड़ दिया। आज गोला से अम्बारा जाने का रास्ता ही बन्द कर दिया गया है। यह क्या है?

मैं ४--५ बातों को और कहना चाहता हूं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ समय और दे दिया जाय।

मेरा निवेदन है कि जंगलों की परती जमीन पड़ी हुई है उसको आप जंगलों से निकाल कर खेती के लिये किसानों को दे दीजिये। इसके अलावा जहां चारों ओर आबादी है और बीच में जंगल है, उस जंगल को साफ कर दीजिये। ठेकेदारी प्रथा को भी आप खत्म कर दीजिये। आज आपने बारी लोगों की रोजी छीन ली है जो बेचारे साखू के पत्ते लाकर पत्तल दोने बनाकर अपनी जीविका चलाते थे। पिछले साल जो ४ सौ गांव जल गये थे, उनको मकान बनाने के लिये कोई लकड़ी नहीं दी गई। उनको जलाने के लिये लकड़ी और घास तक नहीं मिल पाती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जंगल हमारे लिये बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं और अगर सरकार ने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो मैं अपने यहां जंगल सत्याग्रह

करूंगा और फिर लोग जंगलों को फूंकना शुरू कर देंगे। आप लोगों को गिरफ्तार ही तो कर लेंगे। आखिर रोज-रोज घुटकर मरने से तो एक दिन मर जाना ही बेहतर होगा। हमारे यहां के कुछ गांव जैसे गिरदाने वासी, ऐलन गंज महराजगंज आदि गांव घोर जंगल में पुस्तैनी बसे हैं जिनकी भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। वे लोग जंगल के किनारे टटिट्यां और झोपड़ियां बना कर अपनी रक्षा करते थे। अब वे लोग परेशान हैं, उनको घास-फूस लकड़ी तक नहीं दी जाती, कहां से जीवन निर्वाह करें। वे कहीं बसना चाहते हैं तो जगह नहीं।

श्री अधिष्ठाता--अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बंशीधर शुक्ल--अधिष्ठात्री महोदया, मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया हूं। मुझे कुछ समय तो और देने की कृपा की जाय....

श्री अधिष्ठाता--अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री बंशीधर शुक्ल--अभी तो हमारा समय २० साल और है, अभी समय समाप्त कहां हुआ है। (हंसी)

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--अधिष्ठात्री महोदया, वन मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है उसके समर्थन में तथा जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मुझे वन विभाग के महत्व के संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके महत्व को एक साधारण इन्सान भी जानता है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस देश में जंगल नहीं होते वह देश न तो खेतिहर ही रह सकता है और न वहां उद्योगों का ही प्रसार हो सकता है। वहां किसी प्रकार की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम और कृष्ण का भारत जिसकी तस्वीर को हम याद किया करते हैं, उस पर चारों तरफ हरे भरे जंगल फैले हुये हैं और उनमें नाना प्रकार की बनस्पतियां मौजूद हैं। राम और कृष्ण के समय हमारे देश में घने जंगल ही नहीं थे, वरन् घनी आबादी भी थी। उस समय मनुष्य और जंगलों में एक सुन्दर संतुलन था।

यह अनुदान आज अत्यन्त सुखद और शान्तिमय वातावरण में आया है क्योंकि इन दिनों सरकार की रीति-नीति में आये दिन सुखद परिवर्त्तन हो रहे हैं।

अधिष्ठात्री महोदया, लीसा हमारे यहां एक ऐसी चीज है जिसे सोना कहा जा सकता है। उसके सम्बन्ध में सरकार ने आज ऐसे आदेश जारी कर रखे हैं जिससे उसका सदुपयोग पहाड़ के लोग भी कर सकें और उससे अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकें। उससे अब बरेली की फैक्टरी को ही फायदा नहीं होगा, वरन् पहाड़ों के गांव-गांव में उसके छोटे-मोटे उद्योग-धंधे खुल सकेंगे।

दूसरी अच्छी बात यह है कि सरकार ने अब तक गांव वालों को लीसा पर जो रायल्टी नाममात्र की मिलती थी, उसको बढ़ा दिया है। और यह भी व्यवस्था की है कि इस रायल्टी से जो धन संचित हो सकेगा उसका सदुपयोग तत्काल ही संबंधित ग्राम के विकास के लिये हो सकेगा। यही नहीं, इन्तजामिया मामलों में भी उच्च स्तर पर कुछ सुखद परिवर्तन हुए हैं और हमें आशा है कि जो शिकायतें अबतक लोगों को जंगलों से थीं या जंगलों की व्यवस्था से थीं वह अब न रहने पायेंगी।

लेकिन इसके साथ-साथ अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह उचित समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के सामने यह बात रखी जाय कि उन क्षेत्रों में जहां मनुष्य का जंगलों से घनिष्टतम सम्बन्ध रहता है, जहां मनुष्य कुछ मजबूरियों से घिरा हुआ है, जहां थोड़ी-सी खेती के योग्य भूमि में ही अपना गुजारा करने के लिये विवश हैं, जहां उन्हें जंगलों से अबतक नाना प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती रही हैं, उन सुविधाओं से उन्हें वंचित न किया जाय। हम चाहते हैं कि जंगलों का विकास हो। अगर प्लानिंग कमीशन या सरकार चाहती है कि पहाड़ों में ६० प्रतिशत भूमि पर जंगल लगाये जायं तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा यह भी

[श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी]

निवेदन है कि पहाड़ों में जो इन्सान रहता है, उसकी सुख-सुविधा का खयाल इस सरकार को होना जाहिये और उसको जो सुविधाएं अबतक मिलती रही हैं, वह उसको पूर्ववत् मिलती जायं ।

दूसरी बात हमें यह कहनी है कि जंगल ऐसे बनाये जांय कि जो वहां के मनुष्य की बहबूदी में सहयोग दे सकें । ऐसे न हों जैसे कि चीड़ और देवदार के जंगल हैं । इनका भले ही व्यावसायिक महत्व हो, सरकार को उनसे लाभ होता हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पहाड़ों में जो इनसान रहता है, उसको उस चीड़ या देवदार से कोई लाभ नहीं होता । उसके लिये ऐसे पेड़ लगाइये जो उसको खेती किसानी में काम आयें, जिनसे प्रदेश के औद्योगिक विकास में योग मिल सके । हमारे सामने बार-बार किसानों ने कहा कि अगर काश्मीर की सरकार अपने जंगलों को शहतूत के वृक्षों से भर पाई है तो हमारे यहां भी क्यों नहीं शहतूत इत्यादि के पेड़ लगाये जाते हैं जिससे कृषि कार्य में भी सुविधा मिल सके और कई प्रकार के उद्योग भी प्रस्फुटित हो सकें ।

अधिष्ठात्री महोदया, अब जो होगा वह मेरी समझ से अच्छा ही होगा, लेकिन मैं वनों के मौजूदा इन्तजाम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पहाड़ों में जंगलों से जो शिकायतें हैं सबकी शुरूआत उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध से हुई । उस समय जो पाव बंदोबस्त हुआ था उसमें वहां की जनता के साथ बड़ा अन्याय हुआ । भावर--कंडी लाइन (जिला गढ़वाल) के पूरे क्षेत्र में १८४ गांवों को गांव बन्दोबस्त के द्वारा बरबाद कर दिया गया । वहां के लोगों को अपनी जमीन छोड़ने के लिये, अपने गांव छोड़ने के लिये मजबूर किया गया और उन्हें पुनर्वास की कोई भी सुविधा नहीं दी गयी और न उन्हें अबतक किसी प्रकार का मुआविजा दिया गया । यहीं पर जनता की परेशानियों का अन्त नहीं हुआ । १९१५–१६ में नेलसन फारेस्ट सेटिलमेंट में, पाव बन्दोबस्त में जो अन्याय पूरा नहीं हुआ था उसे पूरा किया गया । हमारे कुछ गांवों की जो रही-सही जमीन थी और जिस पर हरे-भरे खेत खड़े थे, वह भी जंगल में शामिल की गई और फारेस्ट लाइन को गांव के अत्यन्त समीप लाया गया । यह भी देखा गया कि गांव में जो मकानात हैं उनके किनारे पर ही फारेस्ट ने अपने मुनारे खड़े कर दिये । इससे जनता की परेशानियां बढ़ीं । इन परेशानियों को दूर करने के लिये "फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी" बिठाई गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं कि फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी में कुमाऊं के सार्वजनिक जीवन के अच्छे सुविख्यात नेताओं के होते हुये भी और उसकी सिफारिशें एकदम व्यावहारिक होते हुये भी सरकार ने अबतक उनपर कोई कार्यवाही नहीं की है । फिर धीरे-धीरे जनता की परेशानियां बढ़ती रहीं । मेरा मतलब कुमाऊं और उत्तराखंड की जनता से है । उन लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं । फिर आर्य कमेटी का गठन हुआ । जैसा कि हमारे भाई प्रतापसिंह ने कहा है उस कमेटी पर ६० हजार रुपया खर्च हुआ । उस कमेटी ने तमाम जंगलों को देखा और हजारों लोगों से मुलाकात की । उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें कीं जो हमारी समझ से अच्छी थीं और जिनको सरकार के सामने रखा गया, लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि अभीतक न तो उन सिफारिशों को जनता के सामने लाया गया है और न उनको कार्यान्वित करने की कोई चेष्टा की गई है ।

अधिष्ठात्री महोदया, जंगल या कोई भी चीज स्थानीय जनता के लिये तभी लाभप्रद हो सकती है जब कि उसके उत्थान में जंगल या वह दूसरी चीज सहायक हो सके । हमारे जंगलों में नाना प्रकार की वनस्पतियां भरी पड़ी हैं, जैसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि रिंगाल है लेकिन स्थानीय जनता को उस वनस्पति का सदुपयोग करने का अवसर आज भी प्राप्त नहीं है । इसी प्रकार से चूने का पत्थर है । मेरे जिले में एक पैनो पट्टी है वहां के लोगों को जंगल विभाग ने इस वनस्पति (रिंगाल) और चूने के पत्थर का सदुपयोग करने से वंचित कर रखा है ।

जब हम इस सदन में और बाहर आये दिन समाजवाद और प्लानिंग की चर्चा करते रहते हैं तो फिर हमें चाहिये कि समाजवाद और नियोजन के सिद्धान्तों को जंगल के इन्तजाम और उसके विकास के सम्बन्ध में भी कार्यान्वित करें और जंगल का विकास एक प्लान्ड तरीके से करें। हम देखते हैं कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास कोई जंगल नहीं हैं जब कि दूसरे कई गांव ऐसे हैं जिनके पास इतने बड़े जंगल हैं कि वह दूसरे गांवों की आबादी के अन्दर तक चले गये हैं। मैं सोचता हूं कि इस त्रुटि को दूर किया जा सकता था यदि हमारा पंचायती फारेस्ट ऐक्ट त्रुटिपूर्ण न बनता। इस ऐक्ट के जो रूल्स बने हैं उनमें और भी ज्यादा त्रुटियां हैं। इस ऐक्ट के अन्तर्गत आज कुछ बड़े-बड़े गांवों ने जंगलों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है और छोटे गांवों को उनके हक-हुकूकों से महरूम कर दिया है। चमोली जिले में एक गांव मक्कू है। उसने रागसी जंगल को अपना कमूनल फारेस्ट बना कर अपने आस-पास के ३० गांवों को हक-हुकूकों से महरूम कर दिया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने के लिये पंचायती फारेस्ट ऐक्ट में तब्दीली की जाय। और एक फारेस्ट सेटिलमेन्ट आफिसर नियुक्त हो, जो इस प्रकार के बद इन्तजाम को खत्म करने की सिफारिश करे।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में टूरिज्म (पर्यटन) का विकास किया जाय। पर्वतीय प्रदेश की आर्थिक स्थिति तो अगर सुधारना है तो उसके लिये टूरिज्म का द्रुतिगामी विकास करना बहुत आवश्यक है। याद रखने की बात यह है कि टूरिज्म का विकास जितने अच्छे प्रकार से वन विभाग द्वारा किया जा सकता है उतना किसी अन्य विभाग द्वारा नहीं हो सकता। इसलिये टूरिज्म को वन-विभाग के सुपुर्द किया जाय।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, हमारे प्रदेश में जो वनों की स्थिति है जिसकी चर्चा आज सदन में चल रही है वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वनों से देश को बहुत लाभ होता है। इस विभाग के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो किताब बांटी गई है उसमें तीन किस्म के वन दिये गये हैं। अरक्षित, रक्षित और वर्गरहित तीन प्रकार के जंगल हैं जिनका रकबा है ३८ हजार स्क्वायर माइल और १ माइल में ६४० एकड़ जमीन आती है तो जो हिसाब मैंने लगाया है उसके हिसाब से २ लाख ४३ हजार एकड़ वनों का रकबा हमारे प्रदेश में है और हर साल उससे ४ करोड़ ४ लाख की आमदनी हुई है।

इस साल जो आमदनी वनों से हुई है वह १ रुपये ६६ नया पैसा प्रति एकड़ है। मंत्री जी मुझे बता देंगे अगर मेरे जोड़ने में कहीं गलती हो। अगर यह जमीन बजाय जंगल के खेत होती तो इसकी आमदनी १०, १२ रुपये प्रति एकड़ तक हो सकती थी बजाय इसके कि १ रुपये ६६ नये पैसे प्रति एकड़ हो। इसके बाद भी कहा यह जाता है कि वन से अधिक आमदनी होती है। इसकी आमदनी हर तरह से बहुत कम है। मैं मंत्री जी की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वे इस की आमदनी को बढ़ावें और जिससे राष्ट्र की निधि में उन्नति हो और इतना बड़ा रकबा जमीन का इतने कम आमदनी पर न पड़ा रहे। अगर इतने बड़े रकबे पर हम कब्जा किये होते तो हर आदमी को यहां हक हासिल हो जाता और सरकार भी कह देती कि इतने निकम्मे लोगों के पास इतनी जमीन पड़ी है लेकिन यहां सरकार इतनी कम आमदनी पर वन को उठाये हुये है। मैं यह तो नहीं कहता और न मैं बंशीधर जी की राय का हूं कि वनों को समाप्त कर देना चाहिये, इनका रहना परमावश्यक है; लेकिन आज के युग में जब इमारती लकड़ी ८,९ रुपये पर स्क्वायर फुट बिकती है तो भी आमदनी न होने पावे इसके कारण की खोज करनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मैं भी जंगल के पास के एरिया का रहने वाला हूं। गोंडा जिले में कुछ जंगल के ऐसे एरियाज हैं जिनसे अच्छी खासी आमदनी होती है। टिकरी फारेस्ट से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलदेवसिंह]

८,१० लाख रुपये प्रतिवर्ष आमदनी होती है जब कि वह रकबे जंगल के जो पहाड़ के करीब हैं उनसे १ लाख रुपये तक ही आमदनी मुश्किल से हो पाती है। अगर वहां से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हो जांय तो इन जंगलों से अधिक आमदनी हो सकती है।

तीसरी बात यह कि इन जंगलों से आमदनी की देखरेख के सम्बन्ध में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। कुछ फैक्टरियों को सस्ती लकड़ी दी गयी। वह कितने ही कम में गयी हो तब भी अगर उनको जोड़ा जाय तो भी यह आमदनी बहुत कम है। यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि इतने बड़े भूभाग पर अधिकार रखते हैं और उससे अधिक पैसा भी नहीं कमा सकते। इससे ज्यादा फायदा होना चाहिये और हो सकता है।

चौथी बात मैं यह कहूं कि इस फारेस्ट विभाग के छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, फारेस्ट गार्ड वगैरह, उनके रहने के लिये न तो ठीक से क्वार्टर्स हैं और न उनकी रक्षा का ही कोई प्रबन्ध है। जो चारों तरफ घूमते हैं, निगहबानी करते हैं, वे डरते हैं, वे उनसे बोल नहीं सकते और सरकारी संपत्ति का नाश होता है। पिछले वर्ष हमारे जंगलों में रेंजर को एक डाकू मिला, उससे बातें की और चला गया। जब पुलिस अधिकारियों ने उससे कहा कि तुमने पकड़ा नहीं तो उसने कहा कि मैंने तो उसको प्रणाम किया, क्योंकि मुझे तो इन्हीं जंगलों में रहना है। आप समझ लीजिये इस छोटे कर्मचारी की तनख्वाह २५ रुपये से शुरू होती है जिसे फारेस्ट गार्ड कहते हैं। अगर आप उसको इतना कम देंगे तो जंगलों की रक्षा नहीं हो सकती, चाहे बड़े आफीसरों को कितनी ही ज्यादा तनख्वाह क्यों न दें। जो डिवीजनल फारेस्ट आफीसर होते हैं वे शहरों में रहते हैं, जंगलों में नहीं रहते, उनका जंगलों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, न जंगलों को वे देखते ही हैं और जंगलों की बहुत आमदनी जाया चली जाती है और अच्छी निगहबानी न होने के कारण अच्छी आमदनी भी नहीं हो पाती है। आजकल लकड़ी इतनी मंहगी है कि उससे बहुत आमदनी हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय क्योंकि ये ही जंगल की रीढ़ हैं। वह जंगल में ही रहता है, शहर में रहने के लिये उसके पास मकान नहीं हैं।

हमारे पड़ोस में बहुत से वन हैं और सरकार को महाराजा बलरामपुर, उत्तरौला और मनकापुर से बहुत से अच्छे जंगल मिले हैं। लेकिन उन लोगों के जमाने में जिनको आप जालिम कहते हैं काश्तकारों को बहुत सी सुविधायें लकड़ी आदि की थीं। जलाने के लिये उनको लकड़ी मिल जाती थी, ब्याह शादियों के लिये मिल जाती थी; लेकिन जब से सरकार के वन हो गये हैं वहां के लोगों को एक तिनका भी नहीं मिल पाता है।

एक बात और कहना चाहता हूं। मंत्री जी यह न समझें कि मैं उनको ताना देने जा रहा हूं। सारे राज्य में जमींदारी समाप्त हो गयी है लेकिन वन के कर्मचारियों की समाप्त नहीं हुई। जंगल के किनारे तक कोई भैंस नहीं ले जा सकता। अगर एक रुपया सेर घी उनको न दे तो उसको फांस ले जाते हैं। जिन जमींदारों को आप हत्यारे और पापी कहा करते थे उन के जमाने में भी आसपास के लोगों को बहुत सी सुविधायें थीं। सरकार को भी इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिये।

श्री हरिदत्त कांडपाल (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस फारेस्ट के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज से दो वर्ष पूर्व अथवा दो वर्ष से कुछ ज्यादा अर्सा हो गया जब हमारे इस विधान मंडल के कांग्रेसी मेम्बरों ने एक मेमोरेंडम मुख्य मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत किया था जिसमें जंगलात की तकलीफों के बारे में जिक्र किया था और यह मांग की गयी थी कि वे तकलीफें दूर की जायं।

अधिष्ठात्री जी, तत्काल तो कोई कार्यवाही नहीं हुई लेकिन एक कमेटी "आर्य कमेटी" के नाम से कायम की गयी जिसका जिक्र माननीय प्रतापसिंह जी ने किया तथा नरेंद्रसिंह जी ने किया। उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सीक्रेट डाक्यूमेंट ही बनी हुई है। मालूम

नहीं वह पब्लिक डाक्यूमेंट किस समय पब्लिक के सामने आयेगा । आपको इस बात का पता है कि जब मैंने भूतपूर्व वन मंत्री जी से मांग की थी अपने एक सवाल के जवाब में कि उस कमेटी की रिपोर्ट मुझे दी जाय तो उन्होंने मुझे तो देने से इंकार कर दिया था लेकिन श्री नारायण-दत्त तिवारी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर हैं उनके पास भिजवा दिया था। मुमकिन है उन्होंने उसे देख भी लिया हो, मैंने भी उनके पास जाकर ही वह रिपोर्ट देखी और उस कमेटी की सिफारिशों को भी देखा। हालांकि उस कमेटी में जो कुछ सिफारिशें की गयी हैं उससे मुझे कोई विशेष संतोष नहीं हुआ।

उसमें से मैं एक ही मद को ले लेता हूं। जैसे कि हमारी मौजूदा सरकार ने जो बचत योजना चलायी है और बचत के संबंध में जो दलीलें दी गयी हैं उनको सामने रखते हुये मैं देखता हूं कि टेलीफोन का खर्चा ही कई लाख रुपये का है जिसे मैं जायज और बड़े काम का नहीं समझता हूं। जंगल के हर फारेस्ट रेस्ट हाउस में या हर रेंजर चौकी पर टेलीफोन का पहुंचना अच्छा तो है और उससे थोड़ा बहुत फायदा भी है लेकिन जितना उसके ऊपर खर्च होता है उसके मुकाबले में वह फायदा कम है। एक दलील यह दी गयी कि इससे आग बुझाने में जल्दी की जा सकती है। बेशक खबर तो इससे आग लगने की जल्दी पहुंचायी जा सकती है लेकिन आग बुझाने में टेलीफोन के जरिये कोई जल्दी हो सकेगी, इसको हम नहीं मानते हैं। कमेटी ने जो कुछ भी सिफारिशें की हैं उनकी ओर मैं माननीय प्रतापसिंह का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने यहां इस अनुदान का विरोध किया था।

श्री भजनलाल—अधिष्ठात्री महोदया, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री हरिदत्त काण्डपाल—अधिष्ठात्री महोदया, अगर विरोधी पक्ष के जो लोग बोले ह, उनका जवाब देने में बैठूं, तो मेरे पास इतना समय नहीं है और आप इतनी कृपा नहीं करेंगी कि मुझे ज्यादा समय दें। लिहाजा मैं अपनी बातें जो कि मुझे कहनी हैं, उतना ही कहूंगा । मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आज से दो वर्ष पूर्व हमारे कांग्रेस दल के विधान मंड-लीय सदस्यों ने जो पूर्व गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दिया था उसके जवाब में ही एक कमेटी कायम की गयी थी। उस के सामने जनता की जिन समस्याओं के समाधान की बातें थीं वे तत्काल तो पूरी नहीं हुई लेकिन अब उनका समाधान पूरा होता हुआ दिखाई पड़ता है। वह इस तरह से कि सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि सरकार अपने एक सर्क्यूलर के जरिये पब्लिक में इस बात की घोषणा करने वाली है कि जनता को जो हकूक पहले से मिले हुये थे तथा जो अधिकार व रियायतें थीं वे छीनी नहीं जायेंगी। दूसरी बात यह है जैसा कि मेमोरेंडम में जिक्र किया गया है और एकाध दफा अपने व्याख्यानों में भी मैंने कहा है कि फारेस्ट डिपार्टमेंट का रवैया ऐसा था जैसे उन्होंने अपना एक एम्पायर कायम कर लिया हो लेकिन आज उसका कुछ रिस्पांस होता दिख पड़ता है। वहां के जो सबसे ऊंचे आफिसर थे उन्होंने एक डी० ओ० में लिखा था—

"We are not going to cater the actual needs of the people"

इसी मनोवृत्ति की बेसिस पर एक आदमी की जो अल्मोड़े का था उस विभाग में भरती हो गयी तो उस ऊंचे आफिसर ने कहा कि इस गोमती डिवीजन में अल्मोड़े का आदमी कैसे आ गया ? तो इस तरह की बातें थीं जिससे ऊब कर पहाड़ के लोग बहुत फील करते थे। लेकिन आज खुशी है कि वन विभाग के मंत्री जी पहाड़ी समस्याओं की ओर ध्यान दे रहे हैं और इस विभाग के उस ऊंचे आफिसर को उन्होंने वहां से बदल दिया है और हम आशा करते हैं कि अब कोई तकलीफ वहां नहीं रहेगी ।

फिर भी मैं सरकार का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां विरोधी दल की तरफ से लीसे का बहुत जिक्र किया गया और अभी माननीय नरेंद्रसिंह जी भंडारी ने कहा कि सरकार ने आज्ञा जारी की है जिसके अनुसार पहाड़ की भूमि व्यवस्था के अनुसार हर गांव की एक सीमा होती है, उसके अन्दर नापलैंड होता है और लोग उसके मालिक होते हैं। इस के

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

अलावा दूसरी बेनाप जमीन होती है जो गांव पंचायतों की होती है और उसकी बाउन्डरी अलग होती है, वहां आजतक लीसा निकालने की इजाजत नहीं होती थी लेकिन अब उस की इजाजत दे दी गई है और उस की आय से वहां के विकास कार्य किये जा सकेंगे। जिस तरह से लोकल बाडीज या म्युनिसिपल बोर्ड वगैरा अपनी आय कर के विकास के कार्य करते हैं इसी तरह से गांव पंचायतों को इजाजत दी गई है कि वह आय लीसे से करें और विकास के कार्य करें, यह बहुत खुशी की बात है।

एक चीज मैं मंत्रीजी की निगाह में और लाना चाहता हूं और जिन वनों की आवश्यकता की बात कही गई और जिन वनों के महत्व को मंत्री जी ने बड़े विस्तार के साथ बताया, जिन वनों को आजतक नीरस समझा जाता था उन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले सालों में जब फारेस्ट विभाग का बजट आता था तो ज्यादातर इस विभाग के बजट पर बहस ही नहीं होती थी, अब के पहली बार पूरे दिन की बहस इस वन विभाग पर हुई है इस से जाहिर है कि वनों का महत्व लोगों की निगाह में बढ़ रहा है और मंत्री जी ने भी वनों की महत्ता को बतलाते हुये कहा था कि वनों की हमारे यहां बहुत आवश्यकता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देश में अभी वनों की बहुत कमी है और अधिक वन लगने चाहिये।

जहांतक पर्वतीय क्षेत्र का संबंध है वनों की अधिक संख्या उस क्षेत्र में है। पर्वतीय क्षेत्र में पंचायती फारेस्ट्स का सिलसिला सन् १९११ में आरम्भ किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र में पंचायती वनों की योजना जितनी कामयाब हुई उतनी कामयाब शायद ही कोई योजना हुई हो। वहां शायद ही कोई गांव एसा होगा कि जिस ने पंचायती वन न लगाया हो और वहां पर सरकारी दस्तंदाजी भी बहुत कम से कम है। वहां एक सब-डिवीजन में एक इंसपेक्टर होता है जो दो तीन साल में पहुंचता है और हिसाब चेक करता है कि वहां जो जंगल लगाये जाते हैं उनमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। यह देखना है कि वहां सरकारी इंटरफियरेंस बहुत कम है और गांव के लोग तकलीफ उठाकर भी उन वनों की रक्षा करते हैं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—अधिष्ठात्री महोदया, कोरम नहीं है, यह तीसरी बार सदन में कोरम नहीं है, स्थगित कर दिया जाय तो ठीक होगा।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री हरिदत्त काण्डपाल—अधिष्ठात्री महोदया, मैं कह रहा था कि फारेस्ट पंचायतों को तरजीह देना चाहिये और लीसा की रायल्टी २ रुपये से दस पया रेट किया गया है यह बड़ी खुशी की बात है। जिस लीसे के विषय में इतनी चर्चा होती चली आती थी उस की तरफ भी सरकार का ध्यान गया है और अब टरपेंटाइन फैक्ट्री को लीसा बेशी रेट पर दिया जायगा। सरकार ने जो पुस्तक प्रकाशित की है उस में भी जिक्र है फारेस्ट सेटिलमेंट का, इसका जिक्र माननीय सदस्यों ने भी किया था। तो तराई भावर इलाके में फारेस्ट सेटिलमेंट हो रहा है। वहां के लोगों को बड़ी शिकायत है और वह शिकायत इतनी गम्भीर है कि सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिये। जो सर्वे सेटिलमेंट आफिसर साहब कर रहे हैं उसको नहीं माना जाना चाहिये और वह दोबारा होना चाहिये। फारेस्ट सेतिलमेंट आफिसर पर यह इल्जाम है कि वह बिला वजह और इरादतन एक डिसकंटेंटमेंट पैदा कर रहे हैं। जो रेवेन्यू के मैप्स हैं गांवों के उन्हें भी नहीं मानते हैं और उठाकर फेंक देते हैं। यह मैं जानता हूं कि वह फारेस्ट का आदमी नहीं है। सेटेलमेंट आफिसर जुडीशियल आफिसर होता है और फारेस्ट डिपार्टमेंट एक पार्टी की तरह होता है लेकिन फारेस्ट डिपार्टमेंट इतना कह देने से अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को उन्हें कैबिनेट में ले जाना चाहिये। एक ऐसा अधिकारी जो इरादतन असंतोष पैदा कर रहा हो तो उसे उस इलाके में और उस काम में नहीं

रखना चाहिये और इरादतन अगर उसने इस तरह का काम किया हो तो उसके किये हुये काम को नहीं मानना चाहिये और नये सिरे से करवाना चाहिये।

कत्थे के सिलसिले में और स्टार पेपर मिल के सिलसिले में भी शिकायत की गई। कत्थे के संबंध में पिछले दिन मंत्री जी ने एक सवाल का जवाब देते हुये कहा था कि कत्था अब नीलाम के द्वारा बिकेगा, वह रियायत से अब नहीं दिया जायेगा। और मैं समझता हूं कि रियायत से दिया भी नहीं जाना चाहिये और वह भी गृह उद्योग को दें तब तो कुछ माने रखता है लेकिन मिल को देना तो कोई माने नहीं रखता। तो उस ओर सरकार का ध्यान है। इस साल बहुत कुछ किया गया है क्योंकि बरेली की फैक्टरी को इस साल . . . .

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)---आदरणीया अधिष्ठात्री महोदया, प्रस्तुत अनुदान के संबंध में श्री मलिखान सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

माननीया, वन विभाग का जो कानून सन् १८६८ में हमारे देश में लागू किया गया था तबसे उसमें शनैः शनैः परिवर्तन होता रहा और इस समय हमारे १७ जिलों में यह वन विभाग का कानून चल रहा है। इन १७ जिलों में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं जो उत्तर में है और कुछ बीच का मैदान है और उसके बाद कुछ विन्ध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाके भी इससे संबंधित हैं। हमारा कहना है कि जो उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र है उसमें ठीक है कि लाखों और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति वन विभाग द्वारा आय के रूप में सरकार को मिलती है। लेकिन जो बीच का मैदान है इसके संबंध में हमारा सुझाव है कि जहां पर जंगल उपज नहीं पाता, पेड़ बढ़ नहीं पाते और भूमि पेड़ों के लिये उपयोगी नहीं है, ऐसी जगहों का सर्वेक्षण करके यह देखा जाय कि यहां पर अनाज पैदा हो सकता है या पेड़ हो सकता है। मैंने यह देखा है कि इस समय हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां हजारों रुपया वन विभाग की ओर से खर्च किया गया लेकिन पेड़ और पौधे नहीं पनप पाये। उन्हीं जमीनों पर यदि खेती करवाई जाती तो मैं समझता हूं कि लाखों मन धान होता और खाद्य समस्या कुछ हल होती। इसलिये इसका सर्वेक्षण बहुत जरूरी है।

इसी तरह से सरकार ने जो यह नारा दिया है कि २० परसेंट जंगल होना अनिवार्य है, मैं भी मानता हूं कि जब रेत बढ़ रहा हो, रेगिस्तान की उपज हो रही हो तो जरूरी है कि पेड़ और पौधे लगाये जायं। दूसरी तरफ प्लानिंग कमीशन की भी रिपोर्ट है कि हमारे यहां बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिये यह जरूरी हो गया है कि पेड़ों को अधिक संख्या में लगाया जाय। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि एक तरफ बाढ़ से रक्षा के लिये पेड़ लगाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ती हुई रेत से रक्षा के लिये भी पेड़ लगाये जा रहे हैं। तो इन दोनों में समन्वय कहां पर हो, किस तरह से हो यह सरकार सर्वेक्षण करे और जानकारी हासिल करे कि क्या बाढ़ के रोकने के लिये, बढ़ते हुए रेत को रोकने के लिये पेड़ जरूरी हैं या कोई दूसरा उपाय।

प्लानिंग कमीशन ने पिछली बार अपनी रिपोर्ट दी थी कि हमें खाद्य समस्या को हल करना है। अगर वाकई में इसको हल करना है तो जिस तरह से मैंने पहले बताया है मैदान की ऊसर और बंजर भूमि, जहां पेड़ नहीं उग पाते हैं, उस जमीन को ले करके खाद्य समस्या का हल करने के लिये उसे गांव की गरीब जनता में वितरित कर दिया जाय। अगर ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं यह समस्या हमारे प्रदेश की हल हो सकती है। कई वर्ष पहले श्री हरगोविन्द सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उसने यह रिपोर्ट दी थी कि जंगल की आय का एक बटे चार हिस्सा गांव सभाओं को दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमती जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह तीसरी बार सदन में कोरम नहीं है। अब तो आपऐसी व्यवस्था करें, मालूम होता है कि वन अनुदान पर लोगों की रुचि नहीं है, कि वोटिंग ले लें और इस अनुदान को खत्म करें। आज लोग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सजीवनलाल—मैं कह रहा था कि श्री हरगोविन्द कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाय, गांवों में जो सरकार द्वारा पंचायतें निर्मित कराई गई हैं उनको भी एक बटे चार हिस्सा आय का दिया जाना चाहिये, इससे उनमें प्रोत्साहन पैदा होगा और जंगलों की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी।

सरकार ने संविधान में यह बात जाहिर की है कि अगर जंगल में कहीं आग लग जाय या जंगल में किसी तरह से कोई ऐसा संकट आग संबंधी उत्पन्न हो जाय तो उसकी रक्षा उस जंगल के आसपास गांव वाले करें। लेकिन जंगल के वे निवासी, जिन्हें उस जंगल की लकड़ी, घास से कोई फायदा उठाने को नहीं मिलता इससे उनको बड़ी तकलीफ होती है। जहां वन विभाग की भूमि है वहां से वे जंगल के निवासी हटाये जा रहे हैं जिसके कारण उनको कहीं शरण नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि जो निवासी वहां की लकड़ी घास से अपनी जीविका चला रहे थे आज वह जगह जगह खानाबदोश की हालत में न घूमें। सरकार को खयाल करना चाहिये कि किस तरह से वह अपनी वे सुविधायें जो अब तक पाते आ रहे हैं, प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा श्रीमन्, प्लानिंग कमीशन कहता है कि अधिक अन्न उपजाओ। और दूसरी तरफ वन विभाग कहता है कि अधिक वन लगाओ। तो दोनों में समन्वय कहां पर होगा। प्लानिंग कमीशन की बात सही है या वन विभाग की? मेरा कहना है ऐसे समय में जब संकट हो देश के सामने खाद्य समस्या का तो जो मैदानी क्षेत्र हैं जहां पेड़ पौधे नहीं निकल सकते हैं और फिजूल रुपया उन पर खर्च किया जाता है, गड्ढे खुदे हुए हैं, अगर पेड़ लगाये जाते हैं तो पनपते नहीं हैं, इसलिये ऐसी जगह धान पैदा किया जाय जिससे देश की खाद्य समस्या हल हो सके। वन विभाग को अभी तजुर्बा नहीं कि किस जगह पर कौन सा पेड़ लगाना चाहिये, कौन सी भूमि कौन से पेड़ के लिये उपयोगी है। कैसे पेड़ वहां पर लगाये जायं, इसकी वन विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिये ताकि वह समझ सकें कि कौन सी जमीन पर कैसे पेड़ निकल सकते हैं जिससे वह जमीन हरी भरी हो सके। और जरूरत इस बात की है कि जहां तक हो सके फलदार पेड़ लगाये जायं। अगर ऐसा होगा तो उससे हमारे यहां की खाद्य समस्या भी हल होगी और हमारे देश के अन्दर पेड़ों का फलीभूत होना आरम्भ हो जायगा। लेकिन फलदार पेड़ न लगा कर जिन जगहों पर वे उग सकते हैं वहां कटीले और छायादार पेड़ लगाये जायं जिनका कोई संबंध जीविकोपार्जन से नहीं है, उससे कोई लाभ न होगा। इसलिये उन्हें ट्रेनिंग दे कर इस प्रकार की दक्षता प्राप्त कराई जाय कि कैसे पेड़ ज्यादा उग सकते हैं।

मैंने देखा कि फारेस्ट विभाग की ओर से ऐसा किया गया है कि जो जमीनें बाप दादा के जमाने से किसानों के कब्जे में थीं उनका घर, खेत, खलिहान, कुवां आदि फारेस्ट विभाग ने अपने कब्जे में कर लिया है। जरूरत इस बात की है कि इसकी छानबीन की जाय कि कहां से वन विभाग की जमीन शुरू होती है और कहां से उनके खेत, खलिहान। हर तरह से उनकी रक्षा की जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि उनके साथ अन्याय होगा और उन किसानों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जिन्दगी भर उस को अपनी जमीन समझ रखा है। आजादी आने के बाद किसान यह नहीं समझ सका कि यह आजादी किसकी है। जब उनके खलियान और घर उनसे छुड़ाये जा सकते हैं ताकि वहां उनके जानवर चर न सकें। ऐसे वन विभाग को ऐसा करने से रोकना चाहिये। उनसे वन विभाग से अनबन पैदा हो गयी है और

ऐसी हालत में वन विभाग के मंत्री इस अनबन को रोकने के लिये यदि सचेष्ट नहीं होते हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं तो हमारे देश की न भूखमरी की समस्या हल होगी, न वन विभाग पनप पायेगा और न देश में जो लकड़ी संबंधी निर्माण होना है वह हो पायेगा। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कमलेशचन्द्र (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और साथ ही अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार की तरफ से जंगलात विभाग को ठेके दिये जाते हैं और वे बड़े-बड़े लोगों को दिये जाते हैं। इसमें मेरा सुझाव यह है कि नजदीक के गांव के रहने वाले जो लोग हैं उनकी सहकारी समितियां बना कर या छोटे-छोटे लोगों को वे ठेके दिये जायं और बड़े बड़े लोगों को न दिये जायं। उससे ऐसा होता है कि सरकार को बड़े ठेकेदारों से रुपया कम मिलता है और सरकारी भी काफी नुकसान होता है। सुनने में यह आता है कि वे ज्यादा लकड़ी काट लेते हैं और जितना एरिया उनका होता है उससे ज्यादा वे इस्तेमाल में ले लेते हैं। सहकारी समितियों को देने से सरकार का जो सहकारिता बढ़ाने का उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति होती है और दूसरे उससे जनता को ज्यादा लाभ होता है। एक ही आदमी को जब बड़ा ठेका दिया जाता है तो काम भी ठीक से नहीं चलता है। दूसरे सारा फायदा एक ही आदमी को होता है और उससे पूंजीवाद बढ़ता है। सरकार जब समाजवाद को बढ़ाना चाहती है तो छोटी-छोटी सहकारी समितियां बना कर उनको ठेके दिये जायं।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि जंगलात की दूसरी उत्पत्ति तुन, खर और सेंठा इत्यादि होता है। उसके लिये भी ठेके होने लगे हैं। जबकि जंगल के किनारे रहने वाले लोग ही जंगल की ज्यादा रक्षा करते हैं, उसे आग से बचाते हैं और जब कभी सैलाब आता है तो जो लकड़ी दरिया में बह जाती है उसको निकाल कर जंगल डिपार्टमेन्ट को देते हैं और कई प्रकार से इस विभाग को सहायता देते हैं लेकिन इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ दी जाती है। जब उनको आप ज्यादा रेट पर लकड़ी देंगे तो वे क्यों आपका साथ देंगे? इसलिये मेरा सुझाव है कि जंगल के किनारे रहने वाले गरीब लोगों को ज्यादा सहायता दी जानी चाहिये।

श्री भजनलाल---व्यवस्था का प्रश्न है। एक बार नहीं जब चौथी बार कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सदन की कार्यवाही आज बिलकुल स्थगित कर देना चाहिये और यह विभाग कल के लिये छोड़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री कमलेशचन्द्र---मेरा निवेदन यह है कि आज जो बड़े-बड़े आदमियों को जंगल का ठेका दिया जाता है जोकि चार मील के एरिया में लगे हुये सेंठा और खर इत्यादि का ज्यादा से ज्यादा १५ रुपये सरकार को देते हैं और जो गरीब आदमी उसको काटते हैं उनसे आधी बटाई कर लेते हैं तो क्या सरकार उस काम को खुद नहीं करवा सकती। मेरा सुझाव है कि या तो सरकार उसको अपने हाथों में ले या जंगल के किनारे वाले गांवों की छोटी-छोटी समितियां बना कर उनको छोटे-छोटे ठेके दे। इससे सरकार को भी ज्यादा आमदनी होगी और उन गरीब लोगों को भी फायदा होगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जो लकड़ी जंगल में बेकार चली जाती है, सड़ वगैरह जाती है या कट कर गिर जाती है वह जंगल के पड़ोस वाले लोगों को मुफ्त में देनी चाहिये। मैंने सुना है कि जंगल में जो लकड़ी बेकार होती है जैसे मोटे लट्ठे के ऊपर का बक्कल उसका भी दो, चार साल से ठेका दिया जाने लगा है। मेरी प्रार्थना है कि इस पर से ठेके को उठा लिया जाय क्योंकि इससे सरकार को कोई ज्यादा फायदा भी नहीं होता है और वहां के लोगों को परेशानी होती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलेशचन्द्र]

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगल विभाग में जो नौकरियां दी जाती हैं वह उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिये जो जंगल के किनारे के लोग हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे जंगल को बचाया जाता है, क्या होता है। अगर मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और मुझको वहां भेज दिया जाय तो मैं कैसे वहां की बुराइयों को दूर कर सकता हूं। और जो जंगल की बात जानता है उसको जंगल में भेजा जाय क्योंकि वही वहां की बात अच्छी तरह से जान सकता है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि वृक्षारोपण का सवाल जब आता है तो मंत्री जी उसके उद्घाटन के लिये जाते हैं, साथ में हम लोग भी चले जाते हैं और सरकारी आदमी भी जाते हैं। कागज पर तो लाखों की तादाद में वृक्ष लगाये जाते हैं लेकिन होता यह है कि इस वृक्षारोपण समारोह में खर्चा बहुत हो जाता है और मंत्री जी एक पेड़ अपने हाथ से लगा देते हैं मगर उसके दूसरे दिन से कोई भी सरकारी कर्मचारी उनको देखने भी नहीं जाता और हजारों की तादाद में लगाये हुये वृक्ष सूख जाते हैं। जहां तक जंगल बढ़ाने की बात है, मैं भी चाहता हूं कि जंगल बढ़े, उससे सरकार की आमदनी बढ़े, लेकिन होता यह है कि जो बड़े लोग हैं उनको तो पूरा जंगल काटने का परमिट मिल जाता है लेकिन छोटे काश्तकार को, जिसे एक ही पेड़ की जरूरत है, अपनी झोपड़ी बनाने के लिये, उसको एक पेड़ काटने की भी इजाजत नहीं मिलती है। मेरा सुझाव यह है कि हरे और फलदार वृक्षों की एक की भी परमिट न दी जाय और न उसको काटने की इजाजत दी जाय।

महोदया, एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक लीसा की बात है, वह यह है कि लीसा बहुत कम कीमत पर फैक्टरी को दिया जाता है। इससे सरकार को बहुत नुकसान होता है और फैक्टरी बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है। क्या सरकार इस लीसा फैक्टरी को अपने कंट्रोल में रखकर नहीं चला सकती है? अगर नहीं चला सकती है तो सहकारी फैक्टरी बनाकर उसको लीसा दे दे तो दूनी कीमत आयगी। अगर सरकार समझती है कि हमारे पास पैसा आता है तो प्रोडक्शन कास्ट जो लगती है वह उनको दे दे। सरकार जनता को उद्योग-धंधे दे दे इससे जनता का भला होगा।

जहां तक गरीबों को तथा हरिजनों को जमीन देने का सवाल था वह यह है कि हमारे जिले खीरी में पलिया में थोड़ी सी जमीन दी गई और कालोनी बनाई गई। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक हजार रुपये देने का वायदा किया गया था। लेकिन उसकी आज तक सुविधा नहीं मिली। इसलिये वह रुपया समय पर मिलना चाहिये, इसके साथ ही साथ वहां पीने का पानी बहुत खराब है। ४–५ महीने वहां रहने पर आदमी का पेट फूल जाता है और वह लाइलाज होकर बचता नहीं है। इसलिये वहां कोई रहना नहीं चाहता है। मेरा सुझाव है कि ठीक समय पर एक हजार रुपया दिया जाय और पीने के पानी की जांच करा कर ट्यूबवेल का इंतजाम कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा।

आजकल हरिजनों को बड़ी-बड़ी नौकरी तो मिल नहीं पाती है क्योंकि वह क्वालीफाइड नहीं होते। उनको छोटे छोटे काम जैसे लकड़ी काटने वगैरह का काम मिल जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि १८ परसेंट का कोटा पूरा किया जाय। १८ परसेंट से ज्यादा मेहतरों को न लिया जाय और दीगर लोगों को लिया जाय। मैं मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब मैंने मंत्री जी का भाषण सुना तो ऐसा मालूम होता था कि ड्रामे के परदे के पीछे से कोई प्रोम्पटिंग कर रहा है और मालूम नहीं होता था कि उनके हृदय के भाव क्या हैं। क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। जो वह कहना चाहते थे वह मैं कह रहा हूं। अगर वह मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो मैं उनका बड़ा मशकूर होऊंगा। जंगल पुरानी सरकार के जमाने में राजाओं के जमाने में और बादशाहों के जमाने में छोड़े जाते थे जनता के लिये और जनता के लिये

ही सुरक्षित किये जाते थे और उसी के लिये छोड़ दिये जाते थे। जनता के पशु जंगलों में चरा करते थे और किसान लाभान्वित होते थे तब देश में दूध दही की नदियां बहती थीं लेकिन आज प्रथा इस के बिलकुल विपरीत हो गई है।

पहले जंगल जनता के लिये होते थे लेकिन अब जनता जंगलों के लिये है, इन जंगलों को और जनता को वन विभाग के सरकारी अधिकारी चरते हैं। कैसे चरते हैं? जिन प्राइवेट फारेस्ट्स को सरकार ने जमींदारी एबालिशन के बाद वन विभाग को सौंप दिये थे उन प्राइवेट फारेस्ट्स में आज तक किसी एक का भी एरिया डिमारकेशन नहीं हुआ और न रेवेन्यू रेकार्ड में उसका कहीं भी इंदराज ही हुआ और न प्राइवेट फारेस्टों की आज तक कभी कोई वृक्षों की गणना हुई इसलिये देखे कि लाखों कत्थे के पेड़ों का अधिकारियों ने क्या किया है? ठेकेदारों द्वारा भट्ठियां लगवा दीं और जंगल के भीतर हजारों बोरे कत्था पर कत्था बन कर कानपुर चला गया। ठेकेदार से यह तय किया कि जब अन्त में भट्ठी गिराने लगोगे तो दो बोरा कत्था पकड़ कर चलान कर देंगे। दो सौ रुपये जुरमाना हो जायगा और लाखों रुपये की सम्पत्ति ठेकेदार से मिल कर जंगल के अधिकारियों ने खा ली। जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह से जंगल के अधिकारी चरते हैं। यह जनता को भी चरते हैं और जंगल को भी। २ सौ रुपया जुर्माना करवा कर लाखों रुपये की सम्पत्ति कानपुर की बाजार में बिक गयी।

मैंने यहां पर एक सवाल किया था कि जंगलात का जो प्लान्टेशन होता है उसमें क्या खर्चा बैठता है? उत्तर में बताया गया, जहांतक मेरा खयाल है, कि ६५ रुपया पर एकड़ पड़ता है जहां बीज बो दिया जाता है। ८५ रुपये पड़ता है वहां पर शायद कोई दूसरी विधि है। अगर टोकरियों में रख कर नरसरी से पौधे ला कर प्लांट किये जायं तो ११५ रुपये शायद बताये। यह तो तमाम जिलों में पड़ा। लेकिन खीरी जिले में ४०० रुपये पर एकड़ पड़ा। मैंने सप्लीमेंटरी क्वैश्चन में कई बार पूछा कि आखिर बताइये कि तीन विधियां बतायी गयीं, किसी में ११५ रुपये से ज्यादा नहीं पड़ता, तो चौथी कौन सी विधि है जिससे ४०० रुपये पर एकड़ खीरी जिले में पड़ा जहां पर इतनी जरखेज जमीन है कि दाना यों ही फेंक दो, न सिंचाई की जरूरत है, न जोताई की जरूरत है, लेकिन फसल काट लेते हैं। वहां पर ४०० रुपये पर एकड़ पड़ा। सर से बड़ी आंख सुना करते थे। हाथ भर की ककड़ी और नौ हाथ का बिया। ऐसी बात इस सदन में ही कही जा सकती है। हो सकता है कि यह लखनऊ की वजा हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्लान्टेशनों से भ्रष्टाचार बढ़ा है और रकबा बढ़ा है, वन नहीं बढ़े, क्योंकि जहां जंगल वालों ने अपना खूंटा गाड़ दिया, रकबा बढ़ गया और जैसा मैंने कहा भ्रष्टाचार बढ़ा है। ११५ रु० के ऊपर कोई चौथी विधि नहीं लेकिन ४०० रुपये पर एकड़ अगर कहीं खर्चा हुआ है तो खीरी जिले में।

एक बात और आपसे कहूं कि जब जंगलात वालों से कहा जाता है कि भाई भूमिहीनों को थोड़ी भूमि दे दो तो कहते हैं कि नहीं है भूमि। अगर यह कहा जाय कि कोई भूमि औद्योगिक उत्पादन के लिये देने की कृपा करें तो कहेंगे कि नहीं नहीं, इसके लिये भी गुंजायश नहीं है। लेकिन अगर डैम बनने लगेगा तो हजारों एकड़ जंगल पर जंगल कटते चले जायेंगे और डैम बन जायगा। इसी सदन में एक बार नहीं कई बार यह बात कही गयी कि स्टार पेपर मिल को लकड़ी देने का जो एग्रीमेंट १९५६ में हुआ था, वह एक साल के लिये हुआ था। चीड़ से पेपर बनाने वाली मशीनरी भी नहीं आयी लेकिन आज तक एग्रीमेंट नहीं बदला गया। इसका जवाब सरकार नहीं दे पाती है कि नया ऐग्रीमेंट क्यों नहीं लिखाया जा रहा है। माननीय अलीजहीर ने इसी सदन में यह वादा किया था लेकिन आज तक वह ऐग्रीमेंट न बदला गया है न नया ऐग्रीमेंट लिखाया गया है और लकड़ी कटती चली जा रही है। भगवान जाने कहां जा रही है। एक आने स्क्वायर फिट में बेगास का गड्डा भी नहीं मिलता है लेकिन चीड़ की लकड़ी चली जा रही है। "अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी, टका सेर खाजा" यह कहावत इस सरकार के ऊपर बिलकुल चरितार्थ होती है।

[श्री शिवप्रसाद नागर]

मैं एक बात और कहूं। जितने भी गांव हैं उनका सबका एक मुकम्मल बन्दोबस्ती नकशा है। उनका एक जिल्द बन्दोबस्ती में नकशा है उस जिल्द बन्दोबस्ती नकशे के अन्दर जो भूमि है उसका रकबा उसके अन्दर बाकायदा बनाया हुआ है। कहीं उसमें फारेस्ट का जिक्र नहीं है। उसका जिक्र न जमाबन्दी में है, न खसरे में है और न खतौनी में है, मगर जिस दिन इन जंगल वालों की दृष्टि इसकी तरफ घूम गई तो सारा का सारा गांव जंगल हो गया। गांव की मजरुआ आराजी जिसको २०,४० साल से बुजुर्ग जोतते चले आये हैं, वह जंगल में चली गई। वह फारेस्ट के रकबे में आ जाती है। फारेस्ट नहीं बढ़ते हैं बल्कि उनका रकबा बढ़ जाता है।

आज जितने बार्डर के गांव हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस सूबे में अगर खुदा न करे कि ऐसा गजब हो, अगर कहीं दुश्मन ने चढ़ाई की और उसकी नजर टेढ़ी हुई तो आज जितने बार्डर के गांव हैं, जिनकी जमीन को छीन लिया गया है वह सब बागी नजर आयेंगे और बगावत करके दुश्मन के साथ मिल जायेंगे। आप उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। उन पर जुल्म बरपा किये जाते हैं। उनको मारा जाता है और उनके जानवर छीने जाते हैं और यहां तक किया गया है कि उनके घरों को जलाया गया है और गांव के गांव फूंके गये हैं। इसी कुर्सी पर बैठे हुये अलीजहीर साहब से सन् १९५८ में पूछा गया था, ये गांव कैसे जल गये तो उन्होंने जवाब दिया था कि फारेस्ट वाले कहते थे कि हटाओ तो उन्होंने हटाया नहीं था, तो फिर चारा ही क्या था। उनको जला दिया गया। वे हटाते नहीं थे तो उनको जला दिया गया। वे आखिर कहां जाते, उनके लिये कौन जगह थी। उनके लिये आसमान और जमीन के बीच कहीं जगह थी या नहीं? आपने कह दिया कि वह हटाते नहीं थे तो फिर चारा ही क्या था सिवाय इसके कि उनके घरों को जला कर फेंक दिया जाय। दुश्मन किसी देश पर चढ़ाई के समय बार्डर के गांवों पर जितने जुल्म करता है वह सब आपकी तरफ से पहले ही किये जा चुके हैं।

मैं कहता हूं कि १२ हजार वर्ग मील भूमि सन् १९५४ से ५६ तक जो चीन के कब्जे में चली गई है उसके लिये कौन जिम्मेदार है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके लिये यह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट जिम्मेदार है। वे लोग गद्दार हैं जिन्होंने सन् १९५४ से ५६ तक हमारी सरकार को चीनियों द्वारा कब्जा करने की सूचना नहीं दी। वह फारेस्ट का इलाका है जहां पर ये फारेस्ट के आदमी काम करते हैं लेकिन उस १२ हजार वर्ग मील जमीन की कोई सूचना इन्होंने नहीं दी। जब जवाहर लाल और सम्पूर्णानन्द को मालूम हुआ तो वे कलेजा थामकर रह गये। जिस तरह से अभी तक उस एरिया की सुरक्षा नहीं की गई और वह दूसरे के कब्जे में जमीन चली गई तो आगे भी अगर आपने वहां के किसानों के लिये सुरक्षा का प्रबंध न किया तो और जमीन उनके कब्जे में चली जायगी। इसलिये मैं कहता हूं कि वन के अन्दर रहने वाले किसान और जो वन के अन्दर गांव आबाद हैं उनकी सुरक्षा का प्रबंध होना जरूरी है। वहां के रहने वालों के लिये सुविधा प्रदान करना बहुत जरूरी है। अगर उन बार्डर एरिया में रहने वाले लोगों के साथ किसी तरह से अन्याय हुआ तो मैं इस सदन के अन्दर कहता हूं कि वे जंगल के निवासी मुल्क के सब से बड़े बागी हो जायेंगे और दुश्मन के साथ मिल जायेंगे और आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर रह जायेंगे। इसलिये वन में रहने वाले गांवों की सुरक्षा का प्रबंध आप पहले करें। यदि वहां पर रहने वाले किसानों को सुविधा नहीं मिली तो यह जनतंत्र नहीं होगा बल्कि हिटलरशाही का राज्य बनकर रह जायगा।

श्री गणेशप्रसाद (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये हुये अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह सौभाग्य से इस विभाग के मंत्री हो गये हैं। उनको चाहिये कि वह उदारता बरतें जो कि पहले जमींदारों के समय में या राजा रईसों के समय में जंगलों से प्रजा को प्राप्त हुआ करती थी। पहले प्रजा सरकारी जंगलों से भी बहुत कुछ लाभ उठाती थी। गरीब लोग मुफ्त में लकड़ी लेते थे और मकान बनाने के लिये उनको सस्ते रेट पर काफी लकड़ी

खरह आदि मिल जाया करती थी। आज उनसे यह सारी सुविधायें छीन ली गयी हैं। घास और पत्ते आदि जो वे मुफ्त ले आया करते थे, अब वह नहीं ला सकते। मैं समझता हूं कि किसी कल्याणकारी राज्य के लिये यह एक लज्जा की बात है कि प्रजा से पहले की मिली हुई सुविधायें भी छीन ली जायं। राजा रईस उनसे उदारता का व्यवहार करते थे और इसी कारण वे शायद पहिले से अधिक संख्या में चुन कर यहां आ गये हैं। उनके क्षेत्र की जनता ने सरकार से अधिक उनकी उदारता पर भरोसा किया और उनको अपना प्रतिनिधि बना कर यहां भेजा है। उन क्षेत्रों में इसी कारण शायद आपकी हार हुई है। हमें यह कमी दूर करनी चाहिये और उन के साथ काफी उदारता बरतनी चाहिये। पहले पोलिटिकल सफरर्स को या गरीब लोगों को जंगलों से सस्ते रेट पर लकड़ी मिल जाया करती थी। आज ऐसा नहीं रह गया है और इसलिये उनको यह सुविधायें तुरन्त दी जानी चाहिये। जंगलों के आस-पास काफी गरीब लोग पत्ती आदि बेच कर अपनी जीविका कमाते थे। और उनकी औरतें, बच्चे आदि लकड़ी बीन कर, शहरों में बेच कर अपनी जीविका कमाते थे। यह सुविधा उनको फिर से मिलनी चाहिये। आज भी वह छोटे कर्मचारियों को रिश्वत दे कर यह काम करते हैं और इस प्रकार सरकार ने रिश्वत का बाजार खोल रखा है। क्यों न उनके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जाय और यह रिशवतखोरी बंद करायी जाय।

गोरखपुर जिले में काफी जंगल हैं लेकिन शहर में तीन रुपये मन लकड़ी बिकती है जब कि उसके १९, २० मील दक्षिण कुआनो और घाघरा के दोआबे में ८ आने मन मिठाई के पेड़, गन्ना, बिकते हैं। तो वहां पर भी गायघाट, रसूलपुर, नकौड़ी, आदि गांव जो बिलकुल बर्बाद हो गये हैं, जिनके सारे घर गिर गये हैं, वहां के रहने वालों को सस्ती लकड़ी नहीं मिलती और वे पेड़ों की छाया में पड़े हुये अपना जीवन बिता रहे हैं। वे लकड़ी बिना अपने मकान नहीं बना सकते। ऐसी हालत में सरकार को चाहिये कि उनको सस्ती लकड़ी दे कर मकान बनाने की सुविधा प्रदान करे।

जमींदारी टूटने के बाद सारे जमींदारों ने तमाम पेड़ कटवा डाले और अब गांवों में मुर्दे जलाने के लिये भी लकड़ी मिलना मुश्किल हो रहा है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह गांव सभाओं को अनुदान आदि दे कर तालाब और नदियों के किनारे ऐसे पेड़ लगवाये जिनकी लकड़ी जलाने के काम में आ सके और गांव वालों को सुविधा हो। नदियों और नालों के किनारे जो बंजर भूमि है, जो परती भूमि है उसमें जलाने वाली लकड़ी लगाने के अनिवार्य आदेश सरकार की ओर से होने चाहिये। इसके अतिरिक्त जिनके पास अधिक खेती है उनके लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वे अपनी खेती के कुछ हिस्से में बाग या जलाने वाली लकड़ी के पेड़ अवश्य लगावें ताकि गांव वालों को वह लकड़ी खैरात में या मोल मिल सके। मैं देख रहा हूं कि देहातों में जलाने वाली लकड़ी का नितांत अभाव होता जा रहा है।

पहले जंगलों से बहुत सी दवाइयां मिला करती थीं और रोगी आसानी से अच्छे हो जाया करते थे। अब पंसारियों के यहां कई बरस पुरानी औषधियां मिलती हैं और वे फायदा नहीं करतीं। उनका गुण ६ महीने के बाद नष्ट हो जाता है और रोगी के लिये वे हितकर नहीं होतीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि औषधियों के पेड़ लगाये जांय ताकि जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। ऐसा करने से आपको अधिक औषधालय खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

बहुत सी ऊसर जमीन प्रदेश में पड़ी हुई है और जहां जंगल थे वे काट डाले गये हैं, लेकिन आज वहां खेती भी नहीं हो रही है। इसलिये उस ऊसर में जंगल लगाये जायं। उसमें चरागाह भी बन सकेंगे और इस प्रकार हमारे गाय बैलों की नस्ल भी सुधरेगी और हमारे पशुधन की वृद्धि होगी। पहाड़ों में जहां सुविधा हो वहां भी औषधियों के पेड़ लगाये जाने चाहिये ताकि काफी मात्रा में औषधियां लोगों को मिल सकें।

इन शब्दों के साथ में माननीय वन मंत्री के अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती का विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं वन मंत्री जी को उनकी इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं कि वह मंत्रिमंडल में किसी न किसी प्रकार से आ गये और जब वे आये तो उनके हाथ में केवल जंगल ही लगा। उस जंगल की जो परिभाषा उन्होंने बतायी है, आपने एक लम्बे चौड़े लेखबद्ध भाषण में, उसे सुन कर मैं समझा कि रात में वे रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों को पढ़ते पढ़ते विभोर हो गये और यहां बाद में आकर भाषण दे डाला। मैं चाहता हूं कि जंगल विभाग के कार्य और उसकी कहानी भी आप सुनने की कृपा करें।

वैसे तो मैं एक ऐसे जिले से आता हूं कि जो जंगल से संबंधित नहीं है, मैदानी जिला है, लेकिन अब तो यह जंगल विभाग, जंगल और मैदान, सभी जगह फैल गया है और सब जगह सड़कों के किनारे जंगल विभाग की तख्तियां लगी हुई दिखायी पड़ती हैं। यह जंगल विभाग के कार्य पहले जंगली हिस्से के गरीब किसानों के लिये ही दुखदायी थे, लेकिन आज वे मैदान में भी उतर आये हैं और गांव गांव में लोगों को दुखदायी हो रहे हैं। श्रीमन्, मैं मैदानी हिस्सों की बात, उनकी कहानी, माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं।

आज हमारे प्रदेश में ईंधन की कमी है और ज्यों ज्यों आधुनिक युग में हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम बिजली और कोयले का प्रयोग अधिकाधिक करते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं किन्तु हमारे देहाती क्षेत्र में ईंधन की समस्या बढ़ती जाती है वहां बिना लकड़ी के, ईंधन के काम नहीं बन पाता है। उनके पास दूसरे साधन नहीं हैं।

मैं इस बात को महसूस करता हूं कि आज खाद को ईंधन में गांव वाले काफी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। किसान इस बात को भली भांति जानता है कि उसको खाद को ईंधन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। यह बात नहीं कि वह उसको जानता नहीं है, मगर वह मजबूरी की हालत में ऐसा करता है, हमें उसकी हंसी उड़ाने की जरूरत नहीं। उसके यहां ग्राम समाज सम्पत्ति में जलाने के लिये ईंधन है ही नहीं। लिहाजा उसको मजबूर होकर उसको जलाना पड़ता है। जितनी भूमि उनके पास होती है उसमें वे कृषि करते हैं। लकड़ी उनके पास आवे कहां ? ?

महोदया, एक सदस्य ने कहा कि आज ईंधन की इतनी कमी है कि मुर्दे को जलाने तक को लकड़ी नहीं मिल रही है। मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं। कंट्रोल के जमाने में कपड़े का अकाल था और मुर्दों को कफन तक नहीं मिल पाता था, किन्तु आज उनको जलाने के लिये लकड़ी तक नहीं मिल रही है। लोग अधजले मुर्दों को यूं ही बहा देते हैं। आज तो इस विभाग के अधिकारियों का एक ही कार्य रह गया है और वह यह कि अगर किसी किसान का किसी सड़क के किनारे कोई पेड़ है तो उसकी सूखी लकड़ी उसे किसी प्रकार से न मिलने पाये। आज उसको अपने पेड़ के लिये कभी जिला बोर्ड के, कभी P. W. D. के सामने जाना पड़ता है, कभी जंगल विभाग के सामने जाना पड़ता है। जिला बोर्ड, पी० डब्ल्यू० डी० और यह वन विभाग, तीनों मिल कर किसान को परेशान करते हैं और उसको जलाने की लकड़ी नहीं मिल पाती।

मैं अपने क्षेत्र की बात कह रहा हूं। मेरे यहां एक मौजा सम्भुआ है। वहां बहुत बड़े क्षेत्र में जंगल है। वहां किसानों ने अपनी खेती करने की बहुत कोशिश की, मगर इस विभाग के अधिकारी तो कहते हैं कि हम तो किसानों को भूमि के लिये तरसते हुये देखेंगे। वे उनको जमीन नहीं लेने देते। जो उनकी जमीनें हैं उनको भी वे जंगल लगाने के लिये हथियाने के चक्कर में रहते हैं। इस विभाग के लोग ऐसा तक करते हैं कि उन लोगों की भूमि को दूसरे लोगों को देकर स्वयं लगान वसूल करते हैं। इसी संबंध में बहुत दिनों से यह केस सरकार के सामने विचाराधीन पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

आज किसान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे यहां कानपुर में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर जंगल विभाग ने किसानों की भूमि को अपने विभाग की भूमि में शामिल कर रखा है। आज उस जमीन का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। यह विभाग तरह तरह के

अड़ंगे लगाता है और हर बात में अपनी टांग अड़ाता रहता है। किसानों द्वारा सड़क के किनारे जो पेड़ लगाये हुये हैं वे भी उनको नहीं मिल पाते। उसमें भी उलझनें पैदा की जाती हैं। मेरे यहां एक छोटी सी सड़क है उसके किनारे नीब, अमरूद आदि के पेड़ लगाये गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह पेड़ वहां कैसे रह पायेंगे। मैं आपको बताऊं कि हर ३० पेड़ों की देख भाल करने के लिये एक आदमी रखा गया है जो २ रुपये रोज पाता है। उसके रहते हुये भी एक भी पेड़ बच नहीं पाता है। आज यह सरकार बड़े बड़े जंगलों को उद्यान बनाना चाहती है।

माननीया, मैं भी जगल विभाग में सन् १९३० में एक मुख्य कर्मचारी रहा हूं। उस वक्त मैंने जाना था कि अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी विभाग है तो वह वन विभाग ही है। आज हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो बेचारे कानून को नहीं जानते और सदैव वन विभाग के अधिकारियों के सामने जाकर हाथ पैर जोड़ते रहते हैं। और उनसे हर प्रकार से अधीन रह करके, उनकी जी-हुजूरी करके अपना जीवन-यापन करना चाहते हैं। आज वन विभाग के अफसर अपने बंगलों तक सड़क बनवाने का काम अवश्य करते हैं जिससे उनकी मोटरें आसानी से आ-जा सकें। शिकार करने के लिये शिकार-गाह तैयार करना और उनके बंगलों में उनकी सुरक्षा का सारा सामान रहता है, जबकि जो छोटे छोटे फारेस्ट गार्ड हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिये वेतन-वृद्धि का सवाल उठाया गया था, लेकिन अभी तक उसको सरकार पूरा नहीं कर पायी। बड़े बड़े आलीशान बंगले बड़े अफसरों के लिये बनते जा रहे हैं।

वहां की आमदनी में जो ठेकेदारी सिस्टम के द्वारा या उन वन अधिकारियों के द्वारा जो बढ़ोत्तरी हुई है उसके बारे में रोज आये दिन आवाजें उठती हैं। लीसा, कत्था के बारे में और उस विभाग के मूल्यवान लकड़ियों के बारे में सवाल पर सवाल किये गये और मंत्रियों को कायल किया गया कि इन नीतियों में सुधार हो, आज नये मंत्री आये हुए हैं, दिल्ली की हवा लेकर आये हैं वह शुद्ध वायु भी लाये हैं या गन्दी करने के लिये आये हैं? अगर उन्होंने वन विभाग को लिया है तो उसको झाड़ें पोछें, साफ करें, उसको गन्दा न करें, यह आपके द्वारा उनसे प्रार्थना करूंगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं लम्बी चौड़ी बातें न कह कर मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे कुदरती जंगल थे जो धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं। जमुना, चम्बल और बेतवा के किनारे और उनके नीचे रेवीन्स बढ़ते चले जा रहे हैं और ऊबड़ खाबड़ जमीन में नर घातक आदमी, यानी डाकू पैदा हो रहे हैं। यदि इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दिया जाय और जैसे कि कुदरती जंगल नदियों के किनारे थे, उनको सुरक्षित किया जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी समस्या इस देश की निर्धनता की और अन्न की कमी की दूर हो सकती है।

मुझे याद है अपने बचपन की कहानी। हमारे जिले में जमुना बहती है और मीलों तक चले गये रेवीन्स हैं जिनमें अच्छे खासे जंगल थे, पशु चरा करते थे और अच्छा दूध और अच्छे बछड़े होते थे और किसानों और देहात के आदमियों को लकड़ी की कठिनाई नहीं होती थी। आज दशा यह है कि कृत्रिम तौर पर तो वन महोत्सव मनाते हैं, उन जगहों पर वन लगाने की कोशिश करते हैं जहां सचमुच वन लग नहीं सकते हैं, लेकिन जहां कुदरती वन थे वे धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम देखते हैं कि पी० डब्लू० डी० में, हाईवेज में सड़कों के कनारे दोनों तरफ वन लगाये जा रहे हैं। दोनों ओर पेड़ लगाये जा रहे हैं और वहां पत्थर लगे हैं जिनमें फारेस्ट डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और कुछ आस-पास की जमीन में भी वृक्ष लगे हुए हैं और घास खड़ी है। देहात के रहने वाले आदमी जो अपने पशुओं को चराने के लिये कभी कभी अपने पशु देहात के बाहर ले जाते हैं तो उनके लिये वह घास मुसीबत हो रही है। अगर किसी पशु ने सड़क से उतर कर,

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

पटरी से नीचे घास पर मुंह मार दिया तो उस पशु को कांजी हाउस भेज दिया जाता है। ये नकली जंगल एक तरह से परेशानी का वायस हो रहे हैं।

इस सदन में हम "अधिक अन्न उपजाओ" की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे खेतों को खाद मिले किन्तु आज ईंधन की कमी के कारण किसान गोबर को उसके उपले और कंडे बनाकर जला डालता है। यदि सचमुच यह व्यवस्था हो कि जितने पुराने जंगल थे जिनमें से बहुत से अन्न उपजाने के लिये टूट गये, बहुत से जंगली क्षेत्र को उर्वरा भूमि में परिणत कर दिया गया, उनमें खेती हो रही है, लेकिन अब भी नदियों के किनारे हमारे जिले के नगर में जैसे सेंगुर और जमुना के किनारे अच्छे जंगल थे और आज भी हैं, मगर हमारे वन-महोत्सव ग्राम सभाओं को यह प्रेरणा दे नहीं पाते कि वहां वृक्ष लगावें और उनकी देखभाल करें, अगर उनको प्रेरणा मिले तो यह ईंधन और चारे की कमी की समस्याएं दूर हो सकती हैं।

उन क्षेत्रों में जहां सचमुच जंगल हैं और जहां कटान होता चला जा रहा है उधर सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो ग्राम सभायें नदियों के किनारे बसती हैं उन्हें प्रोत्साहन, सहायता और अनुदान मिलना चाहिये और संरक्षण मिलना चाहिये तभी निश्चित रूप से वन काम में आ सकते हैं और किसानों के काम में लकड़ी आ सकती है। अभी तो हाल यह है कि पुराने जमींदारों ने जाते जाते उस क्षेत्र के तमाम वृक्षों की सफाई करदी और लोगों के नाम पट्टे लिख दिये। नतीजा यह हुआ कि कई वर्ष हो गये लेकिन उस जमीन पर वृक्ष तो कट गये किन्तु हल नहीं चले, वह केवल लकड़ी लेते हैं और जड़ों को निकाल कर ले लेते हैं और उस पर कब्जा अपना दिखलाते हैं। भूमि व्यवस्था नियम के अनुसार वह पट्टे नाजायज हो जाने चाहिये लेकिन सरकार का उधर ध्यान ही नहीं जाता है। जिनके नाम पट्टे लिख दिये गये वह जमीन पर कब्जा किये हैं लेकिन उस पर न तो जंगल लगाते हैं और न उसे जोतते हैं। वे अपना समय भी बर्बाद करते हैं और जमीन को भी बर्बाद कर रहे हैं। मेरे जिले में एक मजाक मेरे सामने दरपेश हुआ।

(इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

कुछ प्लाट थे जिनपर नहर विभाग का कब्जा था। कुछ क्षेत्रों में जहां कि नहरों के बीच तालाब पड़ते थे उनके बीच में से नहर विभाग ने नहर को निकाल दिया था। धीरे २ जब रेह से वह तालाब भर गये तो नहर विभाग ने सीधी चैनल मिला दी। इस प्रकार से जो प्लाट निकले उनको विभाग ने नीलाम कर दिया। एक श्री डालचन्द को ऐसे प्लाट्स पर खेती करने के लिये ५ साल का ठेका मिला। लेकिन एक साल के बाद ही विभाग ने उससे कहा कि तुम खेती करना बन्द करो यहां जंगल लगेगा। गरीब बेचारे श्री डाल चन्द ने कहा कि जंगल कैसे लग सकता है, इसका तो मेरे नाम पांच साल का पट्टा है। उसने प्रार्थना-पत्र भी दिया लेकिन उसके प्रार्थना-पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नहर मुहकमे ने उसका प्रासीक्यूशन कर दिया और उसको एक महीने की सजा कर दी। जब उसकी तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया और अपील दायर हुई तो वह बेचारा १५ दिन की सजा काटने के बाद छूटा। अब सरकार की कृपा से फिर उसको वहां खेती करने का मौका मिला। तो इस तरह से जो प्रोग्राम बनते हैं वन लगाने के या वनमहोत्सव के उनको संजीदगी के साथ बनाना चाहिये और उनपर ठीक से काम होना चाहिये। इस प्रकार से जुल्म के साथ और जबर्दस्ती काम करने से सिवाय बदनामी के और कुछ नहीं होता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जमुना किनारे की रेवीन्स और दूसरी जगह जहां जंगल हैं उनको कायम रखा जाय तभी उस क्षेत्र के निवासियों को लकड़ी और चारे वगैरह की सुविधायें मिल सकेंगी और उनका कल्याण हो सकेगा और वह आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग जिसपर आज बहस चल रही है वह एक इतिहास की बहुत पुरानी चीज है। कृष्ण जी ने वन में ही जाकर गायों को चराया था और ग्वालबालों का संगठन करके कंस को मारा था। यह श्रीमन्, इतिहास की पुरानी चीज है।

दूसरी चीज श्रीमन्, रामचन्द्र जी ने वन में रह कर किष्किंधा में कुटी बनाकर और फौज को इकट्ठा करके रावण को खत्म किया था और विजय प्राप्त की थी। श्रीमन्, वन में तपस्वी, त्यागी और ऋषि होते हैं। वन में ही रहकर पांडवों को इतना बल मिला कि उन्होंने कौरवों का नाश कर दिया। यह चीज कहां से मिलती थी? यह चीज बन से मिलती थी। हम लोग भी तो २६, २७ साल तक वन में रहे। पुराने अंग्रेज हमें लारी में भर कर जंगलों में छोड़ देते थे और तब तीन दिन तक हम चक्कर लगाते थे और इन्किलाब जिन्दाबाद कहते हुये बढ़ जाया करते थे। यह शिक्षा हमें बनों से ही मिली। कल के लिये परिश्रम करना पड़ता है। जिन्होंने कभी पेड़ लगाये नहीं, जिन्होंने कभी सींचा नहीं वे क्या जानें वन क्या होता है और फल क्या होता है। हीरा वह चीज होती है जिसको हीरों का परखने वाला ही जानता है, कौड़ियों का परखने वाला क्या जाने। लेकिन हीरे के लिये तपस्या करनी पड़ती है। इसी वन में सीता जी को अनुसूया जी ने कथा सुनाई थी। इन्हीं वनों में रहकर लवकुश ने रामचन्द्र जी के भी घुटने टिकवा दिये थे। जो मेहनत करना जानते हैं वे जानते हैं वन क्या होता है? जो मुफ्त में रात में चोरी करके फल लाते हैं वे क्या जानें कि फल क्या होते हैं और वन क्या होता है?

श्री अध्यक्ष—अब आप यह भी कुछ बताइये कि वनों की तरक्की कैसे हो?

श्री टीकाराम पुजारी—वृन्दावन और मथुरा के बीच में वन बहुत थे, अब सुनिये कि तरक्की क्या हो और कैसे की जाय? वहां पीलू बहुत हुआ करता था। पेंहची एक पश्चिमी फल हुआ करता है। वहां पर उसको खत्म करके बबूल लगा दिये गये हैं। तो मैं कहता हूं कि जहां पर बबूल जैसी बेकार की चीजें लगी हुई हैं वहां फलों वाले पेड़ लगाये जायं जिससे लोगों को खाने को मिले और दूसरी बात यह है कि मंत्रियों को जंगलों में ६ महीने के लिये भेज दिया जाय जिससे उनके दिमाग भी सुधरें और हवा भी जरा त्याग और तपस्या की उनके अन्दर आये। बबूल के पेड़ जो लगाये गये हैं उनके लिये तो मैं कहता हूं—

"करनी करे तो क्यों डरे और करके क्यों पछिताय,
बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाय।"

हमारे गांवों के वृक्षों को गांव सभा को दिया गया है। पुराने जमींदार होते थे तो गरीबों के यहां ब्याह होने पर उन्हें जलाने के लिये पेड़ मिल जाते थे। लोग मर जाते थे तो उनके जलाने के लिये लकड़ी मिल जाया करती थी, लेकिन आज क्या हालत है? जंगल विभाग और ग्राम पंचायतों के कारण हमारी लकड़ी भी मुर्दा जलाने के लिये चली गयी और मुर्दघाट भी चले गये। आज मुर्दा फूंकने के लिये गांवों में जगह नहीं है। लोगों को लकड़ी नहीं मिलती है। पैना के लिये लाचार हैं, लाठी के लिये उनके पास लकड़ी नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि लोगों को लकड़ी दी जाय।

जो आदमी जंगलों की झाड़ियों में रहता है उसको आप २५ रुपया देते हैं चाहे उसको शेर खा जाय, चाहे रीछ खा जाय, चाहे उसको लकड़बग्घा खा जाय, और जो कमरे में बैठता है, गाड़ी में चलता है, उसको आप देते हैं ४,५०० रुपया। वाह री मेरी सरकार।

गुरु पड़े चौपाल में, खीर गिरदें खायं,
पतिबरता भूखन मरे रंडी पान चबाय।

श्रीमन्, आप के द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि वनों के आसपास वाले लोग तबाह हो रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है, वे अपनी मड़ैया भी नहीं बना सकते, उनको अधिकार दिये

[श्री टीकाराम पुजारी]

जायं। बबूलों की जगह फलदायक पेड़ लगाये जायं। मंत्रियों को वनों में हवा खिलाई जाय। फूंकने की और मुसलमानों की गाड़ने की जमीनें पंचायतों में चली गयी हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाय। मैं मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि वे गांवों के गरीबों को घर बनाने के लिये लकड़ी दें जिससे उनके कष्ट दूर हों।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने जंगल के विषय में अपने विचार इस सदन में पेश किये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हर विभाग में कुछ काम अच्छा भी है और कुछ उसमें खामियां भी हैं और कहीं कहीं खूबसूरती भी है। इस वन विभाग में आज तक जो काम हुआ है यह और विभागों की अपेक्षा भी अच्छा हुआ है। वन विभाग के कर्मचारी एक प्लान्ड वे में काम करते हैं। उन्होंने जंगलों में बहुत से नये प्लान्ट्स लगाये हैं।

हमारे मुल्क में जंगलों की कमी होती जा रही थी लेकिन जब से जंगल विभाग ऐक्टिव हो गया है उसने जंगलों की गिरावट को रोक दिया है और प्रदेश में जंगल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बनने जा रहा था उसको भी पेड़ लगा कर इस सरकार ने रोका है। जंगलों से हमें वह जीवन संगीत मिलता है जो हमारे मन में हिलोरें मारता हुआ हमारे हृदय को आन्दोलित करता है। ये जंगल सदैव से हमें प्रेरणा देने वाले रहे हैं, ऋषियों और मुनियों की त्याग और तपस्या की भूमि रहे हैं जहां उन्होंने तपस्या कर के आध्यात्मिकता का श्रोत प्राप्त किया था। यही वन भारतीय तपस्या और संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। हम इन जंगलों की सुन्दरता को भूल नहीं सकते हैं जहां इन्सान की आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। इसके बारे में मैं एक कविता पढ़ देना चाहता हूं —

"Away away from man and town,
To the wild woods and the down,
To the silent wilderness, where the soul need not repress its music,
Lest it should not find an echo in another's mind."

वनों में हमें संसार के कामों से छुटकारा मिल कर एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है जो कि केवल वनों के शान्त सालीट्यूड के अन्दर ही प्राप्त हो सकती है। वहां हमें असली जीवन संगीत प्राप्त हो सकता है।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे इन्सानों की बस्ती तब तक हरी भरी नहीं हो सकती जब तक कि हमारे जंगलात हरे भरे नहीं होते और इसके साथ ही साथ हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि हमें जंगलों के द्वारा इन्सानों को लकड़ी आदि जो जीवन के साधन हैं वे भी उपलब्ध कराने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फारेस्ट विभाग इन पेड़ पौधों की तरफ बहुत कड़ी नजर रखता है और उनकी रक्षा करता है। हमें कुछ हद तक अपनी पालिसी को इस दिशा में तब्दील करना होगा क्योंकि हमें अवश्य यह देखना चाहिये कि लोगों के लिये अब बड़ी कठिनाइयां उपस्थित हो गयी हैं क्योंकि जंगलात विभाग बहुत कड़ी नजर अब जंगलों पर रख रहा है और ऐसे कस्टमरी राइट्स जो गांव वालों को जंगलात के अन्दर पहले से मिले हुए थे, जंगलात विभाग ने उन अधिकारों को इस्तेमाल करने से भी अब गांव वालों को डिबार कर दिया है और वहां के लोग जो मकानों के लिये या और दूसरे कामों के लिए अपने हक हकूक के मुताबिक लकड़ी का इस्तेमाल करते थे उसमें जंगलात विभाग ने कमी कर दी है।

मैं समझता हूं कि यह जो कस्टमरी राइट्स हैं उनको टच करने का जंगलात विभाग को कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये राइट्स उनको ऐंसियेंट टाइम से, इम्मेमोरियल टाइम से चले आ रहे हैं जिनको किसी कानूनी दायरे के अन्दर नहीं खत्म किया जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार जो अपने एक आर्डर के द्वारा इस तरह के हकूक को कुचलना चाहती है, इस तरह से हकूकों को कुचला नहीं जा सकता है। लेकिन गरीबों के लिये मुसीबत है कि वे कानून की अदालत में रुपया कहां से खर्च करें और कहां तक अपने हकूक की रक्षा कर सकते हैं।

इसलिये मैं निहायत अदब के साथ इस सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि वह लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ न करे। सरकार की तरफ़ से आदेश जारी किया गया है कि गांव वालों को हकूक दिये जायं और उन लोगों की गाय के लिये गोचर आदि खोले जाने चाहियें। जो गिरी हुई लकड़ी हो उसके इस्तेमाल का भी उनको पूरा अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि वह इस तरह की गिरी हुई लकड़ियों के लिये नीलाम करने के लिये टाल खोले क्योंकि वहां के लोग बहुत गरीब हैं। जैसा कि मुझे बतलाया गया है वहां के निवासी जंगल में आग लगने पर भी उस आग को बुझाने में जंगलात विभाग की बड़ी सर्विस करते थे और कहीं यह पता लग जाय कि फलां गांव के किसी आदमी ने आग लगायी है तो सारी कम्युनिटी पर जुर्माना होता था और इस तरह से उस जंगल के नुकसान की पूर्ति की जाती थी। मैं समझताहूं कि जहां जनता का इतना भारी सहयोग इन जंगलात को बिल्ड करने में होता था वहां पर उन जंगलों की उपज का इस्तेमाल करने का अधिकार उनको होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह के अधिकार को उनसे छीनना उनके अन्दर एक घोर असन्तोष पैदा करना है। हमें अपनी नीति को इस तरह से अमेंड करना चाहिये ताकि हम लोगों में सन्तोष पैदा करें।

बड़ी खुशी की बात है कि जंगलात विभाग ने जंगल के अन्दर ही बहुत ही सुन्दर फलों के बाग भी एक प्लान के साथ और एकोनामी के साथ लगाये हैं, जो आज लहलहाते हुए नजर आते हैं और वे अब फल भी देने लगे हैं। इसके साथ ही साथ जंगलात विभाग ने उस जगल की पैदावार को मारकेट तक लाने के लिये सड़कों का भी निर्माण किया है जो बहुत ही कम खर्च में बनी हैं। जहां हमारा पी० डब्लू० डी० लाखों करोड़ों रुपये खर्च करता है वहां जंगलात विभाग ने १०, २५ और ४० हजार रुपये खर्च करके ही मीलों सड़कें बना ली हैं और जो बहुत सुन्दर सड़कें हैं। वे ऐसी सड़कें हैं जिन पर मोटर सर्विस भी चालू है।

अब मैं इतना और अर्ज करूंगा कि जंगलात विभाग में बहुत सी भूमि ऐसी हैं जो कि आबादी के लिये बहुत आसानी से दी जा सकती है लेकिन जैसा कि इस विभाग के उच्च अधिकारी का नाम है कन्जरवेटर वैसे ही उनके व्यूज भी कन्जरवेटिव हैं। वह नहीं चाहते कि किसी को एक इंच जमीन भी दी जा सके और उसको देने में उनका दिल टूटता है। टनकपुर से हरिद्वार तक रोड के दोनों ओर कोई कीमती पेड़ भी नहीं है और वहां पर सड़क के किनारे आसानी से जंगल साफ किया जा सकता है और जमीन आबादी के लिये दी जा सकती है। इस ओर सरकार ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री सुरथबहादुरशाह को ५–५ मिनट दूंगा और उसके बाद श्री मलिखानसिंह अपना उत्तर देंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज वन मंत्री जी का भाषण सुन रहा था और उसके बाद अब जब मैंने माननीय टीकाराम जी का भाषण सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मंत्रीजी की बात को अगर कोई समझा तो वह केवल टीकाराम जी ही समझे और उनकी हृदयतंत्री के तार झंकृत हो उठे, इसीसे आप स्वयं इसका अर्थ लगा सकते हैं। मंत्री जी की ओर से कहा गया कि हमारे यहां वन सदा से ही ज्ञान के स्रोत रहे हैं और हम उसमें धक्कमधक्का नहीं चाहते। लेकिन आज देखा जाय कि किस तरह से वहां के शान्तिप्रिय लोगों की शान्ति को भंग किया जा रहा है, उनको एक रुपया मन लकड़ी दी जाती है और करोड़-पतियों को वही लकड़ी ७ पैसा मन के हिसाब से दी जाती है लेकिन फिर भी मंत्री जी को वहां की जनता से उल्टी शिकायत रही है। सन् ६० के बजट में १ करोड़ २३ लाख क्यूबिक फिट लकड़ी स्लीपर की चोरी गई। यह तादाद कहां से बढ़ती जाती है? फारेस्ट प्रोड्यूस का हाल यह है कि एक चीड़ का पेड़ १०० साल में होता है और साल का तो और भी अधिक समय में होता है। इस तरह से बहुत ज्यादा प्रोडयूस ली जा रही है।

उदाहरण के लिये यहीं का उदाहरण आपके सामने है, श्रीमन्, आपने भी यूकेलिप्टस ग्रोव को देखा होगा, उसको बंगला बनाने के लिये किसनें नष्ट किया? वन विभाग के महा-

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अरण्यपाल ने, किसी दूसरे ने नहीं। जनता से कहते हैं कि पेड़ न काटो और काटते हैं स्वयं। पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुमायूं में ५ लाख एकड़ में वन लगाने की स्कीम बनी। उसका एस्टीमेट १९ लाख का था और उसके बाद ११ लाख न मालूम कैसे बढ़ गया और वह ३० लाख का हो गया। फिर आखिर में जाकर कुल १ लाख ७३ हजार एकड़ में ही पेड़ लगे। यह सब कैसे हिसाब लगता है और आखिर में क्या होता है यह समझ में नहीं आता।

इसी तरह से वाइल्ड लाइफ के बारे में यहां जिक्र आ चुका है, वहां का जो वन रक्षी है वह बेचारा अकेला जंगल में रहता है, वह वहां पर घूमता है और किसी भी शिकारी की गोली का शिकार हो सकता है,कोई शहादत भी उस को कहीं नहीं मिल सकती,कोई शेर या नरभक्षी उसको खा सकता है लेकिन उसको केवल २५ रुपया वेतन दिया जाता है। दूसरी तरफ जो सब से बड़े अफ़सर हैं उन को २,५०० से २,७५० तक वेतन दिया जाता है। जो जंगल में अपनी जान और अपना सर्वस्व खत्म करने के लिये है उसके बच्चों के लिये कुछ नहीं दिया जाता। इस तरह का भेद न होना चाहिये।

इसी तरह से कुमायूं में वनों में जब आग लग जाती है तो पास के गांव वालों के लिये यह आवश्यकीय है कि वह वहां फौरन् अपना सारा काम काज छोड़ कर आग बुझाने के लिये जायं और दो चार हफ्ते जब तक आग न बुझ जाय, तब तक रात दिन उस काम में लगे रहें। उनको यह बताना होता है कि आग किस कारण से लगी और कौन इसका जिम्मेदार है और अगर वह यह नहीं बता पाते तो सारे गांव से, जो पास के होते हैं, उसका मुआवजा और क्षति वसूल की जाती है। यह कितना बड़ा अन्याय है ? मगर कुमायनियों के पुश्तैनी हक छीने गए हैं। मंत्री जी सन् ५५ के जी० ओ० को देख लें उसके अनुसार सारे पुराने हक-हकूक उनके खत्म कर दिये गये लेकिन उन पर इस तरह का कानून अब भी लागू है। पहले जायजी जरूरत के लिये सिविल बेनाप का पेड़ कोई गांववाला ले सकता था, पर अब उस के लिए इजाजत लेने में बहुत समय धन नष्ट करना होता है। पेटी डिमान्ड्स याने हक के अलावा आधे या कम दाम पर अथवा मुफ्त लकड़ी मिलना बंद कर दी गई है। मगर आग वाला हिटलर शाही फर्मान व बेगार अभी जारी है। जब कि स्टार पेपर मिल के करोड़पति मालिक को ७ पैसा मन लकड़ी दी जाती है लेकिन गरीब पहाड़ वालों को १ रुपया मन मलती है। इसके अलावा जो रूल बना हुआ है कि पतरौलों में से साढ़े ३३ प्रतिशत फारेस्टर होंगे और २० प्रतिशत रेन्जरों को तरक्की दी जायगी, इसकी पाबन्दी नहीं हो रही है।

इसी तरह से लीसे में एक बड़ी चोरी होती है कि १०० पेड़ों पर साल में ७ मन से १४ मन तक लीसा निकलना चाहिये, पर विभाग केवल ४ मन से ७ मन तक दिखाता है। चोरी गया लीसा चोरी से बिकता है, यानी पहले जिन दिनों फैक्ट्री हाथ में ली सन् १९४७—४८ में, तो रोजिन निकला ७७·३ प्रतिशत और आज कल वह घटते घटते ७० और ७१ प्रतिशत आ गया है। जो कास्ट वहां बनते हैं उनमें बड़ी देर होती है।

शोध के बारे में यह कहना है कि अभी तक कहा जाता था कि पेंचदार चीड़ के पेड़ किसी काम के नहीं होते। लेकिन इस साल सरकार को मानना पड़ा कि उनसे लीसा भी निकलता है और जलाने के काम में भी आते हैं। मेरा सरकार पर चार्ज है कि इतने वर्षों के बावजूद भी लाखों रुपया खर्च कर के क्यों नहीं इसका पता लगाया कि क्या खराबी चीड़ में हो गई जो पेंचदार होता जा रहा है और कैसे वे पेड़ ठीक हो सकते हैं। केवल शोध के नाम पर यहां इंग्लैंड, स्वीडन, और नार्वे की छपी पुस्तकों की नकल की जाती है।

यातायात के लिये ६५,००,००० रुपया तृतीय योजना में खर्च होगा। ६ लाख मन लीसा इस साल बरेली की फैक्टरी को दिया जायगा १० रुपया प्रति मन के घाटे पर, यानी २४ रु० फी मन के दाम पर, इससे ६० लाख का नुकसान होगा। अब गांवों को दी जाने वाली रायल्टी बढ़ा कर १० रु० फी मन की गई है। मेरी मांग है उन्हें पूरी कीमत मिलनी चाहिए। पर दुःख यह है कि बाड़ेछीना-धौलछीना-बेरीनाग, भोलेदेवी—देवलीबगड़, कठपुड़ियाछीना-भैंसियाछाना जैसे

महत्वपूर्ण मार्ग नहीं बनाये जा रहे हैं। जहां वन विभाग के डाक बंगले भी बने हुये हैं वहां इनके यातायात के मार्ग नहीं हैं।

वन बन्दोबस्त के नाम पर गांवों की सरहद के भीतर तमाम खूंटे गाड़ दिये गये। कहा गया वन की तरक्की करेंगे, ५ लाख एकड़ तार-बाड़ कर दी पर पेड़ पूरे नहीं लगाये, केवल, १,७३,००० एकड़ में लगाए, वह जमीन ज्यों की त्यों ही पड़ी हुई है। लोग अपने मवेशी बाहर नहीं निकाल सकते, पानी पीना बन्द हो गया।

इतना, श्रीमन्, और कहना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये एक योजना बनायी गई ५ लाख रुपये की। लेकिन १९५६ से १९५९ तक कुछ काम उस पर नहीं हुआ। हमने हल्ला किया तो १९६० में कहा गया, हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। तीन साल में कुछ नहीं कर सके और एक साल में सरसब्ज दिखाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब कागजी आंकड़े हैं, मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बोलने की इजाजत हेतु मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं क्योंकि हमारे मुअज्जिज मंत्री बीयावान तो अब जंगली हुए हैं लेकिन मेरी तो वाकई में एक जंगली गांव की पैदाइश है लिहाजा मैं जंगल का आदमी हूं। मुझे दो बातें मालूम करनी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका कनसेप्शन क्या है? Are the forests for the people or are the people for the forests? यानी जंगल हमारे लिये हैं या हम लोग जंगल के लिये हैं? मेरा विचार है मनुष्य के लिये जंगल हैं, जंगल हमारे राष्ट्र की सम्पदा हैं, उनको बढ़ाना चाहिये, लेकिन कोई प्लान्ड सिस्टम तो हो, जहां इरोजन हो वहां जंगल लगाये जायं, ऊसर और बंजर भूमि हो वहां जंगल लगाये जायं। मगर आप जंगल बनाना चाहते हैं जहां श्मशान घाट हो, या सुरथ बहादुर शाह की भूमिधरी बाग़ पर। यह क्या तरीका है? बावजूद इसके कि हमने पिछली बार बहस में कहा था कि सोचिये, विचारिये, कौन तरीका अख्तियार किया जा रहा है, लेकिन नहीं। एक हैकनीड टर्म हो जाता है, मंत्री जी खुद अपनी सूझ से नहीं बल्कि अपने पीछे बैठने वाले मुसाहिबान से मजबूर हैं, जरा सा कह दिया बस हाथ उठा दिया। अगर इनको जंगल लगाने हैं और बढ़ाने हैं तो उसके आस पास के रहने वालों की सुविधा का भी खयाल करना पड़ेगा और यह बहुत आवश्यक है।

मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मुझे उनके खिलाफ़ कहना जरूरी है। मैं भी मंत्री जी की, उनके पीछे बैठने वालों से कम इज्जत नहीं करता हूं, लेकिन तब भी अर्ज करता हूं कि उन को इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि जो लोग जंगल के करीब रहते हैं, जो उनकी सुविधायें हैं उनका इन्हें खयाल रखना जरूरी है। बहुत से लोग जंगल में ऐसे हैं जो पुश्तों से वहां रहते हैं, दूध निकालना, घी बनाना यही उनका पेशा है। यह लोग लगभग ८ महीने जंगल में रहते हैं। इसी प्रकार से जंगल के करीब के जो इलाके हैं जहां इरोजन नहीं हो रहा है, वहां अगर प्लान्टेशन करें महज इसलिये कि आप को सुविधा है तो यह उचित नहीं है। आप हमारा पैसा खर्च कीजिये, और हमारी ही सुविधा पर ध्यान न दीजिये यह गलत ही नहीं बल्कि अन्याय है। खर्चा कीजिये वहां पर जहां स्वायल कंजर्व करना हो। मगर जहां पर आप को आसानी हो या जहां खाली मिले जमीन जोतने को और मंत्री को बुला कर उद्घाटन करा सकें वहां प्लान्टेशन बनाना यह तरीका गलत है।

मैं एक बात यह भी अर्ज करूंगा कि मंत्री महोदय और उनके पीछे जो बटैलियन बैठी है उसे यह बात जानना चाहिये कि मंत्री महोदय को जरूरत है कोआपरेशन की उनके अहलकारों से ही नहीं बल्कि दूसरे महकमों से भी। मैंने सुना है कि रेवेन्यू के लोगों ने वन के नौकरों के ऊपर हाथ चलाया है। मुझे यह भी मालूम है कि जब जंगल के अधिकारियों ने कुछ लोगों को पकड़ा तो जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने आ कर उन्हें छुड़ाया और जीप तक तिकड़म से वापस कराई थाने से। लापरवाही की तो हद हो गयी है। लोग किसी बात की परवाह नहीं करते, छोटे कर्मचारी कहते हैं कि अगर हम को कदम कदम पर मार खानी पड़ेगी और गाली खानी

[श्री सुरथबहादुरशाह]

पड़ेगी तो काम हमारी बला से। लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि किसी तरह से उनका वक्त कट जाय और इन्हें पेंशन मिल जाय तो अच्छा है। बड़े अफसरों में भी यही भावना है। उदाहरणार्थ अर्ज है कि एक रिस्पांसिबल आफिसर जो कंजरवेटर क्लास के हैं उनसे जब मैंने कहा कि कृपया पर्चा दीजिये तो उन्होंने कहा कि चीफ़ कंजरवेटर से लिखा लाइये। मैंने कहा कि जब आप से बातें हुई थीं तो चीफ़ कजरवेटर वहीं मौजूद थे। जब यह तरीका टालने का हो गया है बड़े अफसरों का तो फारेस्ट गार्ड की तो गिनती ही क्या है। याद रहना चाहिये कि छोटे हमेशा बड़ों की नकल करते हैं। यह बात तभी ठीक हो सकती है जब हम वाकई इस बात को सोचेंगे कि जंगलात राष्ट्र की सम्पदा होने के अलावा जंगल उनका भी होता है जो जंगल के पड़ोस में रहने वाले हैं और उस पर निर्भर हैं।

एक बात लुत्फ़ की यह है कि १९५२ से मेरे जिले और तहसील में आज तक एक सड़क का टुकड़ा १२ मील का पूरा नहीं बन सका है। पी० डब्लू० डी० जंगल विभाग पर और जंगल विभाग ठेकेदार पर टालता है मगर यातायात बन्द रहता है उसकी किसी को परवाह नहीं है। कोई आदमी मरे या कुछ हो। श्रीमन्, इसमें तनिक भी exaggeration या मुबालगा नहीं है। यह वाकया है कि तहसील का जमादार डूब कर मरा और एक जमींदार जो तहसील रुपया जमा करने जा रहे थे डूबते बचे मगर रुपयों से हाथ धोया। यह सब हुआ किन्तु १२ मील की सड़क आज तक नहीं बन पाई है १९५२ से।

श्री मलिखानसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर हम सभी सदस्यों को इस विभाग के जो कारनामे हैं उनसे अवगत कराया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं मिला, किसी भी सदस्य ने यह नहीं बतलाया कि जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है चाहे वह तरबगंज फैक्ट्री द्वारा, चाहे कत्थे की फैक्ट्री द्वारा या चाहे पेपर मिल के द्वारा हो उस पर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है। खाली हरिदत्त कांडपाल जी ने यह कहा कि सरकार कदम उठाने जा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पैसे का अब तक दुरुपयोग हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है ?

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, सन् ५४ की टैक्सेशन कमेटी के मुताबिक हमारे प्रदेश का लगान ४ रुपये साढ़े १० आना फी एकड़ है और इस फारेस्ट विभाग की जो आमदनी है वह प्रति एकड़ बढ़ी है १ रुपया ६६ नये पैसे। जो जमीन का राजस्व आता था खाली मालगुजारी के रूप में उसको भी जब यह विभाग पूरा नहीं कर पा रहा है इतनी जमीन घेर कर तो कैसे कहा जाता है कि यह विभाग उत्पादन बढ़ा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, एक ओर हमारी निगाह और इस बीच में गई। इन्होंने लाख के कुछ आंकड़े दिये हैं। उसमें दिया है कि ६४ मन १५ सेर लाख को प्राप्त करने में २२,४०७ रुपये खर्च हुये और उसी के साथ देते हैं कि १,९०,९११ रुपये की लागत में ६४ मन १५ सेर लाख प्राप्त हुई। तो एक जगह यह आंकड़े और दूसरी जगह यह आंकड़े मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें कि उनका विभाग इस तरह के घपले के आंकड़े क्यों बनाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने वन की उपयोगिता को किसी तरह चुनौती नहीं दी है। मैं इस बात का समर्थक हूं कि वनों की आवश्यकता है लेकिन देखना यह है कि उन वनों के द्वारा कितनी जनता संतुष्ट रहती है और सरकार के खजाने में कितनी आमदनी आती है।

जहां तक वृन्दावन का सवाल है, इनके एक्सपर्ट यह कहते थे कि वहां बबूल के अलावा कुछ नहीं होता। जब माननीय जगन प्रसाद जी रावत डिप्टी मिनिस्टर थे तो उन्होंने बताया था कि वह जब एक बार उद्घाटन करने गये थे तो एक गांव के आदमी ने कहा, "अरे छोरा, गिरिराज जी को काहे कांटों में धकेल रहो हैं"। ऐसा उसने पश्चिमी भाषा में कहा। तब इनके विभाग वालों के दिमाग में यह आया कि वहां और पेड़ भी लग सकते हैं और फिर वहां

लसेढ़ा लगाया गया जो इस साल १,७०० रुपया का बिका है। इसके अलावा अमरूद की फसल से सैकड़ों रुपये की आमदनी होने की संभावना है। इस तरह उस जमीन का सदुपयोग वहां के एक गांव वाले के सुझाव पर हुआ। तो जब तक एक प्लांड तरीके से वहां की बातों को देख करके काम नहीं किया जायगा तब तक यह विभाग ठीक से काम नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, मेरा जिला बिलकुल रेगिस्तान से जमुना के किनारे से मिलता हुआ जाता है। वहां हर साल वन महोत्सव के अवसर पर कलेक्टर और कुछ दूसरे अधिकारी पेड़ लगाते हैं लेकिन दूसरे साल यह भी पता नहीं चलता कि वहां कोई पेड़ है या नहीं। गांव सभा को यह चीज सौंप दी जाती है लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं होती कि इसकी जांच की जाय कि वास्तव में कितने पेड़ लगे और कितने सूख गये। इस तरह से सरकारी राजस्व का और जनता के पैसे का अपव्यय हो रहा है। इसलिये मैं फिर इस बात पर दृढ़ हूं कि एक रुपये की कटौती का जो मैंने प्रस्ताव रखा है, इसको अगर एक पैसा भी न दिया जाय तो भी उचित होगा और मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे कटौती के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करे।

श्री अलगूराय शास्त्री--श्रीमन्, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज पूरे दिन वन के आय-व्ययक पर माननीय सदस्यों ने पूरी रुचि से अपने विचार प्रकट किये। मैं माननीय सदस्यों में से सब से पहले जो बोले, भाई मलिखान सिंह जी उनका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव से कुछ मौलिक प्रश्नों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है। मैं समझता हूं कि कोई तफरीह के लिये माननीय सदस्य नहीं बोलते बल्कि उनके दिल में एक टीस होती है, वे अनुभव करते हैं कि सरकार का काम कुछ सुचारु रूप से नहीं चल रहा है तभी वे अपने उद्गार प्रकट करने की चेष्टा करते हैं। तो जिस भावना को लेकर वे बोले उसी दृष्टि से मैं उनके सुझावों का और उनकी बातों का पूरा मूल्यांकन करता हूं। मगर इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि जिस दृष्टि से उन्होंने वन विभाग की सारी कारगुजारी पर दृष्टि-पात किया और जिस नुक्ते निगाह से देखा है उससे मैं सहमत हूं। उनको यह लगा कि बहुत सी फिजूलखर्ची वन विभाग में है और वन विभाग के कर्मचारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, बंगलों को सजाते हैं तथा बनाते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि यह उनका सही दृष्टिकोण है।

मुझे यह बात अच्छी लगी कि इस विभाग के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह कम है और उनकी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया गया। स्वाभाविक है कि आज के वातावरण में और महंगाई के जमाने में वन कर्मचारियों का जो जीवन है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। जो कुछ उनको दिया जाता है वह अवश्य कम है, किन्तु पे कमीशन की जो पूरी रिकमेंडेशन मानी नहीं जा सकी है उसका कारण अर्थ संकट है, इससे अधिक व्यय वहन करने में सरकार असमर्थ है। किन्तु उनकी कठिनाइयां हमारे सामने हैं और मेरे मित्र ने ध्यान दिलाया और मैं उसके लिये उनका धन्यवाद करता हूं।

अब यह सुझाव कि उनको संकट का सामना करना पड़ता है और उनके प्राण सदैव संकट में रहते हैं, उन पर कोई आपत्ति आ जाय तो उनकी सुविधा का ध्यान होना चाहिये। अभी पुलिस के संबंध में कुछ रियायतें घोषित हुई हैं। मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से उनकी ओर जाता है जो संकट का सामना करते हुए प्राण खो बैठें, उनके परिवार के लिये, उनके आश्रितों के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये उनमें बहुत सी चीजें सामने आई हैं।

मुख्य रूप से एक बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया है कि वन जनता के लिये हैं, वन के लिये जनता नहीं है। बात सही है और यह सारा विश्व मनुष्य के लिये है, उसके सुख के लिये है, उसको वह पूरी तरफ से एक्सप्लाइट करता है। वन विभाग का सारा दृष्टि-कोण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मनुष्य अगर इसी दृष्टिकोण से काम ले जिससे कि यह विभाग वैज्ञानिक चीजों को देखता है तो दूसरे परिणाम पर हम पहुंच ही नहीं सकते हैं।

[श्री अलगूराय शास्त्री]

हमारे मित्र बंशीधर शुक्ल जी ने जो बताया उसके अनुसार तो वनों को नष्ट कर देना चाहिये। उन्होंने भावावेश में यह भी कहा कि अभी तक तो हम सत्याग्रह की बात सोचते थे लेकिन अब वनों के जलाने की योजना बनायेंगे। इस तरह के उनके उद्गार थे। लेकिन मुझे उसमें रोष नहीं दिखता, क्योंकि जब इतनी कोशिश करते हैं फिर भी ऐसे वन जो मनुष्य की प्रगति में बाधक हैं उनकी रक्षा करने की बात कैसे की जा सकती है।

अब मेरी कठिनाई यह है कि वह एक कवि हैं और लोक भाषा में वह कविता लिखते हैं और जो वह कविता लिखते हैं वह पानी में आग लगाने वाली होती है। मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को इसलिये उद्धृत किया था कि उन्होंने बताया है कि वनों का महत्व मानव जीवन के साथ किस हद तक हो जाता है। एक विश्व कवि का वह दृष्टिकोण है जो वनों के गाने गाते थकते नहीं हैं। एक साथी कवि हैं उनका दृष्टिकोण यह है। तो हम किधर जायं? स्वाभाविक रूप से मुझे तो रवीन्द्र बाबू का दृष्टिकोण सही लगता है।

जहां तक शुक्ल जी का दृष्टिकोण है वह मुझको ठीक नहीं लगता। जैसा कि मैंने उस भाषण में कहा बहुत सारी खराबियां इसी से हुई हैं कि वन सम्पति के संबंध में बहुत बड़ा भ्रम है। आदमी समझता है कि वन बिला वजह खड़े किये गये हैं। ये मनुष्य की प्रगति में बाधक हैं। इसमें खेती होती तो अच्छा होता। कई मित्रों ने कहा कि वन में १ रुपया ६० नये पैसे प्रति एकड़ आमदनी होती है। बलदेव सिंह जी ने कहा था कि अगर इस पर खेती हो तो बहुत आमदनी होगी। सवाल तो यह है कि वन न हों तो जिन खेतों की आमदनी देख रहे हैं वह खेत ही कहां रहेंगे, चाहे जो आमदनी हो। इसमें भी संदेह प्रगट किया गया कि वन की आमदनी के जो आंकड़े दिये गये हैं वह संतोषजनक हैं। इस रिपोर्ट में कितनेही वर्षों के आंकड़े दिये गये हैं। १९३४-३५ से १९३८-३९ तक और १९४६-४७ से १९६०-६१ तक के अनुक्रमिक आंकड़े दिये गये हैं कि कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कितना व्यय हुआ और कितनी बचत हुई। अनुक्रमिक ढंग से धीरे धीरे आमदनी बढ़ती ही गयी है।

वन न केवल अपनी सम्पत्ति देते हैं बल्कि दूसरे की सम्पत्ति भी पैदा करने वाले हैं। लैन्ड इज दि मदर आफ आल वेल्था भूमि सब सम्पत्तियों की जननी है। उस भूमि की रक्षा में वनों का हाथ है या नहीं? अगर है तो उनकी रक्षा करनी होगी, पालन पोषण करना होगा। माननीय सदस्यों को कदाचित इन चीजों को मिलाजुला कर देखने का मौका नहीं मिला है। पिछले चार-पांच वर्षों में मैं तो मिनिस्टर था नहीं, लेकिन जो मेरे पहले मिनिस्टर थे और जो वन मिनिस्ट्री रही है उसने जो काम किया है उसमें मनुष्य द्वारा लगाया गया वन जगह जगह देखने को मिलता है। हस्तिनापुर में ५ हजार एकड़ के अन्दर जो शीशम के दरख्त लगे हैं, बबूल के दरख्त लगे हैं, घासपात लगी हैं, उनको देख कर मैं नहीं समझता हूं कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो एक बार खिल न उठे। वेस्ट लैन्ड था, उसमें क्या हो सकता था? बालू का रेगिस्तान, गंगा जो काटती चली जा रही थीं। वहां इंसान ने खड़ा कर दिया सुन्दर वन।

इसी तरह से राजस्थान का रेगिस्तान बढ़ता चला आता था। इसको एक चैलेंज दे दिया गया। उसको रोकने के लिये वन लगा दिया गया। वह वन एक विभूति के रूप में खड़ा हो गया है। मैं बहुत गम्भीरता से सोचता हूं कि १०-१५ माननीय सदस्यों की एक समिति इस बात के लिये बनायी जाय कि जरा वह घूम कर इसको देखें कि क्या काम हुआ है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है? पार्लियामेंट में कमेटियां बन जाती हैं। लोग जरा घूमते हैं और चीजों को देखते हैं। उस तरह की बात पिछले ढाई वर्षों में मैंने यहां नहीं देखी कि इस तरह की, माननीय सदस्यों की टोली घूमी हो। प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि उस कमेटी में आ जायं यानी विभिन्न दलों के लोग सब मिल कर एक बार देखें कि

सड़कों के किनारे के दरख्तों का किस तरह अंग-भंग किया जाता है, किसी का सर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पांव कटा है।

मेरे भाई मलिखानसिंह जी ने एक बात का जिक्र किया कि कोई आदमी एक पेड़ की छाल निकाल रहा था। उन्होंने उसको रोका। उसको गिरफ्तार कराने की बात नहीं थी बल्कि उसको रोकने की बात थी। उसी तरह से एक बार मैं गाजीपुर से आजमगढ़ जा रहा था। जब मैं गाजीपुर से बाहर निकला तो देखा कि एक नीम का बड़ा विशाल वृक्ष है, उसके कोटरे को खोदकर एक आदमी उसका गुद्दा निकाल रहा है। वह पेड़ ऊपर से हरा भरा था लेकिन नीचे सब खोखला हो गया था। एक आदमी उसके गूदे को निकाल रहा था। उसमें कोई चालान का सवाल नहीं था लेकिन मोटर रोक कर जब मैं उसके पास गया तो वह उस खांची को छोड़कर भाग गया। उसके बाद जो थाना मिला वहां थाने पर मैंने उस खांची को दे दिया और कहा कि कैसे यह काट रहा था, इसको देखना चाहिये। उसमें कोई चालान करने का सवाल नहीं था। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी आंखों से देखें कि आया वे पी० डब्लू० डी० के वृक्ष हों या कोई और हों, उनको कोई भी लगावे और कोई भी उनका प्लान्टेशन करे लेकिन जब वे काटे जाते हैं तो बरबाद हो जाते हैं। वह राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। किसी भी गरीब आदमी को उनके जलाने के प्रलोभन से काटन का अधिकार देने की बात नहीं होनी चाहिये।

जहां तक हमारी नीति का सम्बन्ध है वन के मामले में जब मैं कुछ कहता हूं और उसका सवाल बाहरी दुनिया से हो जाय तो यह समझा जाता है कि मैं दिल्ली की हवा लेकर आया हूं। वैसे दिल्ली की हवा लेना कोई खास बुराई की बात नहीं है किन्तु आप यह देखें कि जो मेडेटेरिनियन स्टेट्स हैं उनमें १५ राज्य हैं जो चारों तरफ फैले हुये हैं। इसी प्रकार से हमारे हिन्दुस्तान में १४ स्टेट्स हैं जो बिलकुल उसी तरह से फैली हुई हैं। अन्तर केवल इतना है कि उन १५ स्टेट्स की जनसंख्या १७० करोड़ है और हमारे देश की जनसंख्या ४२० करोड़ है। आबादी हमारे यहां उससे तिगुनी है। उस एरिया की सभ्यता भी ६ हजार वर्ष पुरानी है। हमारे यहां की भी वही समस्यायें हैं। फूड एन्ड एग्रीकल्चर का जो इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन है उसने यह नतीजा निकाला है और कहा है कि अगर इस क्षेत्र के वनों की रक्षा नहीं होगी तो इसकी भूमि का क्षार बढ़ेगा और कृषि सम्पत्ति का उत्पादन भी घट जायगा। सड़ी गली पत्तियां खाकर दो तोला से अधिक दूध पशुओं के अन्दर नहीं रह जायगा क्योंकि उनके लिये चारा नहीं रह जायगा।

हमारे इस पंचनद प्रदेश की यही दशा है। यहां पर गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और टोंस यह पांच नदियां हैं। इसी कारण यह पंचनद प्रदेश कहा जा सकता है। इस पंचनद प्रदेश का एक-एक जिला उसी बीमारी का शिकार है जिस बीमारी का शिकार वह इतनी पुरानी सभ्यता वाला देश है, जहां पर इजीप्शियन रोमन और ग्रीक का साम्राज्य पहले बना था। इसी कारण से वह तबाह हुआ और वह सभ्यता गई कि वहां पर वन नष्ट हो गये। यह वन हमारी जबरदस्त सम्पत्ति हैं। आप उन रिफरेन्सेज को देखें कि उन्होंने इसके लिये कितना प्रयत्न किया है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। अगर उनकी इतनी पुरानी संस्कृति बर्बाद हो गई और ऊसर, बंजर और रेगिस्तान का वहां पर साम्राज्य हो गया तो उसका कारण यह था कि वहां पर लहलहाते वन नष्ट हो गये। हमने यदि इनकी उपेक्षा की तो हमारे यहां से कृषि की पैदावार कम हो जायगी। यदि हम इसकी रक्षा करते रहे तो ये अन्न उत्पादन को बढ़ाने में हमारी आकांक्षाओं को प्रेरित करते रहेंगे।

मैं इस बात को मानता हूं कि जो माननीय सदस्य ने बातें कही हैं उनमें अधिकांश ने यह स्वीकार किया है कि उनकी रक्षा होनी चाहिये। ऐसी बात नहीं है कि जंगलों की रक्षा में या उनके संवर्धन में उनकी रुचि नहीं है या वे चाहते नहीं हैं। उनका एक ही कहना है कि बेचा

[श्री अलगूराय शास्त्री]

जंगल के पास रहने वाले किसानों को लकड़ी तक तो मिलती नहीं है। वहां ऐसा है कि "Water and water everywhere but not a drop to drink" समुद्र के किनारे बैठे हैं, लेकिन एक बूंद पानी पीने को नहीं।

मैं इस बात की प्रतीक्षा में था कि यहां पर यह बजट आवे, माननीय सदस्यों के उद्गार और विचार सुनने को मिलें कि किस हद तक वह क्या चाहते हैं, क्योंकि जनता के जीवन के निकटतम संपर्क में वह लोग हैं। उनकी बातों को जान कर उससे प्रकाश लेना होगा और उसके अधीन रास्ता तय करना होगा कि क्या असुविधाएं, क्या सुविधाएं थीं, कैसे वह सुविधाएं छिन गयीं, किस इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त थीं, किस से उनका विद्ड्राअल हो गया, किस इंस्ट्रूमेंट से रेस्टोर की जा सकती हैं और किस रूप में रेस्टोर हो सकती हैं—इन सब चीजों को जानने के लिये जब तक यहां के साथियों और सम्मानित सदस्यों के विचार न मालूम हों तब तक कोई कदम उठाना गलत होता। अगर भावुकता में आकर कोई कदम उठा लिया जाय, चाहे वह विवेक का सहारा लेकर ही उठाया जाय, लेकिन एक आदमी का विवेक सामूहिक विवेक की समता में आ नहीं सकता। इसलिये थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा और मैं यह विश्वास दिला सकता हूं और घोषित कर सकता हूं कि जहां तक मैंने समझा है, यह पूरा समाज, संपत्ति, सूर्य, चन्द्रमा, तारे ये सब हजरते इंसान के लिये बने हैं या वह अपनी अक्लमन्दी से बना लेता है, अलबत्ता मनुष्य के अन्दर स्वार्थपरता नहीं होनी चाहिये। दूसरे के हित के साथ अपने हित की संतुलित तुलना मनुष्य के लिये एक ललकार और पुकार है। तो उस कंडीशन को लगाते हुए मनुष्य की सेवा के लिये सब चीजें हैं और मनुष्य फिर सबकी सेवा करता है, इसलिये कि उसकी सेवा स्वयं वह है।

इसमें संदेह नहीं है कि वह रक्षित किये जायेंगे, लेकिन इसलिये नहीं क्योंकि वह वन हैं, बल्कि इसलिये कि वह हमें सामग्री और घास देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, जलाने के लिये लकड़ी देते हैं और मेज कुर्सियां बनाने के लिये भी। इसलिये वन प्यारे हैं और अगर उनकी रक्षा न करें अविवेक के कारण तो हम बरबाद हो जायं।

बातें जिन माननीय सदस्यों ने कही हैं उनसे हमें काफी रोशनी मिली है। वन विभाग के लिये एक ही शब्द मुझे अखरा है और वह नागर जी के मुंह से निकला, और वह था लफ्ज "गद्दार"। फारेस्ट के विभागीय अफसरों या कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्हें चायना के आने का पता नहीं चला, इसमें उनकी आशंका तो प्रगट होती है कि अगर हमारे गांव के लोग असंतुष्ट रहेंगे तो शत्रुओं का साथ दे सकते हैं और हमारे मित्र नहीं रहेंगे, इसलिये सावधान रहना चाहिये, लेकिन इसमें जो चायनीज एग्रेशन का प्रवेश हो गया, उसके सम्बन्ध में "गद्दार" वर्ड किसी तरह से हमारे विभागीय कर्मचारियों के साथ नहीं जाता। क्योंकि वह वर्ड बहुत बामानी है, वह लाइटली यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिला सोचे-समझे आदमी गद्दार नहीं हो सकता, बेवकूफ हो सकता है, नेव नहीं हो सकता जब तक कि जगरूकता न हो। इसलिये मुझे वह शब्द अखरा। वह न करें, अगर विद्ड्रा न करना चाहें, मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी। तो अगर कटु से कटु आलोचना की गयी है, वह सद्भावना और प्रेरणा देने के लिये की गयी, ताकि किसी तरह से वन विभाग के द्वारा वन का उपकार हो, इसके अतिरिक्त मुझे उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा।

प्रताप सिंह जी ने कुछ बातें कुमायूं कमेटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में न कहीं। उसी रिपोर्ट के विश्लेषण में सरकार लगी हुई है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि सेटिलमेंट के मामले हैं, उसमें वन-विभाग एक फरीक होता है और कृषक दूसरे फरीक होते हैं। उस मामले में बतौर पार्टी के खड़े होते हैं। सिवाय मुकदमे के हमारी तरफ से और कोई इन्टरफियरेन्स, कमेटी वगैरह बनाकर करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों को बसाने का सवाल माननीय खुशीराम जी ने उठाया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस क्षेत्र का दौरा करूंगा और देखूंगा कि आया कोई जमीन बिना क्षति पहुंचाये हुये निकल सकती है। हमारे दौरों के ऊपर भी अक्सर यह कहा जाता है कि मंत्री लोग बड़े दौरे करते हैं, मैं उनको बतलाना चाहता

हूं कि दौरा करना कोई तफरीह की चीज नहीं है बल्कि उसमें कष्ट उठाना पड़ता है। बहरहाल मैं माननीय खुशीराम जी को विश्वास दिलाता हूं कि उन गरीब हरिजनों, जिनके रहने की जगह नहीं है उनके लिये क्या किया जा सकता है, इसको देखने के लिये मैं आश्वासन दे चुका हूं और उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा।

बाकी जहां तक और बातों का सवाल है जोकि हमारे सामने सुझाव के रूप में आई हैं, उन सब बातों पर जितना ध्यान दिया जा सकता है गम्भीरता के साथ और सद्भावना के साथ, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके द्वारा सदन को कि उसमें कोई कमी हमारी ओर से नहीं होगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं आंकड़ों के सम्बन्ध में कि अगर उनको ज में देखने से कोई भूल हो जाय तो यह न मान लिया जाय कि वह गलत हैं। आंकड़े गलत नहीं हैं। अगर तालिका का सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो हम उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जो नतीजे कि निकाले गये हैं। और उसका एक नतीजा यह है कि साउन्ड लाइन्स पर प्रदेश और देश की सम्पदा बढ़ाने में, वन सम्पदा के विकास में, भूमि की रक्षा में, उसकी उर्वरता बढ़ाने में हम तत्पर होकर लगें। वाइल्ड लाइफ के सम्बन्ध में वनों में जो जानवर जंगली बन गये हैं जिन्हें गांव वाले छोड़ दिया करते हैं और वह खेती को नुकसान पहुंचाते हैं वह भी हमारे सामने हैं। इन सब बातों पर दृष्टिपात करके और माननीय सदस्यों के सुझावों को देखकर जो तर्कपूर्ण कदम उठाने हैं वह उठाये जायेंगे।

अन्त में मैं पुनः तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना समय इस अनुदान पर दिया और बहुत सी तर्कपूर्ण बातें कीं जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं पहले कटौती का प्रस्ताव ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,७८,५२,७०० रुपये की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है और वन उपज तथा उस के वितरण में सरकारी गलत नीति की आलोचना करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्ष—पांच बजे के बाद जब तक कि अनुदान पर मतदान न हो जाय, मैं समय बढ़ाये देता हूं।

(घंटी बन्द होने पर)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,७८,५२,७०० रुपये की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है और वन उपज तथा उसके वितरण में सरकारी गलत नीति की आलोचना करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर २,७८,५२,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरप्रदेश।

लखनऊ :
२४ अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७४ पर)

सन् १९५९--६० में सरकार ने निम्नलिखित संस्थाओं को खेलकूद का प्रोत्साहन देने के लिये आर्थिक सहायता दी। इसके अतिरिक्त जिन संस्थाओं ने प्राविधिक सहायता मांगी उनको वह भी दी गई।

संस्था का नाम	रुपये
१---उत्तर प्रदेश ओलम्पिक एसोशियेशन	८,५७२.४८
२---उत्तर प्रदेश लान टैनिस एसोशियेशन	१६,३८१.२५
३---उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड	७,९००.००
४---उत्तर प्रदेश बैडमिन्टन एसोशियेशन	४,२५०.००
५---उत्तर प्रदेश टेबुल टैनिस एसोशियेशन	२,०००.००
६---उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोशियेशन	२,०००.००
७---यू० पी० पुलिस स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड, सीतापुर ..	६००.००
८---लखनऊ गोल्फ क्लब	५००.००
९---कौंसिल चेम्बर क्लब	२,५००.००
१०---सेक्रेटेरिएट क्रिकेट क्लब	३००.००
११---सेक्रेटेरिएट हाकी क्लब	३००.००
१२---सेक्रेटेरिएट वालीबाल क्लब	१००.००
१३---श्री जी० एस० चुरामनी वालीबाल टूर्नामेंट, लखनऊ ..	१५०.००
१४---डाईरेक्टर आफ एजूकेशन एथेलेटिक एसोशियेशन, इलाहाबाद	३००.००
१५---काशी व्यायामशाला वाराणसी	२,०००.००
१६---श्री लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, झांसी	१,३००.००
१७---आल इन्डिया श्री सी० बी० गुप्ता, वास्केटवाल, टूर्नामेन्ट, लखनऊ	५००.००
१८---ह्यूमैन लाइफ सेविंग्स सोसाइटी, इलाहाबाद ..	१,२००.००
१९---यू० पी० सिविल सेक्रेटेरिएट स्पोर्ट्स कमेटी, लखनऊ ..	८००.००
२०---श्री सुदर्शन व्यायामशाला, कानपुर	५००.००
२१---जी० पी० आई० एफ० एसोशियेशन, लखनऊ ..	२५०.००
२२---ऐथेलेटिक एसोशियेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ..	१,३२३.०८
२३---ऐथेलेटिक एसोशियेशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी ..	९२.४१
२४---कैनिंग कालेज एथेलेटिक एशोसियेशन, लखनऊ ..	१५०.००
२५---श्री काशी विद्यापीठ, वाराणसी	१,५००.००
२६---गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	७५०.००
२७---आर्यवीर व्यायाशाला, गाजियाबाद	२००.००
२८---काली देवी व्यायामशाला, बरेली	२००.००
२९---साधना मन्दिर व्यायामशाला, गाजियाबाद ..	२००.००
३०---लक्ष्मी व्यायाम मन्दिर, बरुवासागर	४५०.००
योग ..	५७,२६९.२२

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १८४ पर)

प्रश्न

१—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में राजकीय गोदाम (वेयर हाउस) बनाये गये हैं ?

२—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में किन-किन जिलों में वेयर हाउसेज खोलने की सरकारी योजना है ?

उत्तर

(१) यदि आपका अभिप्राय उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के वेयर हाउसेज से है तो संख्या शून्य है ।

(२) उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा निकट भविष्य में निम्नलिखित मंडियों में वेयर हाउसेज खोलने का योजना है :

(१) वाराणसी
(२) सिरसागंज (मैनपुरी)
(३) डिबाई (बुलन्दशहर)
(४) गाजियाबाद (मेरठ)
(५) पीलीभीत
(६) गोंडा
(७) ललितपुर (झांसी)
(८) कोंच (जालौन)
(९) तिलहर (शाहजहांपुर)
(१०) शामिली (मुजफ्फरनगर) ।

मंगलाप्रसाद,
सहकारिता मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७० एल० ए०—१९६१—८४५ ।